पंचम माला, खंड 27, अंक 43, मंगलवार, 24 अप्रैल, 1973/4 वैशाख, 1895 (शक)
Fifth Series, Vol. XXVII, No. 43, Tuesday, April 24 1973/Vaisakha 4, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

[खंड 27 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XXVII contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/ Hindi]

330LSS-73

विषय सूची/CONTENTS

अंक 43, मंगलवार, 24 अप्रैल, 1973/4 वैशाख 1895 (शक)

No. 43, Tuesday, April 24, 1973/ Vaisakha 4, 1895 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर		ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता०प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
821.	दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के इंजीनियरों का आन्दोलन	Agitation by D.E.S.U. Engineers	1-3
822.	पेट्रोल में मिलावट	Adulteration in Petrol	4-6
823.	सूखाग्रस्त राज्यों के मुख्य मंत्रियों की दिल्ली में बैठक	Meeting of Chief Ministers of Drought Affected States in New Delhi	6-9
824.	उड़ीसा की स्वर्णरेखा परियोजना	Subarnarekha Project in Orissa	9-11
825.	धुवारन विद्युत् संयंत्र को रेजिड्युल फयुल आयल की आवश्यकता और सप्लाई	Requirement and supply of Residual Fuel Oil to Dhuvaran Power Plant	11-13
826.	सौराष्ट्र मेल के भोजन यान में आग लग जाने के परिणामस्वरूप हुई हानि	Loss suffered as a result of Fire in Dining Car of Saurashtra Mail	13-14
827.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रेलवे की वहन क्षमता में वृद्धि	Increase in Goods Transportation Capacity of Railways During Fifth Plan Period . .	14-15
प्रश्नों के लिखित उत्तर		WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.		S. Q. No.	
828.	भारत–बंगला देश संयुक्त नदी आयोग की बैठक।	Meeting of Indo-Bangladesh Joint River Commission . . .	16
829.	उर्वरक उद्योग को विकास छूट	Rebate to Fertilizer Industry	16-17

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
830.	पौंग बांध में पानी जमा करने से तार और टेलीफोन लाइनों को हुई क्षति	Damage Caused to Telegraph and Telephone Lines due to Impounding of water in Pong Dam	17
831.	महंगाई भत्ते को वेतन मान लेने के परिणामस्वरूप दानापुर डिवीजन (पूर्व रेलवे) के सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारियों की पेंशन-दरों का पुनरीक्षण	Revision of Rate of Pension consequent upon treatment of Dearness Allowance as Pay of Retired Railway Employees, Danapur Division (Eastern Railway)	17-18
832.	रांची-लोहारडागा (दक्षिण-पूर्व रेलवे) नैरो गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Ranchi-Lohardaga Narrow Gauge Line into Broad Gauge (South Eastern Railway)	18
833.	मैसर्स देवीदयाल ट्यूब इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	M/s. Devi Dayal Tube Industries Limited	18
834.	मैसूर में पेट्रोल, डीजल, भट्टी के तेल तथा मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Petrol, Diesel, Furnace Oil and Kerosene in Mysore	18-19
835.	मूल औषधियों के मूल्यों को कम करने के लिए की गई कार्यवाही का प्रभाव	Effect of Steps taken to reduce the cost of Basic Drugs	19-20
836.	हरिद्वार, लक्सर और सहारनपुर स्टेशनों (उत्तर रेलवे) पर टिकट कलक्टरों द्वारा यात्रियों को तंग किया जाना तथा उनसे अधिक किराया वसूल किया जाना	Harassment to Passengers and Charging of more fare by Ticket Collectors at Hardwar, Laksar and Saharanpur Stations (Northern Railway)	20
837.	उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा आरम्भ की गई योजनायें	Schemes taken up by North Bengal Flood Control Commission	20-21
838.	राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण	Rural Electrification in States	22
839.	जोधपुर में लौह और इस्पात यार्ड की स्थापना	Setting up of Iron and Steel Yard at Jodhpur	22
840.	महानगरों में भूमिगत रेलवे के बारे में विशेषज्ञ-दल की विदेश यात्रा	Visit Abroad of Experts Team on Underground Railways for Metropolitan Cities	22-24
अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.			
7855.	रफ्तार बढ़ाने के लिए स्टेशनों पर वैकुम बनाने वाली मशीनें लगाया जाना	Installation of vaccum exhausters at Stations to increase the speed	24
7856.	रेलवे के मालडिब्बों में स्क्रू और बफर कपलर लगाया जाना	Fitting of Screw and buffer couplers in Railway Wagons	25

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7857.	पोलिस्टर उद्योग के लिये आशय-पत्र जारी किया जाना	Issue of letter of intent for Polyester Industry . .	25
7858.	बम्बई की औषध निर्माण फर्म का सोवियत संघ के मेडेक्सपोर्ट से दवाईयों की सप्लाई के लिए करार	Agreement of Bombay Pharmaceutical firm with Medexport of the Soviet Union for supply of Medicines . . .	25-26
7859.	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा गैर-आवश्यक वस्तुओं का बनाया जाना	Manufacture of non-essential goods by Foreign Oil Companies . .	26
7860.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में नाइट्रोजन उर्वरकों के लिये द्रुत कार्यक्रम	Crash programme for Nitrogen Fertilizers during Fifth Five Year Plan	26-27
7861.	मध्य प्रदेश को हीराकुड से बिजली की सप्लाई	Supply of power to Madhya Pradesh from Hirakud . . .	27
7862.	जीवन बीमा निगम द्वारा मध्य प्रदेश को ऋण दिया जाना	Grant of loan to M.P. by L.I.C.	27-28
7863.	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को माटाटिला विद्युत् की लागत का ब्यौरा दिया जाना	Details of Cost of Matatila Power to Madhya Pradesh by U.P. Government . . .	28
7864.	मध्य प्रदेश को हीराकुड से बिजली सप्लाई करने की दर निश्चित करना	Fixation of rate for supply of power to Madhya Pradesh from Hirakud	28
7865.	मैसूर में यागची और वेलेडोल परियोजनाओं के लिए मंजूरी	Sanction for Yagachi and Valedole Project in Mysore . .	29
7866.	बिलासपुर (मध्य प्रदेश) से प्राप्त आवेदन पत्रों पर मालडिब्बों का आबंटन	Allotment of Wagons against applications received from Bilaspur (Madhya Pradesh) . . .	29
7867.	बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर रेल डिब्बों में स्थान दिलवाने के लिये रेलवे कर्मचारियों और पुलिस द्वारा कथित घूस स्वीकार किये जाने का आरोप	Alleged acceptance of bribe by Railway Employees and police for a seat in the Compartments at Bilaspur Railway Station . .	30
7868.	रोपड़-नांगल बांध रेलवे लाईन का रेलवे द्वारा अपने हाथ में लिया जाना	Take-ove of Ropar Nangal Dam Line by Railway	30

आ० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7869.	भेषज मूल्यों के निर्धारण के लिए आवेदनपत्रों की प्राथमिकता सम्बन्धी प्रक्रिया	Procedure to deal with preference to applications for fixing of Drugs Prices	30-31
7870.	वर्ष 1972-73 में विदेशी औषध फर्मों द्वारा निर्यात की गई औषधियों की मात्रा तथा उनका मूल्य	Quantity and value of Drugs Exported by foreign Drug Firms during 1972-73 . .	31
7871.	रेलवे परिवहन व्यवस्था के एक आधुनिक व्यापारिक संगठन बनाने सम्बन्धी योजना	Scheme to make Railway Transport System as Modern Commercial Organisation	31
7872.	रेलवे सम्पति की चोरी के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति	Persons Arrested for Stealing Railway Property . . .	31-32
7873.	पूर्वोत्तर रेलवें में दुर्घटनाएं	Accidents on North Eastern Railway	32
7874.	पूर्व रेलव में हुई दुर्घटनाएं	Accidents on Eastern Railway	32
7875.	मैसर्स होइचस्ट एण्ड फार्मस्युटिकल्स लिमिटेड और वार्नर हिन्दुस्तान लिमिटेड में आरम्भ में और इस समय लगी विदेशी पूंजी और इनके द्वारा विदेशों को भेजी गई धनराशि	Initial and Present Foreign Investment in and Amount Remitted by M/s Hoechst and Pharmaceuticals Ltd. and Warner Hindustan Ltd.	33
7876.	मैसर्स होइचस्ट एण्ड फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड और वार्नर हिन्दुस्तान लिमिटेड को आयात लाइसेंस दिया जाना	Grant of Import Licences to M/s Hoechst Pharmaceuticals Limited and Warner Hindustan Limited	33
7877.	केरल के गांवों में बिजली लगाने के सम्बन्ध में चौथी योजना में निर्धारित लक्ष्य	Fourth Plan Target for Rural Electrification in Kerala . . .	34
7878.	कन्नानोर से रेलवे वर्कशाप के तबादले के विरुद्ध अभ्यावेदन	Representation against the transfer of Railway Workshop from Cannanore	34
7879.	दिल्ली स्टेशन पर शौचाल्य जाने के लिये तीसरे दर्जे के यात्रियों से 20 पैसे लेना	Charging of 20 Paise for Third class Passenger for the use of Lavatories at Delhi Station . . .	34-35
7880.	धुवारण बिजलीघर, गुजरात में बिजली का उत्पादन	Production of Power Generation in Dhuvaran Power Station, Gujarat	35

ता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
7883.	कोटा परमाणु बिजली घर से उत्पन्न बिजली पड़ौसी राज्यों को सप्लाई करने में राजस्थान द्वारा असमर्थता व्यक्त करना	Inability expressed by Rajasthan to supply power generated from Kota Atomic Station to the neighbouring States	35-36
7884.	राजस्थान में नहरों और नलकूपों से सिंचित भूमि का क्षेत्रफल	Acreage of land under Canal and Tube-well Irrigation in Rajasthan	36
7885.	मणिपुर की लोकटक परियोजना के रख-रखाव सम्बन्धी कार्य में इंजीनियरों का सहयोग	Association of Engineers for the Maintenance of Loktak Project in Manipur	37
7886.	रेल इंजनों के स्पीडोमीटरों के रख-रखाव के बारे में रेलवे आयोग द्वारा चिन्ता प्रकट करना	Railway Commission's Concern over Maintenance of Speedometers o Railway Engines . . .	37
7887.	दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग के तकनीकी पर्यवेक्षी कर्मचारी संघ की मांगें	Demands of Technical Supervisory Staff Association of DESU	38
7888.	पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर माल की छुटपुट चोरी	Pilferage of Goods at Patna City Railway Station . . .	38
7889.	वर्ष 1973 के लिए राज्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के कोयले की मांग	Demand of Different Types of Coal by States for 1973 . . .	39
7890.	गंगा में मानसून-पूर्व भूमि-कटाव प्रतिरोधी उपायों के लिये पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to West Bengal for Pre-Monsoon, Anti-Erosion Measures on Ganga . . .	39-40
7891.	दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ग्लोब मोटर्स दिल्ली की प्रतिभूति राशि का जमाकर्त्ताओं को भुगतान के लिए जारी किया जाना	Release of Security Deposit of Globe Motors, New Delhi by Delhi High Court	40
7892.	मैसर्स ग्लोब मोटर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के जमाकर्त्ताओं को अदायगी	Payment to Depositors of Globe Motors, New Delhi . .	40-41
7893.	ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस में आरक्षित स्थानों का समाप्त किया जाना	Abolition of Unreserved Accommodation in Grand Trunk Express	41
7894.	दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान में काम कर रहे इंजीनियर	Engineers Working in D.E.S.U. .	41

ता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7895.	सस्ते न्याय प्रशासन के लिए ग्रामीण न्यायालयों का गठन	Setting up of Rural Courts for the administration of Justice at cheaper cost	41-42
7897.	ईराकी प्रतिनिधि-मंडल के साथ अप्रैल 1973 में हुई बातचीत का परिणाम	Outcome of Discussion held with Iraqi Delegation in April, 1973	42-43
7898.	जम्मू में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करने सम्बन्धी योजना	Scheme to provide Irrigation facilities in Jammu	43
7899.	तेलचर उर्वरक कारखाने में रोजगार	Employment in Talcher Fertilizer Factory	43
7900.	बालासोर में मध्यम सिंचाई परियोजना	Medium Irrigation Project in Balasore	43-44
7901.	आर० जी० शा वालेस एण्ड कम्पनी के शेयरों की खरीद	Purchase of Shares of R.G. Shaw Wallace and Company . .	44
7902.	अहमदाबाद मेल में 'थ्री टायर' के एक डिब्बे का लगाया जाना	Attaching of one Three-tier Compartment with Ahmedabad Mail .	44
7903.	पोरबन्दर तापीय बिजली घर का सौराष्ट्र केमिकल को बेचा जाना	Sale of Porbander Thermal Power Station to Saurashtra Chemicals	44-45
7904.	गुजरात में ताप बिजली घर की सौराष्ट्र केमिकल्स को बिक्री	Sale of Thermal Plant in Gujarat to Saurashtra Chemicals . .	45
7905.	भविष्य निधि अनुभाग, डिवीजनल लेखा कार्यालय, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) के सुपरवाइजरी कर्मचारियों द्वारा गलत मासिक रिपोर्ट दिया जाना	False Submission of Monthly Reports by Supervisory staff of P.F. Section, D.A.O. New Delhi (Northern Railway) .	46
7906.	बिजली का उत्पादन	Generation of Power	46
7907.	तेल सम्बन्धी खुदाई कार्य के लिए भारी इंजीनियरी निगम, रांची द्वारा तेल तथा प्राकृतक गैस आयोग को बरमों की सप्लाई	Supply of Rigs for Oil Drilling to Oil and Natural Gas Commission by Heavy Engineering Corporation, Ranchi	46-47
7908.	कांगड़ा वैली रेलवे में काम कर रहे गैंगमैनों को वैकल्पिक रोजगार	Alternative Employment to Gangmen working on Kangra Valley Railway	47
7909.	कांगड़ा वैली रेलवे में कांगड़ा जिले में बेरियल पर स्टेशन बनाया जाना	Opening of a Station at Barial in Kangra District on Kangra Valley Railway	47

ता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7910.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ग्रामों का विद्युतीकरण करने के लिए हिमाचल प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Himachal Pradesh for Electrification of villages by R.E.C. . . .	47-48
7911.	कांगड़ा वैली रेलवे पर गुलेर और जोगिन्दर नगर के बीच रेलगाड़ियों का चलाया जाना	Running of Trains on Kangra Valley Railway between Guler and Joginder Nagar. . . .	48-49
7912.	रेलवे सेवा आयोग कलकत्ता द्वारा श्रेणी III तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पदों के लिए ली गई परीक्षा	Examination conducted by Railway Service Commission; Calcutta for Class III (Technical and Non-Technical post.	49
7913.	पूर्व रेलवे में गृह निर्माण के लिए ऋणों की लोकप्रियता	Popularity of House Building Advance on Eastern Railway .	49-50
7914.	महानगर परिवहन परियोजना, कलकत्ता के लिए गये सर्वोच्च अधिकारियों और तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के प्रति अपनाई जाने वाली भिन्न-भिन्न नीतियां	Different policies in respect of Top officials and Class III staff Drafted for Metropolitan Transport Project, Calcutta.	50-51
7915.	अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के विद्युत् विभाग में मास्टर क्राफ्ट फिटरों आदि का चयन	Selection of Master Craft Fitters etc. in Electric Department, Ajmer Division (Western Railway) . . .	51
7916.	छोटा नागपुर और संथाल परगना के पिछड़े क्षेत्रों में रेल-संचार व्यवस्था	Railway Communication in backward areas of Chottanagpur and Santhal Parganas . . .	51-52
7919.	लोक सभा के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित करने का तरीका	Method of Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the House of People	52
7920.	राजधानी एक्सप्रैस (दिल्ली हावड़ा मार्ग) के बैरों को नियमित करना	Regular status to Bearers of Rajdhani Express Train (Delhi-Howrah Route) . .	53
7921.	नैमित्तिक श्रमिकों का खपाया जाना	Absorption of casual labourers	53
7922.	गाजियाबाद में घरेलु उपयोग के लिए गैस के आवेदकों को इसकी सप्लाई	Supply of Domestic Gas to Applicants in Ghaziabad. .	54

तां० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7923.	ग्रामीण विद्युतीकरण और नए पम्पसैटों को बिजली देने के बारे में भविष्य में अपनाई जाने वाली नीतियां निर्धारित करने के लिए राज्यों के सिंचाई मन्त्रियों की बैठकें	Meeting of Ministers of Irrigation of States to decide future policies re: Rural Electrification and Energising New Pump-sets	54-55
7924.	तीस्ता तटबन्ध योजना के लिए पश्चिम बंगाल को सहायता	Assistance to West Bengal for Tista Embankment Scheme .	55
7925.	उड़ीसा में तेल क्षेत्रों की खोज	Discovery of Oil Fields in Orissa.	55
7926.	मारवाड़ वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल जोधपुर का जोधपुर डिवीजन (उत्तर रेलवे) में विलम्ब शुल्क तथा स्थान शुल्क दरों में वृद्धि के बारे में ज्ञापन	Memorandum from the Marwar Chamber of Commerce and Industry, Jodhpur regarding Increase in Demurrage and wharfage charges, Jodhpur Division (Northern Railway) .	55-56
7928.	किशनगंज दिल्ली की रेलवे कालोनी के लिए सुविधाएं	Amenities for Railway Colony, Delhi Kishan Ganj.	56
7929.	उत्तर प्रदेश में तापीय बिजलीघर स्थापित करने के बारे में उत्तर प्रदेश से अनुरोध	Request from U. P. regarding setting up of Thermal Power Station in U. P.	56-57
7930.	"सरजू योजना"	"Sarju Yojana" .	57
7931.	राजधानी एक्सप्रैस के लिए स्थायी संवर्ग की मंजूरी	Sanctioning of Permanent Cadre for Rajdhani Express . .	58
7932.	बांसपानी-जाखापुरा रेल मार्ग के निर्माण के लिए इंजीनियरी तथा यातायात संबन्धी अध्ययन दल में उड़ीसा सरकार का प्रतिनिधित्व	Orissa Government Representation in Study Group for Engineering-cum-Traffic Survey for construction of Banspani-Jakhapura Rail Link . . .	58
7933.	चौथी योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राशि	Outlays on Rural Electrification during Fourth Plan . . .	58-59
7934.	गांवों में हरिजन बस्तियों में बिजली लगाना	Electrification of Harijan Basties in villages	60
7936.	पटना में गंगा नदी पर बन रहे पुल ऊपर रेलवे लाइन का बिछाया जाना	Laying of Railway line on Bridge constructed over the Ganga at Patna . .	60

ता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7937.	बंगला देश को मिट्टी के तेल तथा पैट्रोलियम की सप्लाई	Supply of Kerosene Oil and Petroleum to Bangladesh . . .	61
7938.	मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में रायपुर से जगदलपुर तक रेलवे लाइन	Railway line from Raipur to Jagdalpur in Bastar District of Madhya Pradesh . . .	62
7939.	मध्य प्रदेश में विद्युत प्रजनन के लिए संसाधनों का उपयोग	Utilization of Resources for Generation of Power in M.P.	62
7940.	विद्युत् की कमी के कारण उर्वरकों के उत्पादन में कमी	Production of Fertilizers hit due to shortage of power . .	63
7941.	श्री शैलम के लिए केन्द्रीय सहायता	Central help for Sri Sailam .	63
7942.	निजी औद्योगिक एककों द्वारा "कैपटिव" विद्युत् प्रजनन संयंत्रों का स्थापित किया जाना	Setting up of Captive Power Generation Plants by Private Industrial Units . .	63-64
7943	आंध्र प्रदेश में मिट्टी के तेल तथा डीजल की अत्यधिक कमी	Acute scarcity of Kerosene and Diesel Oil in Andhra Pradesh .	64
7944.	दिल्ली तथा नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों के हैल्थ इन्स्पैक्टरों को साप्ताहिक छुट्टी तथा समयोपरि भत्ता देना	Weekly rest and Overtime allowance to Health Inspectors of Delhi and New Delhi Railway Stations	64-65
7945.	कमला नदी के तटबन्धों का विस्तार	Extension of Kamala River Embankments	65
7946.	भारतीय क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर का पूरा होना	Completion of Western Kosi Canal in Indian Territory . .	65-66
7947.	नेपाल द्वारा भारत से पैट्रोलियम आयल और लूब्रीकेंट उत्पादों का आयात	Import of Petroleum Oil and lubricant products from India by Nepal . . .	66
7948.	विद्युत् प्रजनन योजनाओं के लिए धनराशि	Funds for Power Generation Schemes	66
7949.	फरक्का बांध की पोषक नहर	Feeder Canal of Farakka Barrage	66-67
7950.	भारतीय उर्वरक निगम के कार्यकरण के बारे में अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of Study Team about Working of Fertilizer Corporation of India	67
7951.	धुवरन विद्युत् संयन्त्र को पर्याप्त मात्रा में अवशिष्ट ईंधन तेल की सप्लाई	Supply of sufficient Quantity of Residual Fuel Oil to Dhuvaran Power Plant . . .	67
7952.	उकई जल विद्युत् परियोजना का पूरा होना	Completion of Ukai Hydro Power Project	68

ता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7953.	चैक देने में विलम्ब के बारे में ठेकेदारों द्वारा डिवीजनल एकाउन्ट्स आफिस, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत	Complaints by contractors against staff of Divisional Accounts Office (Northern Railway), New Delhi for delay in issue of cheques	68
7954.	जयन्ती जनता एक्सप्रैस की गति बढ़ाना तथा उसके कोचीन से छूटने के समय में परिवर्तन करना	Change in Departure Time of Jayanti Janta Express from Cochin and increasing its speed.	68-69
7955.	दक्षिण रेलवे में नई रेलवे डिवीजन	New Railway Division in Southern Railway	69
7956.	केरल में वर्कशापों और स्टोर डिपुओं की स्थापना	Setting up of Workshops and Stores Depots in Kerala . .	69-70
7957.	बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के लिए राजस्थान को सहायता	Assistance to Rajasthan for flood Control purposes. .	70
7958.	केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के प्रमुख अधिकारी को सचिव का दर्जा दिया जाना	Secretary's status to Chief of Central Water and Power Commission.	70-71
7959.	दामोदर घाटी निगम द्वारा बंगाल, बिहार और अन्य राज्यों को बिजली की सप्लाई	Supply of Power by D.V.C. to Bengal, Bihar and other States .	71
7960.	प्रतिमास 200 रुपयों से कम तथा 1000 रुपयों से अधिक वेतन पाने वाले रेलवे कर्मचारी	Railway Employees getting Pay less than Rs. 200/- and more than Rs. 1000/- per month . .	71
7961.	कोडेरमा (बिहार) में एक ऊपरिपुल का निर्माण	Construction of an over-bridge at Koderma (Bihar) . . .	71-72
7963.	औषधि उद्योगों द्वारा अर्जित लाभ की प्रतिशतता तथा 'ब्रांड' नामों की समाप्ति	Percentage of Profits being made by Drug Industries, and Abolition of Brand names	72
7964.	निर्मली से सरायगढ़ तक पुरानी रेल लाइन को पुनः चालू करना	Reopening of Old Railway line from Nirmali to Saraigarh	72
7965.	पूर्वोत्तर रेलवे की बथनाहा—भीमनगर नैरो गैज लाइन को ब्राडगेज लाइन में बदलना	Conversion of Bathnaha-Bhimnagar narrow gauge line into Broad Gauge (North Eastern Railway) . . .	72-73
7966.	एकमा-वीना हाल्ट को स्टेशन में बदलना	Conversion of Akma-Vina halt as a Full-fledged Station. .	73

ता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7967.	भावनगर में लाइट डीजल तेल की कमी	Shortage of light Diesel Oil in Bhavnagar	73
7968.	कोयला ले जाने के लिए माल डिब्बों की सप्लाई में कमी के कारण बड़ौदा में कपड़ा मिलों को हुई कठिनाई	Difficulties experienced by Textile Mills in Baroda due to short supply of wagons for carrying coal . . .	74
7969.	शास्त्री भवन के एक भाग पर भारतीय तेल निगम का अधिकार	Occupation of a portion of Shastri Bhawan by Indian Oil Corporation .	74-75
7970.	लखनऊ-बहराइच सड़क पर रेलवे फाटक और चौकघाट के पश्चिम में पहले रेलवे फाटक के बंद रहने का समय	Duration of closure of Lucknow Bahraich Road Crossing and First crossing west of Chowkaghat	75
7971.	बिजली की कमी के बारे में राज्यों के विद्युत् मंत्रियों/चीफ इंजीनियरों का सम्मेलन	Conference of States' Ministers of Power/Chief Engineers on Power shortage	75
7972.	दामोदर घाटी निगम में कार्य कर रहे 'ट्रेड एप्रेंटिसिज'	Trade Apprentices engaged in D.V.C.	75-76
7973.	एकीकृत रेलवे पुलिस फोर्स	Unified Railway Police Force	76
7974.	पर्यटकों के लिए किराये की विशेष दरें आरम्भ किया जाना	Introduction of Special Fares for Tourists	76-77
7975.	रावी-ब्यास के पानी पर हरियाणा का दावा	Haryana's claim over Ravi-Beas Waters	77
7976.	ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के वर्तमान उत्पादन का मूल्य	Value of current production and demand of Drugs and Pharmaceuticals.	77-78
7977.	उर्वरकों की माँग और सप्लाई में अन्तर	Gap between demand and supply of Fertilizers	78
7978.	विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों के उत्पादन और स्वदेशी उत्पादन की तुलना तथा 1972 के दौरान उनके द्वारा अर्जित लाभ	Comparison of turn-over of foreign drug firms with indigenous production and profits made by them during 1972 .	78
7979.	दिल्ली से सौराष्ट्र क्षेत्र तक एक सीधी रेलगाड़ी चलाना	Introduction of a direct train from Delhi to Saurashtra region .	78-79
7980.	गुजरात में विद्युत् का उत्पादन	Generation of power in Gujarat . .	79

ता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7981.	विदेशी फार्मास्यूटिकल्स कम्पनियों द्वारा विनियमों को क्रियान्वित न किये जाने के बारे में शिकायतें	Complaints re: non-implementation of regulations by foreign pharmaceutical companies.	79
7982.	विदेशी तेल कम्पनियों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की शेयर पूंजी तथा उससे अर्जित लाभ	Share capital of O. & N.G.C. in foreign Oil companies and profits earned thereon . .	79-80
7983.	दरियागंज रेलवे स्टेशन पर शैड	Shed at Daryaganj Railway Station	80-81
7985.	"टोटल एनर्जी और एनर्जी सबस्टीट्यूशन" पर गोष्ठी	Seminar on "Total energy and energy substitution" . . .	81
7987.	इन्दौर (मध्य प्रदेश) में दिये गये ड्रग लाइसेंस	Drug licences given in Indore (M.P.)	81
7988	मैसर्स मर्क शार्प एण्ड डोम आफ इंडिया लिमिटेड और मैसर्स मे एण्ड बेकर द्वारा क्रमशः इन्डोमैथासिन तथा फ्लैजील का आयात	Import of Indomethacin and Flagyl by M/s. Merch Sharp and Dhome of India Limited and M/s May & Baker respectively.	81-82
7989.	बल्क ड्रग्स के मूल्य निर्धारित करना	Fixation of Prices of bulk drugs.	82-83
7990.	औषध मूल्य (नियंत्रण आदेश), 1970 के उपबन्ध के अन्तर्गत बल्क ड्रग्स की बिक्री	Sale of bluk drugs under the provision of Drug Prices (Control Order) 1970. . . .	83-84
7991.	अगले दो वर्षों में उड़ीसा में शुरू की जाने वाली सिंचाई परियोजनाएं	Irrigation projects to be taken up in Orissa in next two years .	84
7992.	वर्ष 1972-73 के दौरान रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने से राजस्व को हुई हानि	Revenue loss during 1972-73 due to ticketless travel . . .	84
7993.	ईराकी पैट्रोलियम कम्पनी द्वारा मुकदमा वापिस लेना	Withdrawal of suit by Iraqi' Petroleum Company . . .	84
7994.	पश्चिम बंगाल द्वारा ग्राम विद्युतीकरण के लिए वित्तीय सहायता मांगना	Assistance sought by West Bengal for Rural Electrification . .	85
7995.	देश में सिंचाई योजनाओं के लिए तदर्थ सहायता	Adhoc Assistance for Irrigation schemes in the country . .	85-86

ता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7996.	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को लाभकारी कार्य दिया जाना	Remunerative Assignments to Judges of High Courts . .	86-87
7997.	दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के जनरेशन इंजीनियरों और सुपरवाइजर एसोसिएशन की मांगों की जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee appointed to enquire into demands of D.E.S.U. Generation Engineers and Supervisors Association. .	87-88
7998.	जनजाति क्षेत्रों में सिंचाई तथा बिजली इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास	Development of Irrigation and Power Infrastructure in Tribal Areas.	88-89
7999.	उड़ीसा और बिहार के जनजाति क्षेत्रों में सिंचाई का स्तर	Level of Irrigation in Tribal Areas of Orissa and Bihar	89
8000.	चौथी योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा पूंजी निवेश	Investment by Rural Electrification Corporation in Fourth Plan .	89-90
8001.	प्रशिक्षण तथा प्रतिनियुक्ति के लिए विदेशों में भेजे गए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के अधिकारी	Officers belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes sent for Training and on deputation abroad	90-91
8002.	देश के पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण	Survey for Railway lines in backward areas of the country .	91
8003.	उत्तर प्रदेश द्वारा विद्युत् की कमी को पूरा करने के लिए मांगी गई सहायता	Assistance sought by U. P. for meeting power shortage . .	91
8004.	पूर्व ज़ोन रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदात्री समिति, दानापुर की बैठक में रेलवे कर्मचारियों द्वारा दंगा	Disturbance by Railway Employees at a meeting of East-Zone Rail-Way Users' Consultative Committee, Danapur. . . .	92
8005.	जापानी फर्म द्वारा ड्रिलिंग प्लेटफार्म की डिलिवरी	Delivery of drilling platform by Japanese Firm . .	92
8006.	आसाम और गुजरात में प्राकृतिक गैस का प्रयोग	Utilisation of Natural Gas in Assam and Gujarat . . .	92-93
8007.	कच्चे माल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय तेल निगम का मनाली (मद्रास) स्थित मैसर्स नागपाल अम्बादी पैट्रोलियम कैमिकल रिफाइनिंग लिमिटेड के साथ समझौता	Agreement of I.O.C. with M/s Nagpal Ambadi Petro-Chemical Refining Ltd. at Manali (Madras) for meeting Feedstock requirements . . .	93

ता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8008.	भारत बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग द्वारा की गई प्रगति	Progress made by Indo-Bangladesh Joint Rivers Commission.	93-94
8009.	पूर्वोत्तर रेलवे जोन के संसद सदस्यों द्वारा सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के बीच सीधा रेल सम्पर्क स्थापित करने की मांग	Demand made for Direct Rail link between Sitamarhi and Muzaffarpur by Members of Parliament from North Eastern Railway Zone.	94
8010.	पश्चिम बंगाल में बाढ़ संरक्षण परियोजनाएं	Flood protection projects in West Bengal	94-95
8011.	मुर्शिदाबाद-बीरभनी सीमावर्ती क्षेत्र पर "बसीरा बिल" की ड्रैनेज चेनल परियोजना	Drainage channel project of "Basira Bill" on Murshidabad-Birbhani Border Area	95-96
8012.	उत्तर रेलवे की कार्मिक शाखाओं के कार्य कर रहे अर्हता प्राप्त अधिकारी	Technically qualified officers working in personnel branches on Northern Railway	96
8013.	बिहार में चोरी छिपे कोयला ले जाने वाले गिरोह का पता लगाना	Racket of smuggling of coal unearthed in Bihar.	96-97
8014.	1968 की आम हड़ताल में भाग लेने वाले उत्तर रेलवे के कर्मचारी	Railway Employees of Northern Railway who participated in 1968 General Strike.	97
8015.	श्री आर० बी० लाल की अध्यक्षता में एक सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन	Implementation of recommendations of one man Expert Committee headed by Shri R. B. Lal	97-98
8016.	दक्षिण पूर्व रेलवे (विद्युतीकरण) में काम कर रहे कलकत्ता विद्युतीकरण परियोजना (रेलवे) के कर्मचारी	Employees of Calcutta Electrification project (Railways) working in South Eastern Railway (Electrification)	98
8017.	बोंगईगांव में पैट्रो-रसायन समूह की स्थापना	Setting up of Petro-chemical complex at Bongaigaon.	98-99
8018.	अवकाश/ग्रीष्म यातायात सम्भालने के लिए कार्यक्रम	Programme to cope with Holiday/Summer Traffic	99
8019.	पश्चिम रेलवे के साबरमती रेलवे स्टेशन के बुकिंग कार्यालय से कैश की चोरी	Cash stolen from Booking Office of Sabarmati Railway Station (Western Railway)	99-100
8020.	मद्रास, ओलावक्कोड और मदुरै के आरक्षण कार्यालय में स्थान की कमी	Congestion in Reservation Office, Madras, Olavakkode and Madurai.	100

ता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8021.	भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकर को बढ़ने से संबन्धित दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे	Cases relating to Enhancement of compensation under the land Acquisition Act with Delhi High Court	100
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	100—107
	अन्न उपलब्ध न होने एवं पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से व्यक्तियों की मृत्यु होने के कारण महाराष्ट्र में कथित आन्दोलन	Reported agitation in Maharashtra over non-availability of food supplies and deaths due to Police firing	100—107
	प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate .	100—101
	श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasahib P. Shinde .	101—107
	सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table .	107
	लोक-लेखा समिति— 85वां और 86वां प्रतिवेदन	Public Accounts Committee— Eighty-fifth and Eighty-sixth Reports	107—108
	सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति— 28वां प्रतिवेदन—तथा कार्यवाही सारांश और 36वां प्रतिवेदन	Committee on Public Undertakings— Twenty-eighth Report—Minutes and Thirty-sixth Report. . .	108
	नियम 377 के अन्तर्गत मामले	Matters under Rule 377 .	108—109
	(i) मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारी का माननीय सदस्य के साथ कथित दुर्व्यवहार	(*i*) Alleged Misbehaviour by Police Officials of Madhya Pradesh with a Member. .	108—109
	(ii) राजस्थान में सीमेंट की भारी कमी	(*ii*) Acute Shortage of Cement in Rajasthan	109
	(iii) कोयले का उपलब्ध न होना	(*iii*) Non-availability of Coal . .	109
	अनुदानों की मांगें, 1973-74—	Demands for Grants, 1973-74—	109—134
	विदेश मंत्रालय—	Ministry of External Affairs—	109—122
	श्री हरि किशोर सिंह	Shri Hari Kishore Singh . .	109—110
	श्री बी० आर० भगत	Shri B. R. Bhagat . .	110—112
	श्री वी० के० कृष्ण मेनन	Shri V. K. Krishna Menon .	112—113
	श्री डी० पी० जदेजा	Shri D. P. Jadeja . .	113—114
	श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar . .	114
	श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan . .	115
	प्रो० नारायण चंद पाराशर	Prof. Narain Chand Parashar .	115
	डा० हरि प्रसाद शर्मा	Dr. H. P. Sharma . . .	115—116

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik .	116—122
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh . .	122
रक्षा मंत्रालय—	Ministry of Defence—	122—134
डा० सरदीश राय	Dr. Saradish Roy . . .	126—128
श्री चन्दुलाल चन्द्राकर	Shri Chandulal Chandrakar	128
श्री एन० श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair . .	128—129
श्री बृजराज सिंह—कोटा	Shri Brij Raj Singh—Kotah .	129—130
श्री मुख्तियार सिंह मलिक	Shri Mukhtiar Singh Malik .	131—133
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	Shri Vishwanath Pratap Singh .	133—134

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 24 अप्रैल, 1973/4 वैशाख, 1895 (शक)

Tuesday, April 24, 1973/Vaisakha 4, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के इंजीनियरों का आन्दोलन

†

*821. **श्री शशि भूषण**
श्री महादीपक सिंह शाक्य } : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 मार्च, 1973 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में डेसू इंजीनियर्स प्लान डायरेक्ट एक्शन (दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के इंजीनियरों की सीधी कार्यवाही की योजना)" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) शिवशंकर समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के इंजीनियरों की संस्था की मुख्य मांग इंजीनियरों के विभिन्न ग्रेडों के संशोधित वेतनमानों के कार्यान्वयन के संबंध में है। दिल्ली विद्युत् प्रदाय समिति ने दिल्ली नगर निगम को उनके विचारार्थ संशोधित वेतनमानों की सिफारिश की है। इंजीनियरों की सेवा-शर्तों इत्यादि के संबंध में शिवशंकर समिति की अन्य सिफारिशों की दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान द्वारा जांच की जा रही है।

Shri Shashi Bhushan : May I know when the report of Shivshankar Committee will be implemented ? I would also like to know as to how much less the Delhi Engineers are getting as compared to their counterparts in neighbouring States such as U.P. and Haryana ? I would also like to know as to when the Delhi Electricity Board will be taken over keeping in view the numerous reports of Coruption.

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : वेतनमानों सम्बन्धी शिवशंकर कमेटी की सिफारिश को दिल्ली नगर निगम द्वारा क्रियान्वित किया जाना है क्योंकि यह निकाय उसके अधीन है। समिति के प्रतिवेदन का अब हिन्दी और उर्दू में अनुवाद किया जा रहा है। इसमें एक महीना लग जाएगा और उसके बाद दिल्ली नगर निगम द्वारा उन्हें अन्तिम स्वीकृति देनी होगी, इस समय दिल्ली विद्युत् प्रदाय कमेटी ने विभिन्न ग्रेडों के लिए बढ़े हुए वेतनों सम्बन्धी शिवकशंकर कमेटी की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। परन्तु इसको तब तक क्रियान्वित नहीं किया जा सकता जब तक दिल्ली नगर निगम इसको स्वीकार न कर ले। वह प्रतिवेदन के अनुवाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है शिवशंकर कमेटी द्वारा सुझाये गये वेतनमान काफी अच्छे हैं। मैं आशा करता हूं कि दिल्ली नगर निगम द्वारा इनको स्वीकार करना सम्भव होगा। वर्तमान वेतनमान देश में अन्य स्थानों पर विद्यमान वेतनमानों के तुलनात्मक हैं। परन्तु, बढ़ती हुई लागत तथा अन्य कारणों को देखते हुए शिवशंकर कमेटी ने जो वेतनमान सुझाए हैं वे उचित हैं।

जहां तक इस निकाय को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेने का सम्बन्ध है इस मामले पर विचार किया जा रहा है। अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। मामला अभी विचाराधीन है।

Shri Shashi Bhushan : The report of the Shivshankar Committee was in English and they had accepted the recommendations made therein. I do not understand why delay is being done in accepting those recommendations for want of translation only. Recommendations will remain recommendation. They may be implemented in English, Hindi or Urdu. I want to know the reasons for delay in implementation.

Secondly in regard to taking over of Delhi Electricity Board is concerned you have stated that Corporation is not implementing it. May I know the directions being given to them in regard to the report of the Committee.

डा० के० एल० राव : कमेटी का अन्तिम प्रतिवेदन जनवरी, 1973 में प्राप्त हुआ था। हमने इसे तुरन्त दिल्ली विद्युत् प्रदाय उपक्रम को दे दिया था परन्तु उन्होंने अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप देने में दो महीने का समय लिया और फिर दिल्ली नगर निगम को भेजा। मेरे विचार में वे सदस्य हिन्दी अथवा उर्दू पढ़ते हैं और अब केवल अनुवाद का ही मामला है जिसमें लगभग एक महीना लगना है। यह मामला हमसे सम्बन्धित नहीं है। यह दिल्ली नगर निगम से सम्बन्धित है और हमें अनुवाद के लिए आवश्यक समय उन्हें देना ही है।

Shri Shashi Bhushan : Mr. Speaker, Sir, the translation should be done simultaneously in future so that there may not be any delay in implementing the report of any Committee.

Shri Mahadeepak Singh Shakya : The Engineering Department has special significance and they have threatened in the newspaper of 24th March that if their demands are not met the Delhi Municipal Corporation will have to face a serious crisis. I want to know what immediate steps have been taken to solve this problem ?

डा० के० एल० राव : यह सच है कि विद्युत् इंजीनियर देश में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और वे प्रशंसा के पात्र हैं तथा उन्हें उचित वेतनमान दिये जाने चाहिएं। परन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वे धमकी दें और आन्दोलन का रवैया अपनायें। विद्युत् क्षेत्र बहुत नाजुक क्षेत्र है। यदि एक बार उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो वे अगले छः महीने अथवा एक वर्ष अथवा इससे भी अधिक समय तक कार्य नहीं कर सकते। मेरा विद्युत् इंजीनियरों से अनुरोध है कि वे हड़ताल न करें। इस मामले विशेष में हमने सम्बन्धित इंजीनियरों से बातचीत की थी और मेरे विचार में वे हड़ताल नहीं करेंगे।

Shri R. S. Pandey : May I know whether any such rapproachment is going to be bad with the power engineers whereas Government may not have to face with the threat, strikes, direct action and all such things and that the purpose of the engineers and Government is met automatically and people may not have to face any trouble ?

डा० के० एल० राव : ऐसा कोई सरकारी निकाय नहीं है। ऐसे कुछ संगठन हैं जिनके विभिन्न राज्यों के विद्युत् इन्जीनियर सदस्य हैं। अभी राजस्थान के विद्युत् इन्जीनियरों ने हड़ताल कर रखी है इससे राजस्थान सरकार को काफी कठिनाई हुई है। मुझे पता लगा है कि एसोसियशन के प्रेजीडैन्ट ने धैर्य रखने तथा हड़ताल समाप्त करने का परामर्श दिया है, मैं इस सदन के माध्यम से देश के सभी विद्युत् इंजीनियरों से अपील करता हूं कि वे हड़ताल न करें। हम उनकी शिकायतों की जांच करेंगे और सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय को बातचीत में भाग लेने तथा इस बात में कि इनके साथ न्याय हो बड़ी प्रसन्नता होगी। परन्तु वे हड़ताल न करें। विद्युत् संकट बहुत नाजुक है।

Shri R. P. Yadav : Even within the strike of the power engineers there is frequent failure of electricity in Delhi. We, who are living in North and South Avenues, have to live in dark for hours together. May I know whether any effective step is being taken in this regard ?

डा० के० एल० राव : दिल्ली में बिजली फेल होने के हड़ताल के अतिरिक्त अन्य कारण हैं। देश के अन्य भागों की तुलना में दिल्ली में बिजली कम फेल होती है। दिल्ली में बिजली काफी है। हमें उन्हें स्थिति को सुधारने के लिए कहना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा न हो। में दिल्ली विद्युत् प्रदाय उपक्रम से कहूंगा कि वह और अधिक सावधानी से काम लें ताकि सदस्यों को असुविधा हो।

Shri B. S. Bhaura : The engineers give threat because their demands are not met and it has become the habit of Government that unless threat of strike is not given to Government it does not listen to anything. May I know whether any such machinery will be evolved whereby their grievances are looked into and meetings are held with them at times and their demands are conceded and that such situation is not risen as is prevailing in Haryana ? May I know whether he will consider it ?

डा० के० एल० राव : सुझाव के लिए मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं। हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे।

Adulteration in Petrol

†

*822. **Shri D. B. Chandra Gowda**
Shri M. S. Purty : } : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government have received reports regarding emission of smoke by most of the vehicles on account of adulteration in petrol; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कुछ मामलों को छोड़कर सरकार को कोई शिकायतें नहीं मिली हैं कि मोटर स्पिरिट (जिसको पैट्रोल कहा जाता है) में अधिक मिलावट के कारण गाड़ियों से धुआं निकलता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री डी० बी० चंद्रगोडा : माननीय मन्त्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि धुआं निकलता है परन्तु बड़े पैमाने पर नहीं । मुझे इस बारे में अनेक शिकायतें मिली हैं विशेषकर बंगलौर से कि न केवल धुआं निकलता है बल्कि उससे बदबू भी आती है । मामले की जांच तथा मामले को ठीक करने के लिए मन्त्री महोदय का विचार क्या कार्यवाही करने का है ।

श्री दलबीर सिंह : उन्होंने एक मामले का उल्लेख किया है और हम उसकी जांच करेंगे ।

श्री डी० बी० चन्द्रगोडा : क्या गत वर्ष की तुलना में पैट्रोल की कम खपत होने का यह भी एक कारण है ?

श्री दलबीर सिंह : 1970 में पैट्रोल की खपत 14,10,000 टन थी । 1971 में 15,60,000 टन और 1972 में 15,86,000 टन । यह कहना गलत है कि पैट्रोल की खपत में कमी आई है ।

श्री डी० बी० चन्द्रगोडा : मेरा प्रश्न यह था कि पैट्रोल की खपत कम होने का यह एक कारण है और यदि नहीं तो क्या कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आंकड़े दे दिये हैं । पैट्रोल की खपत में कमी नहीं हुई है ।

Shri M. S. Purti : The hon. Minister has stated that there is no large scale adulteration in the petrol and that he has not received any complaint in this regard. There are some small cases. May I know whether these small cases cannot become big ones in future and that there cannot be any air pollution with them ? May I know the steps being taken by Government to check these small cases.

Shri Dalbir Singh : If we receive lot of cases only then it can be said that there is large scale adulteration. But if such cases are very few then it is thought that there are nominal complaints. We have received only three complaints about this—one is from Ludhiana, the dealership of the person concerned has been cancelled. Second was from Delhi and this cannot be substantiated. Third case was also from Delhi and in this case warning has been issued. Whenever we receive such case action is taken against the person concerned .

श्री के० लकप्पा : माननीय मंत्री ने बहुत ठोस तथा व्यापक उत्तर दिया है । इस बात को देखते हुए कि गत अनेक वर्षों से पैट्रोल में मिश्रण हो रहा है और ऐसा पैट्रोल व्यापारियों

तथा एजेन्टों द्वारा दिया जा रहा है, क्या मंत्रालय डीलरशिप अथवा ऐसे लोगों की जो इस प्रकार की मिलावट कर रहे हैं, एजेन्सियों का पुर्नगठन करने पर विचार कर रहा है ?

श्री दलबीर सिंह : जहां तक पैट्रोल में मिलावट का सम्बन्ध है व्यापारियों द्वारा लोअर बायलिंग साल्वैन्ट्स मिलाये जाने की सम्भावना है। पैट्रोल के उत्पादों की खपत को कम करने के लिए नियुक्त की गई उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने सुझाव दिया है कि 'लोअर बायलिंग साल्वैन्ट्स' और मोटर स्पिरिट के मूल्य समान होने चाहिएं। इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है और इस उपाय के साथ अब साल्वैन्ट्स और एम० एस० के मूल्य में कोई अन्तर नहीं है। अतः अब मिश्रण की गुंजाइश बहुत कम है ।

श्री के० लकप्पा : मेरा प्रश्न बिल्कुल अलग है। उसका उत्तर नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : वह डीलरशिप सम्बन्धी नीति के बारे में किये गये परिवर्तन के बारे में पूछ रहे हैं । आप 'हां' अथवा 'न' में उत्तर दें।

श्री दलबीर सिंह : जहां तक डीलरशिप और एजेन्सियों के पुनर्गठन का सम्बन्ध है उन के सुझाव पर विचार किया जायगा ।

Shri Atal Behari Vajpayee : The people are mixing water in Milk. May I know whether there will be no adulteration of milk by ravising the price of water ?

Mr. Speaker : Water is also of different type.

श्री के० चिक्कलिंगैया : क्या यह सच है कि पुराने पिस्टन के कारण पूरे 'कम्बस्टन' पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके और मंत्री महोदय के बीच नहीं आना चाहता। वह आप को संतुष्ट कर सकते हैं । आप उनको उत्तर देने का अवसर दीजिए।

श्री० के० चिक्कलिंगैया : क्या यह सच है कि खराब पिस्टन के कारण पूरे कम्बस्टन पर प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि कार्बनडाइाक्साइड और मानोक्साइड जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं निकल जाते हैं तो क्या यह देखना आवश्यक नहीं है कि इस बारे में कुछ किया जा सके।

श्री दलबीर सिंह : मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

Shri Hukam Chand Kachwai: May I know whether any such machinery has been evolved whereby petrol pumps specially those which are in the countryside and are not on the mainline and where petrol mixed with kerosene is sold, can be checked ? May I know whether any such law has been enacted that adulterators will be severely punished ?

If no such law has been enacted whether there is any proposal to make such law.

Shri Dalbir Singh : So far as the question of kerosene or its distribution is concerned the State Governments have full powers under the Essential Commodities Act. They are fully competent to deal with any such complaint which they might receive from any area. In this matter our agency is State Government concerned and we act only through it. State Governments normally take action on receipt of such complaints.

Shri Hukam Chand Kachwai: Are you going to make any law whereby severe punishment can be awarded to adulterators?

Mr. Speaker : This has always been your practice howsoever clear answer may be given.

Shri Hukam Chand Kachwai : Have they enacted any law for adulteration?

Mr. Speaker: He has already told you that there is a law for that.

Shri Madhu Lamaye: Mr. Speaker, you may remember that some years before they have done miracle by putting fire in the Ganges. The stolen oil of Barauni refinery was put into Ganges and not only that the oil is being stolen from all the public sector refineries and the Government is not getting any price for that and adulteration is done in that and hence I want to know (*Interruptions*). Are you functioning as a Speaker ? I am seeing that all members of Congress Party have become Speakers.

Mr. Speaker : Don't involve the Speaker in it.

Shri Madhu Lamaye : May I know whether Government will enquire into this matter of stolen oil for which adulterated petrol is being distributed. Stolen petrol is being sold in the market after adulteration.

Shri Dalbir Singh: When the hon. Member will bring any such case in my notice I will take action on that.

Shri Madhu Lamaye : What the Security Staff of the refineries is doing. You can not have same anwer for all questions.

(*Interruptions*)

सूखाग्रस्त राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की दिल्ली में बैठक

†823. **श्री पी० गंगादेव**
श्री प्रसन्नभाई मेहता } : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 21 मार्च, 1973 को नई दिल्ली में सभी सूखाग्रस्त राज्यों के मुख्य मंत्रियों की जो बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने भाग लिया था ;

(ख) क्या उक्त बैठक की कार्यवाही के दौरान सिंचाई कार्यों के लिए जल के बारे में भी चर्चा हुई थी ; और

(ग) यदि 'हां', तो उक्त बैठक में क्या निर्णय किए गए ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) गेहूं के थोक व्यापार को हाथ में लेने पर विचार-विमर्श करने और इसको अन्तिम रूप देने के लिए 24-2-1973 को नई दिल्ली में मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। इसमें सिंचाई और विद्युत् मंत्री ने भाग नहीं लिया था। 21 मार्च, 1973 को सूखाग्रस्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में मुख्य-मंत्रियों का कोई सम्मेलन नहीं हुआ था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पी० गंगादेव : यद्यपि सम्मेलन में विशेषकर देश में सूखे की स्थिति पर चर्चा नहीं की गई, किन्तु चूंकि अब गर्मी के महीने चल रहे हैं मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उड़ीसा के गत वर्ष के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है जिनमें नलकूप, उठाऊ सिंचाई सम्बन्धी वे सुविधाएं आदि सम्मिलित हैं जिनकी मंजूरी दे दी गई हैं अथवा दिए जाने का प्रस्ताव है।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : उड़ीसा राज्य में कोई विशेष उपाय नहीं किए गये हैं। जहां तक आपातकालीन कृषि उत्पादन का सम्बन्ध है उठाऊ सिंचाई, नलकूप और नलकूपों को बिजली देने आदि कार्यों के लिये जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों के लिये आपातकालीन योजनाएं आरम्भ करने के लिये 150 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इस कार्य के लिये उड़ीसा को भी कुछ राशि दी गई थी मुझे सही-सही यह ज्ञात नहीं है कि उसका सदुउपयोग किया गया है अथवा नहीं। चूंकि अन्य सभी राज्यों ने अच्छा उपयोग किया है, अतः उड़ीसा ने भी उसका उचित उपयोग किया होगा।

श्री पी० गंगादेव : क्या सरकार भारत के सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों में आस्ट्रेलिया की भांति आर्टिजियन वैल (उत्सुत कूप) बनाने पर विचार कर रही है?

डा० के० एल० राव : उत्सुत कुप प्रकृति की देन है। यह ऐसा कुआं होता है जिससे पृथ्वी तल से भी ऊचां पानी निकलता है। यह सम्भव नहीं है कि जहां चाहें आर्टिजियन कूप बना लिये जाएं। माननीय सदस्य के ध्यान में कौन-सा विशेष क्षेत्र है, मुझे उसका पता नहीं है। यदि किसी क्षेत्र में भी ऐसा कुआं बनाना सम्भव हुआ तो हमारा प्रयत्न होगा कि वहां कुआ बनाया जाए।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा है कि सिंचाई और विद्युत् मंत्री ने इस बैठक में भाग नहीं लिया था अतः पूछे जाने के लिये कोई विशेष बात नहीं बचती। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री को उस बैठक में आमंत्रित किया गया था। दूसरे, क्या उन्हें ज्ञात है कि सम्पूर्ण देश में खाद्यन्न की भारी कमी है तथा गुजरात में स्थिति अत्यंत गम्भीर हैं? क्या गुजरात के सदा सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों की स्थिति में सुधार करने के लिये नर्मदा परियोजना की शीघ्र क्रियान्विति का कोई भी प्रस्ताव है?

डा० के० एल० राव: यह प्रश्न कृपि मंत्रालय से सम्बद्ध है; यह मेरे मंत्रालय के पास गलती से भेज दिया गया था। किन्तु जिस समय हमने सम्बद्ध मंत्रालय का ध्यान इस ओर दिलाया तो उस मंत्रालय के पास प्रश्न भेजे जाने के लिए समय बहुत कम रह गया था तथा उसी कारण मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। इसी कारण से मैंने अपने सहयोगी, कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, से यह अनुरोध किया था कि वह सदन में उपस्थित रहें क्योंकि मेरे लिये इस प्रश्न के कारण कोई कठिनाई आ सकती है। वह इसीलिये यहां उपस्थित भी हैं।

जहां तक गुजरात में सूखे की स्थिति का सम्बन्ध है, यह भलीभांति ज्ञात है कि गुजरात क्षेत्र देश का अत्यंत सूखाग्रस्त क्षेत्र है। कई परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं। नर्मदा के जल का उपयोग किया जाना है। सरकार का यही उद्देश्य है।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : नर्मदा परियोजना के बारे में मंत्री महोदय सदा मौन ही रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस साधारण प्रश्न के साथ उन सभी बातों को क्यों जोड़ा जाता है। आप नर्मदा का प्रश्न हर अवसर पर नहीं उठा सकते। यहां इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री जगन्नाथ राव : विभिन्न राज्यों के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में नलकूप लगाने के अतिरिक्त क्या मंत्रालय की नदियों पर अस्थाई बांध लगाने की योजना तथा कुछ छोटी सिंचाई योजनाएं हैं जिससे कठिनाइयों को दूर किया जा सके ?

डा० के० एल० राव : इन छोटी सिंचाई योजनाओं का सम्बन्ध कृषि मंत्रालय से है।

श्री बी० वी० नायक : हमारे देश के विशेषकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बहुत सी सिचाई परियोजनाओं को, जिनका सम्बन्ध कृषि मंत्रालय तथा सम्बद्ध राज्य के मुख्य मंत्रियों से है, जैसे कि कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा अथवा गोदावरी, अन्तर्राज्यीय जल विवाद के कारण पूरा नहीं किया गया। इस तथ्य को ध्यान में रख कर क्या मंत्री महोदय सभी नदी जल संसाधनों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार करेंगे जिससे सूखा ग्रस्त तथा अकाल ग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों की समस्याओं को हल किया जा सके ?

डा० के० एल० राव : माननीय सदस्य ने इन विवादों को यथाशीघ्र हल किये जाने का समर्थन किया है जिससे जल को राष्ट्रीय परिसम्पत्ति माना जा सके। इसके लिये मैं उनका आभारी हूं।

Shri Ramavatar Shastri: Mr. Speaker, Sir, I want to know from the hon. Minister whether Government have made certain scheme to make special arrangements for irrigation in the drought affected areas and if so, the details thereof.

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न यह था कि क्या उन्होंने मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया था। अब आप यह प्रश्न पूछ रहे हैं।

डा० के० एल० राव : यह सच है कि एक तिहाई देश में गम्भीर रूप से सूखा की स्थिति रहती है तथा उन सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये अधिक से अधिक सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने का ही सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिये। मुख्य सिफारिश यह है। अतः सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिये यथासम्भव सिंचाई सुविधाएं देने के लिए हर प्रयत्न किये जायेंगे।

श्री एम० सत्यनारायण राव : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें ज्ञात है कि आंध्र प्रदेश में बहुत सी परियोजनाएं अभी तक अधूरी पड़ी हैं। आंध्र प्रदेश में सूखा की अभूतपूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इन परियोजनाओं को पूरा कराने के लिये, विशेषकर मानर परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि मंजूर करने का है ?

अध्यक्ष महोदय : आप को पूछना चाहिये कि क्या मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस विषय पर भी चर्चा की गई थी।

डा० के० एल० राव : सरकार को सिंचाई के महत्व तथा अधिक से अधिक भूमि के लिये सिंचाई साधनों की आवश्यकता का पता है । अतः सरकार कुछ परियोजनाओं का चयन कर रही है जिनके लिये अतिरिक्त सहायता दिये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है जिससे वे परियोजनाएं यथाशीघ्र पूरी हो सकें ।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्युली : क्या मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस बात पर भी चर्चा की गई थी कि उप-हिमालय क्षेत्र के साथ-साथ सूखा ग्रस्त पट्टी को तभी जल उपलब्ध कराया जा सकता है जब गहरे छिद्रण रिग प्राप्त हों और यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, भूमिगत जल सर्वेक्षण आदि से विशेष रिग उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेंगें जिससे इस क्षेत्र की जनता को सिंचाई साधन मिल सकें ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं ।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्युली : महोदय ! मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : आपका कोई प्रश्न नहीं था । आपने कुछ जानकारी दी है । मंत्री महोदय इस पर मौन हो गए हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या मंत्री महोदय को पता है कि पश्चिम बंगाल के बांकुरा और पुरुलिया जिलों में लगातार सूखा की स्थिति रही है । और यदि हां, तो इन सूखाग्रस्त जिलों के लिये सिंचाई सुविधाएं देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

डा० के० एल० राव : पश्चिम बंगाल के ये दो जिले सूखाग्रस्त हैं । हम अधिक भूमि के लिये सिंचाई सुविधा देना चाहेंगे ।

श्री के० एम० चावडा : गुजरात राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूमिगत पानी बहुत नीचे चला गया है तथा समुद्र का खारी पानी वहां बढ़ता जा रहा है । इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ? मंत्री महोदय प्रधान मंत्री से यह अनुरोध करेंगे कि वह इस सत्र की समाप्ति से पूर्व नर्मदा परियोजना के बारे में अपना फैसला दें ?

डा० के० एल० राव : सूखा की स्थिति में भूमिगत जल सदा नीचे चला जाता है तथा वर्षा की प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया जा सकता ।

जहां तक नर्मदा परियोजना का प्रश्न है, मैं निवेदन कर चुका हूं कि इन सभी मामलों को प्रधान मंत्री के समक्ष रख दिया गया है । आशा है शीघ्र ही फैसला दे दिया जाएगा । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न यह था कि क्या उन्होंने सभी सूखाग्रस्त राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया था तथा क्या चर्चा में सिंचाई के लिये जल के प्रश्न को भी सम्मिलित किया गया था । किन्तु उसमें बहुत सी अन्य बातों को भी सम्मिलित किया जा रहा है । प्रश्नकाल में से 40 मिनट बीत चुके हैं किन्तु हम तीसरे से आगे नहीं बढ़ पाये हैं । अगला प्रश्न श्री श्याम सुन्दर महापात्र ।

उड़ीसा की सुवर्णरेखा परियोजना

*824. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की सुवर्णरेखा परियोजना के कार्य में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) :(क) और (ख) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) : नवम्बर, 1970 में उड़ीसा की राज्य सरकार ने बाढ़ों तथा जल-निस्सार सकुशलता से इस क्षेत्र को राहत दिलाने के लिए एक स्कीम तैयार की थी जिसमें 10.48 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सुवर्णरेखा की निम्न पहुंचों में तटबंध बनाना तथा जल निस्सारण में सुधार करना सम्मिलित है । केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में स्कीम की जांच के पश्चात् जलमग्नता की गहराई में वृद्धि तथा तटबंधों के बीच के लोगों के पुनर्वास की समस्या को ध्यान में रखते हुए, यह सुझाव दिया गया था कि निचले भागों में बाढ़ों को कम करने के लिये ऊपरी पहुंचों में संचयन जलाशयों की संभाव्यता की जांच की जाए । केन्द्र द्वारा अगस्त, 1972 में गठित एक तकनीकी समिति इस पहलु की जांच कर रही है । इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर स्कीम तैयार की जाएगी, जिसके जून, 1973 तक तैयार हो जाने की संभावना है ।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र : मंत्री महोदय को पता है कि सुवर्णरेखा परियोजना 1952 से अब तक विभिन्न मंत्रालयों से सफलतापूर्वक निकल चुकी है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय ने अब जो तकनीकी समिति नियुक्त की है वह अन्तिम समिति होगी और क्या इस समिति के निर्णयों पर इस वर्ष के अन्त तक विचार कर लिया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : सुवर्णरेखा की बाढ़ नियंत्रण समस्या देश की एक गम्भीर समस्या है । वास्तव में पश्चिम बंगाल के लिये एक परियोजना की मंजूरी दी गई थी किन्तु इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि लोगों नें इसका विरोध किया तथा कठिनाइयां उत्पन्न हो गईं । अब ऊपर की ओर जलाशय बनाने का सुझाव है । इस बात की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है तथा यह समिति इसकी जांच कर रही है । आशा है समिति एक उपयुक्त हल सुझाने में समर्थ होगी । मैं स्पष्ट रूप से तो यह नहीं कह सकता कि वह समाधान सर्वोत्तम समाधान होगा । रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी ही होगी ।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र : हम समझते हैं कि बिहार में एक बड़ा बांध और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में दो छोटे बांध बनाए जाएंगे । बांधों के निर्माण आरम्भ होने तक क्या मंत्री महोदय उड़ीसा सरकार से यह अनुरोध करेंगे कि वह नाले बनाना आरम्भ कर दें जिससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न न हो ।

डा० के० एल० राव : जी हां, जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं, जलाशयों के माध्यम से हम सुवर्णरेखा नदी की बाढ़ का नियंत्रण करना चाहते थे । यह प्रस्ताव है कि सुवर्णरेखा पर चन्द्रीन में तथा इसकी सहायक नदी पर चाइबासा में तथा पश्चिम बंगाल में तुलोंग नदी पर जल के स्टोरेज बनाये जाएं तथा हमें इन पर निर्भर रहना होगा ।

माननीय सदस्य का सुझाव उन उपायों में से एक है जो आरम्भ किये जाने हैं अर्थात् जल निस्सारण नालों का बनाया जाना जिससे जल को अधिक से अधिक दूरी तक निकाला जा सके । मैं इस विषय में भी सोच रहा था । आशा है निर्माण के पहले चरण के लिये इसकी सिफारिश की जाएगी ।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र : धन्यवाद ।

श्री समर गुहा : इस दस करोड़ रुपए की लागत वाली सुवर्णरेखा तटबन्ध योजना उड़ीसा की ओर 8 करोड़ रुपया और पश्चिम बंगाल की ओर 2 करोड़ रुपया, से निर्माण कार्य की स्वीकृति दे दी गई थी किन्तु किसी के अभ्यावेदन के कारण इस कार्य को अचानक बन्द कर दिया गया। उड़ीसा सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार को साथ बैठकर इस पर अन्तिम निर्णय करने में कई वर्ष बीत गए। अब माननीय मंत्री इस विवाद में तीसरी सरकार अर्थात् बिहार सरकार को भी सम्मिलित करना चाहते हैं तथा नई परियोजना की पूरी तरह से पुनर्निर्धारण करना चाहते हैं। वैकल्पिक निर्णय किये हुये दो वर्ष व्यतीत हो गये हैं। अब मैं जानना चाहता हूं कि इस परियोजना के पुनर्निर्धारण के बारे में, जिससे तीन राज्य सम्बद्ध हैं, अन्तिम निर्णय करने के लिए कितने समय लगेगा। मैं इस विशिष्ट प्रश्न का आप से उत्तर चाहता हूं। इसमें कितना समय लगेगा तथा यह परियोजना कब तक क्रियान्वित की जाएगी।

डा० के० एल० राव : मैं निवेदन कर चुका हूं कि मूल परियोजना में उड़ीसा के भू-भाग और पश्चिम बंगाल में तटबन्धों का निर्माण निहित था। एक तटबन्ध पर 1.25 करोड़ रुपयों तथा दूसरे पर 10 करोड़ रुपयों की लागत आने का अनुमान था। केवल पश्चिम बंगाल से सम्बन्धित परियोजना की स्वीकृति दी गई थी तथा इसे क्रियान्वित किया जाना था। प्रस्तावित तटबन्ध के मध्य रहने वाले व्यक्तियों ने, जहां तटबन्ध के निर्माण के पश्चात् जल का स्तर 8′ बढ़ जाता, इसका विरोध किया। ऐसे व्यक्तियों की संख्या भी कम नहीं थी। उनकी संख्या 70000 से 80000 के बीच थी तथा इसका बहुत से ग्रामों पर भी प्रभाव पड़ता है। इसी कारण इस परियोजना को क्रियान्वित नहीं किया जा सका। तब हमने जल को जलाशयों में एकत्र करके बाढ़ नियंत्रण के दूसरे तरीके पर विचार किया। समय सीमा को कम करने के लिये हमने एक समिति नियुक्त कर दी है तथा आशा है समिति अपने निष्कर्षों को जून तक प्रस्तुत कर देगी। उस के पश्चात् हम यथाशीघ्र निर्णय करेंगे।

श्री अर्जुन सेठी : तकनीकी समिति के प्रतिवेदन के आधार पर सुवर्ण रेखा परियोजना की व्यापक योजना पर अन्तिम निर्णय किये जाने तक क्या उड़ीसा सरकार ने सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय को कोई योजना प्रस्तुत की है। जिससे बालासौर जिले के बगराई और जलेश्वर क्षेत्र की जल निस्सारण योजना को 10 करोड़ रुपये की इस परियोजना पर अन्तिम निर्णय किये जाने से पूर्व तुरंत आरम्भ किया जा सके ?

डा० के० एल० राव : यह लघु योजना है तथा इससे किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। हमने उड़ीसा सरकार से इन दो योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिये कहा है किन्तु जल निस्सारण के लिये हम एक व्यापक योजना की आशा रखते हैं।

धुवारन विद्युत् संयन्त्र को रेजिड्युल फयूल आयल की आवश्यकता और सप्लाई

***825. श्री डी० पी० जदेजा:** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, गुजरात में धुवारन विद्युत् संयंत्र के लिये रेजिड्युल फयुल आयल की कितनी आवश्यकता थी; और

(ख) उपरोक्त अवधि में कितना तेल सप्लाई किया गया ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) : गुजरात में धुवारन थर्मल पावर स्टेशन की लो सल्फर हैवी स्टाक् जिसे वहां पर अवशिष्ट इन्धन तेल कहते हैं, की

आवश्यकताएं 1970 और 1971 में पूर्णरूपेण पूरी की जा चुकी हैं। इन दो वर्षों में आवश्यकता और सप्लाई समान थीं, अर्थात् 1970 में 3,02,052 मीटरी टन और 1971 में 3,17,266 मीटरी टन। तो भी, 1972 में कोयाली शोधनशाला में इस उत्पाद का उत्पादन पश्चिमी क्षेत्र में पावर उत्पन्न करने के लिये इसकी कुल आवश्यकताओं से कम हो गया। परिणामत: कुल आवश्यकताओं में 524,000 मीटरी टन की कमी 4,43,035 मीटरी टन एल० एस०एच०एस० तथा लगभग 81,400 मीटरी टन बम्बई शोधनशालाओं में आयातित कच्चे तेल से उत्पादित मिट्टी के तेल की सप्लाई द्वारा पूरी कर दी गई।

श्री डी० पी० जदेजा : क्या सरकार को पता है कि धुवारन परियोजना के लिये अवशिष्ट ईंधन तेल की कमी के कारण गुजरात राज्य में 50 प्रतिशत बिजली की कटौती की गई है? धुवारन को अव शिष्ट ईंधन तेल की कम सप्लाई के क्या कारण हैं तथा उसकी अपेक्षित मांग को पूरा करने के लिये सरकार क्या विशेष उपाय कर रही है?

श्री दलबीर सिंह : धुवारन बिजली घर को अब पर्याप्त आर०एफ० सप्लाई करने का निर्णय किया गया है क्योंकि 1966 और 1968 में अन्य परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किये गये गत वायदों के बावजूद, हमने अब धुवारन बिजली घर की सारी परियोजनाओं को पूरा करने का निर्णय किया है तथा अब उनकी कोई शिकायत नहीं है। धुवारन बिजली घर को इस सामग्री के सप्लाई के बारे में कोई मौलिक कमी नहीं है।

श्री डी० पी० जदेजा : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं पूछा था कि सरकार क्या उपाय कर रही है। उन्होंने मेरे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। मैं दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूं तथा आशा करता हूं कि दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में श्रमिकों की कोई समस्या है जिनके कारण धुवारन बिजली घर को उक्त सामग्री सप्लाई नहीं की जा रही?

श्री दलबीर सिंह : कमी के कारण बिल्कुल स्पष्ट है तथा इनका सभी को पता है। देश में सूखा की स्थिति के कारण बिजली की कमी है तथा बिजली की कमी का सभी को पता है तथा जनता ने बिजली के बजाए इस वस्तु का उपयोग आरम्भ कर दिया है जिससे उसकी मांग में वृद्धि हो गई है। इस की आवश्यकता के कारण स्पष्ट है तथा इसके यही कारण हैं। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में हड़ताल के कारण भी कमी हो गई है। किन्तु अब हमने समस्या पर काबू पा लिया है।

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय का उत्तर अपर्याप्त तथा असन्तोषजनक है। उन्होंने इसके कारण नहीं बताये हैं कि धुवारन विद्युत केन्द्र को आर०एफ०ओ० क्यों सप्लाई नहीं किया गया है, गुजरात के हथकरघा मिलों पर कुप्रभाव पड़ा है उन्हें हानि हो रही है। वहां बिजली की 50 प्रतिशत अनअपेक्षित कटौती की गई है। वहां पहले से ही गत अक्तूबर से बिजली की कटौती की जा रही है क्योंकि मूल्यों के निर्धारण के बारे में बातचीत संबंधी कठिनाइयों के कारण धुवारन संयंत्र को पर्याप्त मात्रा में आर०एफ०ओ० नहीं मिल रहा है और इसलिये धुवारन विद्युत् केन्द्र को बिजली की सप्लाई उपलब्ध नहीं हो रही है और कम से कम अब तो सरकार धुवारन विद्युत् केन्द्र को पर्याप्त माला में आर०एफ०ओ० उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है? वह इस संबंध में जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : वह तो कह चुके हैं कि अब कठिनाई दूर कर दी गई है।

श्री पी० जी० मावलंकर : फिर वह उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं?

श्री दलबीर सिंह : हम अहमदाबाद विद्युत् सप्लाई कंपनी तथा ट्राम्बे विद्युत् केन्द्र से भी वचनबद्ध हैं। यह वायदा हमने उन्हे 1966 तथा 1968 में दिया था और हमें उसे पूरा करना था। परन्तु इसके पश्चात्, गुजरात सरकार द्वारा निरन्तर अनुरोध किये जाने के बाद हमने अब इस वस्तु की सप्लाई को इस विद्युत् केन्द्र की ओर भेजने का निर्णय किया है और अब कोई कठिनाई नहीं है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं। अब पूरी सप्लाई की जा रही है।

श्री पी० जी० मावलंकर : फिर भी ऐसी बात क्यों घटित होती है ? फिर भी बिजली की इतनी कमी क्यों है ? ऐसा कैसा हुआ ? वहां पर बिजली की अत्यन्त कमी है।

अध्यक्ष महोदय : इस संबंध में विवाद उत्पन्न नहीं करना चाहिये।

श्री के० एस० चावड़ा : मैं अभी अभी गुजरात से आया हूं। वहां बिजली की अत्यन्त कमी है।

श्री पी० जी० मावलंकर : श्रीमन्, मैं आप से आज्ञा चाहता हूं। मंत्री महोदय को वही उत्तर देना चाहिये। मैं सही उत्तर चाहता हूं। यह तो हो सकता है कि उत्तर सन्तोषजनक न हो परन्तु सही तो होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि जब आप मुर्गी को पूरा चारा दे रहे हैं फिर भी पूरा अण्डा प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है।

श्री दलबीर सिंह : जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं हमारे कुछ वायदे थे और इस अवधि में हमें उन्हें पूरा भी करना था परन्तु बाद में हमने इस पदार्थ की सप्लाई धुवारन विद्युत् परियोजना की ओर मोड़ दी। अब तक विस्तार कार्यक्रम भी है और इस विस्तार के कारण हमारे पास उतनी मात्रा भी उपलब्ध नहीं है तो भी हम उसे पूरा कर रहे हैं।

Loss Suffered as a Result of Fire in Dining Car of Saurashtra Mail

***826. Shri Hukam Chand Kachwai**
Shri R. V. Bade: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a fire had broken out in the Dining Car attached to the Saurashtra Mail during March/April, when the train was in between Lilapu and Viramgam stations;

(b) if so, the estimated loss suffered; and

(c) the causes of the fire as per enquiry conducted by Government?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) महोदय मेरा अनुमान है कि प्रश्न का आशय उस दुर्घटना से है जिसमे 31–3–1973 को लीलापुर रोड और भास्करपाड़ा स्टेशनों के बीच सौराष्ट्र मेल के भोजन यान में आग लग गयी थी। इस दुर्घटना में रेल सम्पत्ति को लगभग 49'000 रुपये की क्षति पहुंचने का अनुमान है।

(ग) दुर्घटना की जांच रेल अधिकारियों की एक समिति द्वारा की गयी है और उनकी रिपोर्ट का इन्तजार है।

Shri Hukam Chand Kachwai: At the time of this incident it was reported in the news papers that the cause of the fire was the defective wiring. Is it true that as per rules, the life of a passenger bogie is 20 years and it should be sent for repairs after every three years but it is never sent even up to five years? There is always a plate underneath every compartment showing

the date of last repairs and also the next date of repairs. Is it a fact such a date is got extended by the inspectors; and also that the fire broke into this particular compartment because it had not been repaired for the last more than five years?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : As I have stated in my reply a committee has been appointed to inquire into this incident. The reason of this incident can be known only after their report is received.

Shri Hukam Chand Kachwai : The Railway administration have framed rules in respect of passenger and goods bogies, but those rules are not being followed properly for the last many years. There are many such bogies which have been continuously running on the last 40years and their repairs are also undertaken after five or six years, which results in accidents. Have the Government, therefore, done something to ensure that these rules are adhered to strictly in order to avoid the recurrence of such accidents. The inspectors, responsible for ensuring whether the particular bogies are running properly or not, extend the dates of use and repairs. Is the Government propose to go into the matter of sending the bogies for repairs and also putting the old ones out of use after the prescribed period of time?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : As per rules our coaches and wagon are supposed to be sent to workshop for periodical overhaul. But it is also time that the periodical overhaul of certain goods trains has become overdue; but because of the rush of traffic those are being put into Service. However care is taken to guard them against the incidents of fire etc. The hon. Member has very rightly said that there should be a periodical overhaul, and for that we always make efforts.

Mr. Speaker : The question related to the fire accident in a dinning Car but the hon. Member started talking about someelse.

Shri R. V. Bade : As has been asked by Shri Hukam Chand Kachwai, why a bogie is not sent for overhaul even after five years, where as it should have been sent after every three years ? Who is investigating into this accident? Is it a fact that this wagon was not inspected or repaird for the last three years and that is why it caught fire resulting in a loss of 50,000 rupees.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The whole matter is being investigated by an inquiry committee. It is also possible that the fire might have broken out because of kerosene oil or power. The inquiring committee would go into the reasons and also whether the periodical overhaul of the wagon was overdue.

Increase in Goods Transportation Capacity of Railways During Fifth Plan Period

***827. Shri Dhan Shah Pradhan**
Shri B. S. Bhaura : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to increase the goods transportation capacity of the Railways during the Fifth Five Year Plan period;

(b) if ,so to what extent, Zone-wise; and

(c) the present goods transportation capacity of the Railways and the extent to which the Railways will be able to meet the requrements by the end of the Fourth Five Year Plan?

रेल मन्त्री (श्री एल०एन० मिश्रा): (क) से (ग) श्रीमन्, एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) माल यातायात के लिए विभिन्न क्षेत्रों से रेल परिवहन की मांग ग्रायी है ग्रौर किस सीमा तक रेल परिवहन की व्यवस्था की जानी है, इस सम्बन्ध में ग्रभी योजना ग्रायोग के परामर्श से ग्रन्तिम निर्णय किया जाना है ।

(ख) इस बात को देखते हुये ग्रौर चूंकि यातायात के प्रारम्भिक-गन्तव्यता सम्बन्धी स्वरूप की जानकारी ग्रभी नहीं मिली है, इसलिए ग्रभी क्षेत्रवार ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है ।

(ग) चूंकि माल परिवहन की क्षमता वहन-दूरी ग्रौर यातायात के स्वरूप पर निर्भर करती है, इसलिए किसी भी समय की परिवहन-क्षमता का कोई एक ग्रांकड़ा बताना सम्भव नहीं है । फिर भी, 1973–74 में, जो कि चौथी योजना का ग्रन्तिम वर्ष है, रेलों द्वारा लगभग 2150 लाख मीटरिक टन प्रारम्भिक यातायात ढोये जाने की सम्भावना है जोकि लगभग 147 ग्ररब शुद्ध मीटरिक टन किलोमीटर के बराबर है बशर्ते ग्रान्दोलनों, बंदों ग्रादि के कारण रेल परिचाल में ग्रनुचित हस्तक्षेप न हो ।

Shri Dhan Shah Pradhan: Is it not a fact that the areas where different development projects are running need goods transport facilities, if so, whether the Government would arrange for increasing the Goods transportation capacity in those areas where different development projects and other industries are running ?

Shri L. N. Mishra : The original question was as to what extent the demand for wagons would be met during the Fourth and Fifth Five Year Plans. In the reply I have given a statement. Now the hon. Member wants to know whether or not wagons would be supplied for the development work in the backward areas. In reply to this questions I would say that we try to give maximum number of wagons for the backward areas.

Shri Dhan Shah Pradhan: May I know whether the Government of Madhya Pradesh have repeatedly urged upon the need of enhancing the goods transportation capacity; if so, what answer has been given to that Government ? Is it not a fact that the trains in Ratlam and Bhopal have been put off the rails, and also whether the Government would arrange for their commissioning again ?

Mr. Speaker : Your question related to goods transportation capacity of the Railways during Fifth Five Year Plan. Now you are asking about the certain goods trains in Madhya Pradesh. If you want some information about that you should have sent a separate note to that effect. How can that come within this question? I will have to be very careful about it, Shri Bhaura!

Shri Bhan Singh Bhaura : It is true that the Railways are short of wagons as a result of which coal, petrol and other commodities can be transported from one place to another. It cost much to transport coal by private trucks etc. Would the Government therefore, plan to take over the Goods transport also as to lessen the burden of Railways and also to facilitate the people.

Shri L. N. Mishra: At present there is a situation of scarcity and we do not want to stop the transportation in any way. But let me make it clear that there is no shortage of wagons for transporting coal; it was before, but at present, there is not shortage.

3—330 LSS/73

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक

*828. **श्री हरि किशोर सिंह**
श्री विभूति मिश्र } : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की हाल ही में बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव: (क) और (ख) भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक 29–31 मार्च, 1973 को ढाका में हुई थी जिसमें उनके द्वारा शुरू किये गए विभिन्न संयुक्त अध्ययनों तथा अन्वेषणों में हुई प्रगति का पुनरावलोकन किया गया था।

दोनों देशों के मध्य बाढ़ पुर्वानुमान और चेतावनी व्यवस्था पर कतिपय सिफारिशों पर समझौता हुआ था। उन्होंने फराका से गोराई के निर्गम तक गंगा-पद्मा के संयुक्त एरियल और जलवैज्ञानिक सर्वेक्षण में हुई प्रगति का मूल्यांकन किया। सिलहट-कछार और उससे संबद्ध अंचलों की बाढ़ समस्या के संयुक्त अन्वेषण सम्बन्ध में आयोग ने यह इच्छा प्रकट की कि दोनों ओर के अधीक्षण अभियंता और उनका स्टाफ अन्वेषण अविलम्ब आरम्भ कर दें।

आयोग ने पश्चिमी बंगाल के उत्तरी क्षेत्र और बंगाल देश में निकटवर्ती क्षेत्रों की बाढ़ समस्या तथा तीस्ता पर बराजों के अभिकल्प पहलुओं की जांच भी की और सिफारिशें दीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने पारस्परिक लाभ के निमित्त बाढ़ नियंत्रण और नदी विकास की दीर्घकालीन आयोजन पर विचार किया।

उर्वरक उद्योग को विकास छूट

*829. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक उद्योग में होने वाला नया पूंजी निवेश देश की आगामी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए नितान्त अपर्याप्त है; और

(ख) क्या सरकार ने उर्वरक उद्योगों की अपेक्षा प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों को विकास-छूट और कर-छूट देने के प्रश्न पर विचार किया है, और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) गत 5 वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र का निवेश काफी उत्साहजनक नहीं रहा। तथापि, पिछले महीनों में कई प्राइवेट उद्यमकर्त्ताओं ने दोनों वर्तमान संयंत्रों का विस्तार करके तथा नये संयंत्र स्थापित करके उर्वरकों की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने की रुचि व्यक्त की है।

(ख) उर्वरक उद्योग का वर्गीकरण प्राथमिक उद्योगों के रूप में किया गया है और इस लिये यह उद्योग उन सभी रियायतों तथा लाभों का हकदार है जो इस प्रकार के उद्योगों को दिये जाते हैं।

पौंग बांध में पानी जमा करने से तार और टेलीफोन लाइनों को हुई क्षति

*830. **श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पौंग बांध के प्राधिकारियों ने डाक-तार प्राधिकारियों को सूचित किया है कि कांगडा जिले कीं देहरा तहसील में पानी जमा करने के परिणामस्वरूप वहां तार और टेलीफोन लाइनों को क्षति पहुंच सकती है ; और

(ख) क्या परियोजना प्राधिकारियों द्वारा इन लाइनों में व्यवधान के लिए डाक-तार प्राधिकारियों को कोई मुआवजा दिया जाएगा, और इनका पुननिर्माण किया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री : (डा० के० एल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। इस उद्देश्य के लिए डाक-तार प्राधिकारियों को पहले ही 5 लाख रु० की अग्रिम अदायगी कर दी गई है।

महंगाई भत्ते को वेतन मान लेने के परिणामस्वरुप दानापुर डिवीजन (पूर्व रेलवे) के सेवा निवृत रेलवे कर्मचारियों की पेंशन-दरों का पुनरीक्षण

*831. **श्री रामावतार शास्त्री**
श्री कमल मिश्र मधुकर } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे, दानापुर के डिवीजनल लेखा अधिकारियों के पास पेंशन के लगभग 600 मामले और डिवीजनल सुपरिटेंडेंट, दानापुर के पास ऐसे 500 मामले विचाराधीन पड़े हैं और क्या अधिकारी बिहार, रांची के महालेखापाल को यह सलाह नहीं दे सके हैं कि मंहगाई भत्ते को वेतन का अंग मानने के फलस्वरूप दानापुर डिवीजन (पूर्व रेलवे) के सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर पर पेंशन दी जाये ;

(ख) क्या बोर्ड के आदेशानुशार पेंशन की पुनरीक्षित दर वर्ष 1969 से सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को देय है; और

(ग) यदि हां, तो पेंशन पाने वालों को बढ़ी हुई दर पर पेंशन की शीघ्र अदायगी के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) :

कुछ प्रयोजनों के लिए मंहगाई भत्ते के अंश को मंहगाई वेतन मानने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा विनिश्चय कर लिये जाने के फलस्वरूप, दिसम्बर, 1968 से नवम्बर, 1971 तक की अवधि के दौरान सेवा निवृत्त हुए रेल कर्मचारियों की पेंशन, जहां आवश्यक हो वहां, संशोधित की जानी है।

दानापुर मण्डल में, ऐसे 282 सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के पेंशन-संशोधन के मामलों का निपटारा होना बाकी है।

रांची लौहार डागा (दक्षिण-पूर्व रेलवे) नैरो गैज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

*832. **श्री कार्त्तिक उरांव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में रांची-लौहारडागा नैरो गैज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के विषय में सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जाने की आशा है ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स देवीदयाल ट्यूब इंडस्ट्रीज लिमिटेड

*833. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव**
श्री एस० एन० मिश्र } : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई स्थित मैसर्स देवीदयाल ट्यूब इन्डस्ट्रीज कम्पनी की आस्तियों की विक्रय मे परिसमापक को कितनी धनराशि प्राप्त हुई और

(ख) क्या सरकार का विचार इस राशि का कम्पनी के दायित्वों विशेषतया निश्चित अवधि के लिये राशि जमा कराने वालों के दायित्वों को निपटाने के लिए उपयोग करने का है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) तथा (ख) : सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत करने के लिये सूचना संग्रह की जा रही है।

मैसूर में पैट्रोल डीजल भट्टी के तेल तथा मिट्टी के तेल की कमी

*834. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर के वाणिज्य तथा उद्योग मंडल के अध्यक्ष ने केन्द्र सरकार से बंगलौर में अतिशीघ्र तेल उत्पाद पहुंचाने के लिए अनुरोध किया है क्योंकि वहां पैट्रोल, डीजल, भट्टी

के तेल तथा मिट्टी के तेल की कमी के कारण इस उद्योग में भारी संकट है और जनता को बहुत असुविधा हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां। (ख) फरवरी, 1973 के महीने में बंगलौर क्षेत्र में मिट्टी के तेल तथा डीजल तेल जैसे कुछ पैट्रोलियम उत्पादों में कमियां हुई थी। आयात टैंकरों के आने में विलम्ब होने के परिणामस्वरूप इस उत्पाद की अपर्याप्त उपलब्धि, आंध्र प्रदेश में हुये सिवल उपद्रवों के फलस्वरूप रेल परिवहन की बाधाएं, तेल कम्पनियों के संस्थानों को बिजली की सप्लाई में कमी की गई कटौती के परिणामस्वरूप मद्रास में रेल लदानों को हुई बाधाएं, इन कमियों के मुख्य कारण थे। इन तथ्यों के अतिरिक्त मैसूर को शामिल करते हुये देश के विभिन्न भागों में सूखे की परिस्थितियों के परिणामस्वरूप मिट्टी के तेल तथा डीजल तेल जैसे उत्पादों की मांग में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। बंगलौर क्षेत्र की मांग को यथासंभव पूरा करने के लिये कोचीन से पैट्रोलियम उत्पाद ले जाने वाले विशेष रैक्स चलाये जाने जैसे कुछ विशेष कदम उठाये गये थे। स्थिति में अब काफी सुधार हो गया है।

मूल औषधियों के मूल्यों को कम करने के लिए की गई कार्यवाही का प्रभाव

*835. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री मूल औषधियों के मूल्य कम करने के लिए की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में 6 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2019 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मूल औषधियों के मूल्य कम करने के लिए सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का क्या प्रभाव हुआ है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री देवकांत बरुआ) : स्थापित क्षमता के पूर्णतर प्रयोग द्वारा, प्रक्रिया लागत को कम करने के लिय अनुसंधान और विकास द्वारा तथा नई परियोजनाओं में उद्योग को प्राप्त अत्यन्त लाभप्रद प्राद्योगिकी को अपना कर, मूल औषधियों की उत्पादन लागत में कमी करने के लिये प्रयत्न स्वाभाविकरूप से निरन्तर जारी रहने वाले हैं। एण्टीवायटिक्स प्रायोजना, ऋषिकेश, संयंत्र में सुधार और अच्छी कार्यकुशलता के कारण उपादन लागत में कुछ कमी करने में सफलता प्राप्त की है, जैसा कि निम्नलिखित वास्तविक लागत के सूचकांकों से प्रतीत होता है :—

उत्पाद	प्रति यूनिट मानक लागत	वास्तविक लागत के सूचकांक				
		1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72
पोटेशियम् पेनिसिलिन .	100	545	395	247	177	141
सोडियम् पेनिसिलिन	100	—	983	612	235	156
प्रोकेन पेनिसिलिन	100	—	667	343	190	156
स्टैप्टोमाइसिन सल्फेट .	100	—	1075	415	311	205
टैट्रासाइक्लिन् एच० सी० एल० .	100	—	480	241	155	138
आक्सी टैट्रासाइकिलन . .	100	—	—	320	126	98

पूर्वतर उपयोग के लिये उदारीकरण योजना के अन्तर्गत क्षमताओं की वृद्धि का असर उत्पादन के सरकार द्वारा अनुमोदित स्तर पर स्थिर हो जाने पर ही प्रतीत होगा। तो भी, कच्चे मालों के मूल्यों में, सेवाओं तथा श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि (आदि) कुछ उन तथ्यों में से है जो प्रपुन्ज औषधियों के मूल्यों को कम करने के लिये प्रत्यनों को निष्प्रभाव करने की ओर प्रवृत्त होते हैं।

Harassment to Passengers and Charging of more fare by Ticket Collectors at Hardwar. Laksar and Saharanpur Stations (Northern Railway)

***836. Shri Mulki Raj Saini:** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints of harassment caused to the passenger and charging of more fare from them by the Ticket Collectors at Hardwar, Laksar and Saharanpur stations;

(b) if so, whether Government have made any enquiry into the matter; and

(c) the action taken by Government to put an end to this practice ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes, Sir. At Laksar two complaints of wrong charging of fares, one of harassment and one of recovery of charges without issuing receipt and at Hardwar one complaint of wrong charging and one of harassment have been received. No complaint has, however, been received at Saharanpur.

(b) Yes, Sir.

(c) Officers, Inspectors and other Senior Subordinates have instructions to supervise and watch the working of the staff working under them. Apart from this, special organisations like Vigilance Branch and Anti Ticket Fraud organisation keep secret watch over the staff. Whenever irregularities on the part of the staff are noticed or detected, suitable action is taken aganist them.

उत्तर बंगाल बाढ़ नियन्त्रण आयोग द्वारा आरम्भ की गई योजनाएं

*837. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा चालू वर्ष में आरम्भ की गई योजनाओं तथा आगामी वर्ष में आरंभ की जाने वाली योजनाओं के नाम क्या हैं तथा उनके लिए अनुमानत : कितनी धनराशि की आवश्यकता है ;

(ख) क्या उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग ने राजहाट और तोरशा तटबंध योजना और बलरामपुर तोरशा तटबंध योजना आरंभ की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं तथा क्या आगामी वर्षाकाल से पहले कार्य आरंभ हो जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० के० एल० राव) : (क) उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग ने चालू वर्ष 1973-74 के कार्यक्रम में 45 बाढ़ नियंत्रण स्कीमें सम्मिलित की है। कार्यक्रम में शामिल की गई स्कीमों में वर्तमान

तटबंधों को ऊंचा करना तथा मजबूत बनाना, नए तटबंधों का निर्माण, कटाव-रोधी और नदी नियंत्रण कार्य तथा नगर-बचाव की स्कीमें सम्मिलित हैं।

महत्वपूर्ण स्कीमें निम्नलिखित हैं :—

क्र सं०	निर्माणाधीन स्कीमें	अनुमानित लागत (लाख रुपये)
(1)	जलपाइगुड़ी जिले में मंडलघाट से हल्दीबाड़ी में बीबीगंज पुलिस स्टेशन तक तीस्ता नदी के दक्षिण तट का संरक्षण	68.44
(2)	बीबीगंज से हल्दीबाड़ी पुलिस स्टेशन में झारसिंगेश्वर तक तीस्ता नदी के दक्षिण तट का संरक्षण . .	65.90
(3)	कराला तटबंध स्कीम के पिछले सिरे से मंडलघाट तक तीस्ता नदी के दक्षिण तट का संरक्षण .	30.50
(4)	जलपाइगुड़ी नगर बचाव कार्य-चरण दो कराला का व्यपवर्तन .	150.00
(ii)	**प्रारम्भ की जाने वाली नई स्कीमें**	
(1)	जलपाइगुड़ी, कूच बिहार और दार्जिलिंग जिलों में तटबंधों को ऊंचा करना तथा मजबूत बनाना . .	54.62
(2)	चेंगमरी से प्रेमगंज तक तीस्ता नदी के वाम तट का संरक्षण-चरण दो का विस्तार (जलपाइगुड़ी जिले में चेन 6784 से 13184 मीटर तक) . . .	40.00
(3)	दर्जिलिंग जिले में मेची नदी के वाम तट पर नक्सलबाड़ी और खारीवाड़ी क्षेत्र के संरक्षण के लिए मेची नदी के व्यपवर्तन को रोकना . . .	29.46

राज्य सरकार ने निर्माणाधीन स्कीमों तथा 1973-74 के दौरान प्रारम्भ की जाने वाली स्कीमों के संबंध में आवश्यकता का अनुमान 233 लाख रुपये लगाया है। 1974-75 के लिए वार्षिक की तैयारी का कार्य 1973 के अन्त में किसी समय शुरू किए जाने पर 1974-75 के लिए कार्यक्रम तैयार किया जाना है।

(ख) और (ग) राजहार्ट तोरशा तटबंध स्कीम और बलरामपुर तोरशा तटबंध स्कीम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है तथा कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित नहीं की गई है। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इन स्कीमों को 1973 की बाढ़ों से पूर्व प्रारम्भ किए जाने की सम्भावना नहीं है।

राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण

*838. **श्री समर गुह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में 27 मार्च, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 491 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में पृथक-पृथक ग्रामीण विद्युतीकरण तथा पंम्पसेटों को बिजली देने के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण तथा पंम्पसेटों की स्थापना के लिए खर्च के बारे में असाधारण विषमताओं को दूर करने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) वर्ष 1973-74 में इस कार्य पर खर्च करने के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) से (ध) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी– 3861/73]

जोधपुर में लौह और इस्पात यार्ड की स्थापना

*839. **श्रीमती कृष्णा कुमारी – जोधपुर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर में लौह और इस्पात यार्ड की स्थापना के बारे में सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

महानगरों में भूमिगत रेलवे के बारे में विशेषज्ञ दल की विदेशयात्रा

*840. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों के एक दल ने विदेशों में भूमिगत रेलवे प्रणाली का अध्ययन करने के लिए हाल ही में कुछ देशों का दौरा किया था, यदि हां, तो दौरा करने वाले दल के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया; और

(ख) इस दल ने क्या निष्कर्ष निकाले ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) : निम्नांकित रेल अधिकारियों के दो दल लगभग छ : छः सप्ताह के लिए विदेश गये थे :—

दल	नाम/पदनाम	अवधि	देश जहां गये
पहला	श्री जे० एन० राय, मुख्य प्रशासी अधिकारी (रेलवे) महानगर परिवहन परियोजना, म० प० प०, कलकत्ता ।	जून-जुलाई 1972	सोवियत रूस, स्वीडन, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, हंगरी जापान ।
"	श्री पी० वरदाचारी, मुख्य बिजली इंजीनियर, म० प० प०, कलकत्ता ।	"	"
"	श्री वी० सी० ए० पद्मनाभन, मुख्य इंजीनियर, दक्षिण रेलवे, मद्रास ।	"	"
"	श्री के० एस० ए० पद्मनाभन, निदेशक, वित्त, रेलवे बोर्ड ।	"	"
"	श्री पी० पी० अय्यर उप-मुख्य परिचालन अधीक्षक, म० प० प०, कलकत्ता ।	"	"
"	श्री एस० नरसिंहम, उप-मुख्य सिगनल और दूर संचार इंजीनियर, म० प० प०, कलकत्ता ।	"	"
"	श्री ई० श्री धरन, उप-मुख्य इंजीनियर, म० प० प०, कलकत्ता ।	"	"
दूसरा	श्री एस० सार्थ, मुख्य बिजली इंजीनियर, पश्चिम रेलवे, बम्बई	सितम्बर/अक्तूबर 1972	जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, स्वीडन ।
"	श्री डी० आर० कोचर, अपर निदेशक, चल-स्टाक अ० अ० मा० सं०, लखनऊ ।	"	"

दल	नाम / पदनाम	अवधि	देश	जहां गये
दूसरा	श्री पी० वी० राममूर्ति अधीक्षक, यांत्रिक कारखाना स० डि० का०, मद्रास ।	सितम्बर/अक्तूबर, 1972	जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, स्वीडन ।	
	श्री ए० के० रायचौधरी, उप-वित्त सलाहकार, पूर्व रेलवे, कलकत्ता ।			
	श्री ए० के० राय, उप-मुख्य बिजली इंजीनियर, म० प० प०, कलकत्ता ।	,,	,,	
	श्री सी० जी० खोट, द्वितीय सचिव (सि० और दूर-संचार) भारत का राजदूतावास, टोकियो ।	,,	,,	

पहला दल विदेशी महानगरों के अध्ययन एवं प्रेक्षण से सम्बन्धित था जबकि दूसरा दल चल-स्टाक के डिजाइन तथा महागनर परिवहन परियोजना, कलकत्ता के लिए उसको प्राप्त करने के पहलुओं से सम्बन्धित था।

(ख) इन दलों ने महानगर प्रणालियों के निर्माण तकनीकों, प्रणाली के चुनाव, उपस्करण और परिचालन को देखा और उन पर विचार-विमर्श किया । विदेश से प्राप्त अनुभव और अर्जित ज्ञान से इन दलों को विश्वास है कि कलकत्ता द्रुत परिवहन लाइन (दम-दम-टालीगंज खण्ड) और उसके परिचालन की योजना विदेशों में प्रचालित आधुनिक प्रवृत्तियों के अनुसार है । दलों को यह भी विश्वास है कि परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा सकेगा।

Installation of vacuum exhausters at Stations to increase the speed

7855. Shri Chhatrapati Ambesh: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether vacuum exhausters have been installed at Railway Stations in India;

(b) whether the speed of the trains has been increased due to the installation of these machines; and

(c) if so, the number of stations where the said machines have been installed and the extent to which the speed has increased due to the installation of these machines ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes.

(b) No. Vacuum exhausters are meant for testing vacuum brake equipment of rolling stock for the purpose of repairs and have no direct connection with the increase of speed of trains.

(c) Vacuum exhausters have been installed at 339 stations. Their installation does not have any direct bearing on the increase of speed of trains.

Fitting of screw and buffer couplers in Railway Wagons

7856. Shri Chhatrapati Ambesh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether screw couplers and buffer couplers have been fitted in Railway wagons;

(b) if so, the number of Railway wagons fitted with screw couplers and centre buffer couplers, separately;

(c) whether Government have formulated any such scheme under which couplers of wagons with centre buffer could be changed so as to make all couplers uniform; and

(d) if so, the time likely to be taken on the said work ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes.

(b) Screw Couplings are only fitted on Broad Gauge railway wagons and the number of such wagons as on 1-4-1972 was about 2.5 lakhs. Some Broad Gauge wagons are also fitted with centre buffer couplers and the number of such wagons on 1-4-1972 was about 0.4 lakhs. All Metre Gauge and Narrow Gauge wagons are fitted with centre buffer coulers.

(c) & (d) The question of fitment of centre buffer couplers on all Broad Gauge wagons, is under consideration.

Issue of Letter of Intent for Polyester Industry

7857. Shri M. S. Purty : Will the Minister of **Petroleum and Chemical** be pleased to state :

(a) the number of letters of intent and licences issued for polyester industry in 1971-72; and

(b) whether these would meet the requirement of the projects of Fourth and Fifth Plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) The information is given below :—

Name of the item	No. of letter of intent and licences issued. 1971	1972
(i) Polyester Staple Fibre	1	1
(ii) Polyester Filament Yarn ..	—	4

(b) The estimated demand by the end of the 4th Plan period would be met by the installed capacity.

The 5th Plan estimated demand is at present being assessed by Government.

बम्बई की औषध निर्माण फार्म का सोवियत संघ के मेडेक्सपोर्ट से दवाइयों की सप्लाई के लिए करार

7858. श्री डी० बी० चन्द्र गोड़ा : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की एक औषधि निर्माण फर्म ने सोवियत संघ की मेडेक्सपोर्ट से उक्त देश को औषधियां सप्लाई करने के बारे में एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सप्लाई की जाने वाली औषधियों के नाम तथा मात्रा क्या हैं और उससे प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा कमाये जाने का अनुमान है ।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) करार में सम्मिलित की गई मदों के नाम हैं--माल्लेरिल तथा इन्टैस्टोपन । इस व्यवसाय से 172.6 लाख रुपये की कुल विदेशी मुद्रा के अर्जित किये जाने की आशा है और यह करार 30 नवम्बर 1973 तक वैध है ।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा गैर-आवश्यक वस्तुओं का बनाया जाना

7859. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी तेल कम्पनियों को गैर-आवश्यक वस्तुएं बनाने को, जिनका पैट्रोलियम उत्पादों से कोई सम्बन्ध नहीं है, अनुमति दे रही है; और यदि हां, तो इस देश में प्रत्येक विदेशी तेल कम्पनियों कौन-कौन सी गैर-आवश्यक वस्तुएं बना रही हैं ;

(ख) क्या इस मामले पर कोई नियंत्रण रखने के बारे में उसके मंत्रालय और औद्योगिक विकास मंत्रालय में कोई समन्वय है; और

(ग) क्या इन वस्तुओं को बनाने में विदेशी मुद्रा और विदेशों की तकनीकी जानकारी की आवश्यकता है और यदि हां, तो इन कम्पनियों को गत तीन वर्षों में सरकार ने कितनी विदेशी मुद्रा की अनुमति दी है और यदि ये वस्तुएं इन कम्पनियों के लिए भारतीय फर्में बना रही हैं तो इसको रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बलबीर सिंह): (क) जी, नहीं ।

(घ) विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा पैट्रोलियम पदार्थों से असम्बन्धित अनावश्यक वस्तुओं के निर्माण के लिये उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत एक औद्योगिक लाइसेन्स की आवश्यकता होती है । विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा औद्योगिक लाईसेन्स के लिये प्रार्थना पत्रों की जांच के विषय में पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय और अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों के बीच समन्वय रहता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पंचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में नाइट्रोजन उर्वरकों के लिए द्रुत कार्यक्रम

7860. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा नियुक्त समितयों में से एक समिति ने पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाइट्रोजन उर्वरक की 2,50,000 टन की अतिरिक्त क्षमता बनाने के लिए द्रुत कार्यक्रम के बारे में कोई सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) : पांचवीं योजना के प्रस्ताव प्रलेख (अप्रोच डाकूमेंट) में 1978-79 तक 39.12 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन

एवं 11.75 लाख मीटरी टन पी$_2$ ओ$_5$ के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। इस प्रलेख में अवरोध भुगतानों से पर्याप्त आयातों का निराकरण करने के लिए अधिक उत्पादन की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। कृषि मंत्रालय ने पांचवीं योजना के अन्त तक इस समय 52 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन और 22 लाख मीटरी टन पी$_2$ ओ$_5$ के रूप में उर्वरक खपत का अनुमान लगाया है।

मध्य प्रदेश को हीराकुंड से बिजली की सप्लाई

7861. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हीराकुंड से मध्य प्रदेश कितनी मात्रा में बिजली लेने का हकदार है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मात्रा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है।

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : मध्य प्रदेश को हीराकुंड प्रणाली से 5000 किलोवाट विद्युत् सप्लाई करने के लिए उड़ीसा सरकार सहमत हो गई है। सप्लाई के तरीके, पारेषण पथों की वोल्टता तथा इसके निर्माण तथा सप्लाई दरों को दोनों राज्यों द्वारा अभी अंतिम रूप दिया जाना शेष है।

जीवन बीमा निगम द्वारा मध्य प्रदेश को ऋण दिया जाना

7862. **श्री रणबहादुर सिंह**
श्री गंगा चरण दीक्षित } : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का जीवन बीमा निगम मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को ऋण देने के लिए एक बंधक-पत्र भरने पर जोर दे रहा है बावजूद इसके कि राज्य सरकार मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को दिये जाने वाले ऋण की गारंटी देने के लिए सहमत है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार का विचार मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड का बंधक पत्र भरने से छूट देने और इस संबंध में जीवन बीमा निगम को उचित अनुदेश दने का है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जीवन बीमा निगम द्वारा अपनी बंधक स्कीम के अन्तर्गत राज्य बिजली बोर्डों को ऋण प्रदान किए जाने हैं। जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि अभी तक मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने जीवन बीमा निगम से ऋण प्राप्त करने के बंधक पत्र के निष्पादन के संबंध में कोई कठिनाई नहीं बताई है, और न ही जीवन बीमा निगम को मध्य प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से बोर्ड को सरकारी गारण्टी के प्रति ऋण प्रदान करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है। उन बिजली बोर्डों जिनके पास किसी विशेष समय पर, बंधक रखने के लिए परिसम्पतियां उपलब्ध न हों कि कठिनाइयों को दूर करने के लिए जीवन बीमा निगम एक वर्ष की अंतरीम अवधि के लिये, जिस अवधि के दौरान बोर्डों द्वारा पर्याप्त कीमत की परिसम्पतियां बंधक रखने के लिए अपेक्षित आवश्यकताएं पूरी कर लेने की आशा है

राज्य सरकारों को गारण्टी पर ऐसे ऋणों को प्रदान करने के लिए बिजली बोर्ड के अनुरोध पर विचार कर लेती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को माटाटिला विद्युत की लागत का ब्यौरा दिया जाना

7863. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने माटाटिला विद्युत का लागत संबंधी ब्यौरा मध्य प्रदेश को उपलब्ध करा दिया है ।

(ख) क्या राज्य सरकार अथवा राज्य बिजली बोर्ड ने इस मामले की जानकारी भारत सरकार को दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक मध्य प्रदेश सरकार को अपेक्षित ब्यौरे उपलब्ध नहीं किए हैं ।

(ख) 1969 में हुई क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में इस मामले पर विचार-विमर्श हुआ था जबकि दोनों राज्य सरकारें अपनी-अपनी अपतियां वापिस लेने तथा सचदेव समिति की सिफारिशों को मानने के लिए सहमत हो गई थीं । उसके उपरांत इस मामले पर केन्द्रीय सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश को हीराकुंड से बिजली सप्लाई करने की दर निश्चित करना

7864. **श्री रणबहादुर सिंह**
श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश हीराकुंड से बिजली के अपने उचित भाग की दर उत्पादन और संचालन लागत को ध्यान में रखते हुए निश्चित करने का अनुरोध करता आ रहा है, और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन लागत के आधार पर दर निश्चित करने संबंधी मध्य प्रदेश के अनुरोध से सहमत होने में भारत सरकार को क्या कठिनाई है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) (क) और (ख) : जी, हां । अभी तक मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य किसी समझौते पर नहीं पहुंचे हैं क्योंकि सप्लाई, पारेषण पथों की वोल्टता तथा इसके निर्माण संबंधी कार्य को दोनों राज्यों द्वारा अंमिम रूप दिया जाना है । दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने कहा है कि वे खुद आपसी विचार-विमर्श द्वारा मामले को सुलझाएंगे । राज्य सरकार इस मामले पर ध्यान देगी ।

मैसूर में यागची और वेलेडोल परियोजनाओं के लिए मंज़ूरी

7865. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने यागची और वेलेडोल परियोजनाओं की तकनीकी मंज़ूरी दे दी है और क्या उन्हें इस वर्ष के आरंभ में शुरू किया जायेगा, और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के लिए कितनी धन राशि दिय जाने का विचार है :

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) और (ख) सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए धन की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा उनके विकासात्मक योजनाओं में की जाती है। राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा अनुदान के रूप में दी जाती है जो कि विकास अथवा परियोजना के किसी विशेष क्षेत्र से जुड़ी नहीं होती है।

योजना आयोग ने वेलेडोल परियोजना को सितम्बर, 1971 में स्वीकार किया था। मैसूर सरकार ने कार्यकारी दल के विचार-विमर्श के दौरान सूचित किया था कि इस परियोजना पर 1972-73 में 0.25 लाख रुपये और 1973-74 में 0.25 लाख रुपये व्यय किए जाने थे।

यागची परियोजना की तकनीकी रूप से जांच कर ली गई है। राज्य के सीमित संसाधनों के कारण योजना आयोग के लिए यह संभव नहीं है कि मैसूर की विकासात्मक योजनाओं में इस परियोजना को शामिल करने के लिए स्वीकृति दे।

Allotment of Wagons Against Applications Received from Bilaspur (Madhya Pradesh)

7866. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:—

(a) the number of applications received from Bilaspur (Madhya Pradesh) for allotment of wagons for transporting goods during the last one year;

(b) how many of them were received from Government and private agencies separately, and what was the number of wagons demanded;

(c) the number of wagons allotted to Government and private agencies, separately; and

(d) if high priority was given to private applicants, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Applications for wagons are received in the shape of indents registered at the stations where wagons are required. During 1972-73, 139645 indents wre placed at different stations on the Bilaspur Division.

(b) The number of indents placed by Government agencies was 10077 and the number of indents placed by private agencies was 129568.

(c) The number of wagons supplied to Government agencies was 8870 and the number of wagons allotted to private agencies was 97286.

(d) Does not arise as the percentage of compliance of indents placed by private agencies was less than in the case of indents placed by Government agencies.

Alleged acceptance of bribe by Railway Employees and police for a seat in the compartments at Bilaspur Station

7867. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the compartments to be attached to the train going towards Katni in the evening from Bilaspur (M.P.) Railway station remain in the yard far away from the platform for many hours ;

(b) whether Railway employees and police officials do not allow people to enter these compartments on the pretext of security but allow them to take their seats in the compartments in the yards outside by taking a bribe of rupee one or Rs. two per head; and

(c) if so, the arrangement made by Government so far to check such corruption and the time by which this corruption would be stopped?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd.Shafi Qureshi): (a) The reference presumably is to the Train No. 36 Up Bilaspur-Bhopal Passenger which leaves Bilaspr at 22/10 hours towards Katni. The rake used for this train arrives Bilaspur at 6/05 hours as train No. 35 Dn. During the day the rake remains in the yard for cleaning and maintenance before it is brought on the platform at about 21/- hours.

(b) & (c) No such complaint has been received. The South Eastern Railway administration has, however, been asked to arrange for necessary checks being conducted in this regard.

रोपड़-नंगल बांध रेलवे लाइन का रेलवे द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

7868 : **श्री पन्ना लाल बारूपाल :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोपड़ नंगल बाँध रेलवे लाइन को रेलवे ने अपने हाथ में ले लिया है : और

(ख) यदि हाँ, तो इस लाइन पर यात्रियों तथा कर्मचारियों को किस प्रकार की सुविधाएं देने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस खण्ड पर यात्रियों और रेल कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है :—

(i) नंगल डैम पर सूखी टट्टियों के बदले फ्लश टट्टियों के निर्माण के काम को 1973–74 में करने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

(ii) नंगल डैम पर पानी की व्यवस्था में सुधार करने के काम को भविष्य के निर्माण कार्यक्रमों में शामिल करने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

(iii) नंगल डैम में टाइप I के 27 यूनिट और टाइप II के 20 यूनिट क्वार्टर बनाये जा रहे हैं ।

भेषज मूल्यों के निर्धारण के लिये आवेदन-पत्रों की प्राथमिकता सम्बन्धी प्रक्रिया

7869. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 27 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4739 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों पर तारीख के हिसाब से अर्थात प्रत्येक आवेदन पत्र के पहुंचने की तारीख के हिसाब से विचार किया जाता है अथवा किसी आवेदन पत्र को या किसी विशेष किस्म के आवेदन-पत्रों को प्राथमिकता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो प्राथमिकता देने के लिए किन सम्भाव्य सिद्धांतों का पालन किया जाता है और प्राथमिकता दिये गये आवेदन पत्रों का क्या स्वरूप है;

(ग) वर्ष 1972 में प्राप्त अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्रों का अन्तिम रूप से निपटान करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारण करने का विचार है ; और

(घ) जनवरी, 1972 से लेकर भेषज मूल्य पुनर्विलोकन बोर्ड की अब तक कुल कितनी बैठक हुईं और क्या अनेक मामलों में कोई बोर्ड द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता और ऐसे आवेदन-पत्रों पर विचार स्थगित कर दिया जाता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलवीर सिंह): (क) और (ख). मूल्य निर्धारण के लिए प्राप्त प्रार्थना-पत्रों, यदि वे सभी पहलुओं से मुकम्मल हैं, पर अधिकांशत: प्राप्ति की तारीख से विचार किया जाता है। कैन्सर, हृदय-रोग आदि के इलाज के लिए औषधियों से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्रों को, केसों के महत्व का ध्यान करते हुए प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) वर्ष 1972 के दौरान प्राप्त अनिर्णीत प्रार्थना पत्रों की संख्या अधिक नहीं है और क्योंकि, मूल्य समीक्षा बोर्ड की प्राय: वैठकें होती रहती हैं, उन प्रार्थना-पत्रों के शीघ्र ही निपटान किये जाने की आशा है।

(घ) जनवरी, 1972 से बोर्ड की 24 बार बैठकें हुई हैं। बोर्ड को कई मामलों में किये जाने वाले विचारों को स्थगित करना पड़ा क्योंकि बोर्ड को इस सम्बन्ध में और ब्यौरों की आवश्यकता थी।

वर्ष 1972-73 में विदेशी औषध फर्मों द्वारा निर्यात की गई औषधियों की मात्रा तथा उनका मूल्य

7870. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि औषधियां बनाने वाली प्रत्येक विदेशी फर्म ने 1972–73 में कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की औषधियों का निर्यात किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : 1972–73 के दौरान फर्मों द्वारा किये गये निर्यात के ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं और यथाशीघ्र सभा पटल पर रखे जायेंगे।

Scheme to make Railway Transport System as Modern Commercial Organisation

7871. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have under their consideration any Scheme to make Railways the biggest public transport system in the country, and modern Commercial Organisation; an

(b) if so, the broad outlines of the Scheme in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) & (b) Modernisation is a continuous process. One of the basic objectives of the Fourth Five Year Plan and of the Fifth Five Year Plan being formulated, is to modernise the system in respect of its equipment and practices to the maximum extent within the material and financial resources available. Commercial practices are being followed to the extent possible cosistent with the Railways social obligations.

Persons Arrested for Stealing Railway Property

7872. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of persons arrested on the charge of stealing Railway property since 1st January, 1971 to 31st March, 1973;

4—330LSS/73

(b) the number of persons against whom cases were filed in the court; and

(c) the number of personnel of Railway Protection Force caught red-handed while stealing Railway property?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) 41274 persons.

(b) 35825 persons.

(c) 407 personnel of Railway Protection Force.

Accidents on North Eastern Railway

7873. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of Railway accidents registered on the North Eastern Railway during the last five months; and

(b) the number of accidents which occurred as a result of acts of sabotage?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) During the period 1-11-1972 to 31-3-1973 there were 33 train accidents in the categories of collisions, derailments, level crossing accidents and fires in trains on the North Eastern Railway.

(b) None.

Accidents on Eastern Railway

7874. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of Railway accidents registered on the Eastern Railway during the last five months;

(b) the number of accidents which occurred as a result of the acts of sabotage; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to check the increasing number of accidents ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) During the period 1-11-1972 to 31-3-1973 there were 26 train accidents in the categories of collisions, derailments, level crossing accidents and fires in trains on the Eastern Railway.

(b) None.

(c) As failure of railway staff is the largest single factor responsible for accidents, safety organisations set up on the railways have been engaged in inculcating safety consciousness amongst staff connected with the running of trains and in ensuring that they have a proper understanding of prescribed safety rules. Further, spot checks are made to see that staff do not violate safety rules and indulge in short-cut methods. Inquiries are held into all accidents and those held responsible are dealt with appropriately. In addition, if an inquiry reveals any other shortcomings or lapses, steps are taken with a view to preventing their recurrence. Technological improvements in the nature of improved signalling and interlocking, track circuiting, etc. have also been made to the extent feasible to improve safety.

मैसर्स होइचस्ट एण्ड फार्मेसियुटिकल्स लिमिटेड और वार्नर हिन्दुस्तान लिमिटेड में आरम्भ में और इस समय लगी विदेशी पूंजी और इनके द्वारा विदेशों को भेजी गई धन-राशि

7875. **श्री भालजी भाई परमार :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स होइचस्ट एण्ड फार्मेसियुटिकल्स लिमिटेड और वार्नर हिन्दुस्तान लिमिटेड ने आरम्भ में कितनी विदेशी पूंजी लगाई गई थी और इन दो कम्पनियों में अब कितनी विदेशी पूंजी लगी हुई है;

(ख) विदेशी पूंजी में किस प्रकार वृद्धि की गई है—क्या विदेशों से और पूंजी प्राप्त करके अथवा इस देश में लाभ अर्जित करके ऐसा किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों में इन में से प्रयेक कम्पनी ने लाभ, लाभांश तकनीकी जानकारी प्रभार, रायल्टी आदि के रूप में प्रतिवर्ष कितनी धन-राशि विदेशों को भेजी है; और

(घ) इन दो कम्पनियों को गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कर की राशि मिला कर और कर की राशि मिलाये बिना कितना लाभ होता रहा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मैसर्स होइचस्ट एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड और वार्नर हिन्दुस्तान लिमिटेड को आयात लाइसेंस दिया जाना

7876. **श्री भालजी भाई परमार :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में मैसर्स होईचस्ट एवं फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड और वार्नर हिन्दुस्तान लिमिटेड को दिये गये आयात लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है और उन में कितनी विदेशी मुद्रा अन्तग्रस्त थी;

(ख) उपरोक्त दो कम्पनियों को, यदि कोई सी०ओ०बी० लाइसेंस दिये गये थे तो उनको मिलाकर उन्हें दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इन दो कम्पनियों की गतिविधियों को, जिनमें काफी विदेशी पूंजी लगाई हुई है, रोकने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) मैसर्स वारनर हिन्दुस्तान लिमिटेड और मैसर्स होइचस्टफार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को दिए गए आयात लाइसेंसों के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं तथा सभा पटल पर रख दिए जाएंगे ।

(ख) इन दो फर्मों को औषध निर्माण के लिए दिए गए औद्योगिक लाइसेंसों के बारे में एक विवरण-पत्र संग्लन है । (ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०—4862/73)

(ग) जी नहीं । इन दो फर्मों द्वारा विदेशी साम्य पूंजी निवेश 50 प्रतिशत है तथा इन दो फर्मों के कार्य-कलापों का नियंत्रण समय समय पर लागू आम नीति द्वारा दिया जाता है ।

केरल के गांवों में बिजली लगाने के संबंध में चौथी योजना में निर्धारित लक्ष्य

7877. **श्री वयालार रवि : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में केरल के गांवों में बिजली लगाने संबंधी लक्ष्य क्या हैं और यह लक्ष्य उस राज्य में कुल गांवों का कितने प्रतिशत है ; और

(ख) वर्ष 1972–73 के अंत में कुल कितने गांवों में बिजली लगाई गई और वर्ष 1973–74 में कुल कितनी धन-राशि खर्च करने का विचार है और इस राशि में केन्द्रीय सरकार का हिस्सा कितना होगा ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) चतुर्थ योजना में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अंतर्गत पम्पों के ऊर्जन पर बल देना जारी रहा है । ग्राम विद्युतीकरण इस कार्यक्रम का एक सहायक भाग है । अत: ग्राम विद्युतीकरण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे । बहरहाल, केरल सरकार ने चतुर्थ योजना अवधि में 436 गांवों को विद्युतीकृत करने का कार्यक्रम बनाया था जो कि कुल गांवों की संख्या का 27.7 प्रतिशत है, और

(ख) केरल में, 1,573 गांवों में से 1,330 गांव, जो 84.5 प्रतिशत हैं, 28.2, 1973 तक विद्युतीकृत किए गए थे । 1973–74 वर्ष के लिए केरल में ग्राम विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित परिव्यय राज्य योजना के अंतर्गत 5.50 करोड़ रुपये है । राज्य बिजली बोर्डों की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में यौगिक धन दीर्घकालीन ऋणों के रूप में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा प्रदान किया जाता है । 1973–74 वर्ष के दौरान ऋण सहायता की राशि राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रायोजित स्कीमों की संख्या और इस निगम द्वारा निर्धारित निर्देश-संकेतों/प्रतिमानों तथा व्यवहार्य मानदण्डों के अनुसार ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा अनुमोदित स्कीमों पर निर्भर होगी ।

कन्नानोर से रेलवे वर्कशाप के तबादले के विरुद्ध अभ्यावेदन

7878. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कन्नानोर से रेलवे के वर्कशाप तबादले के प्रस्ताव के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन मिला है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क): और (ख) कण्णनूर में रेलवे का कोई कारखाना नहीं है लेकिन वहां भाप रेल इंजन का एक शेड है और संभवत: प्रश्न का आशय इसी शेड से है ।

युक्तिकरण के फलस्वरूप, कण्णनूर शेड में रखे जाने वाले अप रेल इंजनों की संख्या घट कर 6 रह गयी है और इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि अनुरक्षण कार्य के युक्तिकरण के हित में चरणबद्ध रीति से कर्मचारियों के एक छोटे से भाग को शेरुवणूर इंजन शेड में स्थानान्तरित कर दिया जाये ।

Charging of 20 Paisa for Third Class Passenger for the use of Lavatories at Delhi Station

7879. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that some Railway employees take positions near the entrance to lavatories intended for the Third Class at Delhi Railway Station and allow the poor

Third Class passengers to make use of the lavatories only after charging 20 paise from each passenger,

(b) whether these persons have also been reported to have made off with the luggage of the passengers; and

(c) whether Government propose to make any enquiry into the whole matter and take action against the persons found guilty?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi : (a) & (b) No complaints of this nature have been received. However, checks by supervisory staff have been intensified to ensure that no such irregularity takes place.

(c) Does not arise.

धुवारन बिजली घर, गुजरात में बिजली का उत्पादन

7880. **श्री बसन्त साठे :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेजिडयुल फ्यूल के अभाव के कारण गुजरात के धुवारन बिजली घर को विद्युत् प्रजनन में कमी करनी पड़ी थी जिसके परिणामस्वरूप उद्योगों द्वारा बिजली के प्रयोग में 20 दिन के लिए अर्थात् 19 फरवरी, 1973 से 9 मार्च, 1973 तक उद्योगों में बिजली के प्रयोग में 15 प्रतिशत की कटौती की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में उद्योगों की कितनी हानि हुई है; और

(ग) धुवारन बिजली घर को रेजिडयुल फ्यूल सप्लाई करने में सप्लाई एजेंसियों के असफल रहने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) जी, हां। अवशिष्ट ईंधन तेल की सप्लाई में कमी होने के कारण विद्युत् का उत्पादन 20 दिनों के लिए कम कर दिया गया था जिसके फलस्वरूप उद्योगों द्वारा विद्युत् के प्रयोग पर 15 प्रतिशत की कटौती लागू कर दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन को हानि पहुंची है और इस हानि की मात्रा का मूल्यांकन नहीं किया गया है। अवशिष्ट ईंधन तेल की सप्लाई में कमी आपाती अनुरक्षण तथा मरम्मत के लिए एक तेल शोधन यूनिट को बंद करने के कारण हुई थी। इस सारी अवधि में अवशिष्ट ईंधन तेल की सामान्य सप्लाई केवल उत्पाद-मार्ग की पूर्ति के लिए ही पर्याप्त होने के कारण ऐसी आकस्मिकता की स्थिति का सामना करने के लिए इसका संचय नहीं किया जा सका।

कोटा परमाणु बिजली घर से उत्पन्न बिजली पड़ौसी राज्यों को सप्लाई करने में राजस्थान द्वारा असमर्थतता व्यक्त करना

7883. **श्री पी० गंगादेव**
श्री पुरुषोत्तमका कोडकर } : **क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने यह विचार व्यक्त किया है कि वे कोटा परमाणु विद्युत् परियोजना से उपलब्ध होने वाली समस्त बिजली का उपयोग स्वयं करेंगे और किन्हीं पड़ौसी राज्यों को बिजली की सप्लाई करने की स्थिति में नहीं होंगे।

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र इस प्रस्ताव से सहमत हो गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में केन्द्र द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : । (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) राजस्थान परमाणु शक्ति केन्द्र सहित परमाणु शक्ति केन्द्रों से विद्युत् आवंटन के प्रश्न की जांच की जा रही है ।

राजस्थान में नहरों और नलकूपों से सिंचित भूमि का क्षेत्रफल

7884. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में नहरी सिंचाई के अंतर्गत जिलेवार कुल कितनी भूमि है;

(ख) राजस्थान नहर के पूरा हो जाने पर कितनी भूमि की सिंचाई हो सकेगी; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक नहरों और नलकूपों सहित, कितनी भूमि के लिए सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था हो जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) 1970–71 के दौरान राजस्थान में नहरों से सिंचित जिलेवार क्षेत्र निम्नलिखित हैं :—

जिला	नहरों द्वारा सिंचित शुद्ध क्षेत्र
	(हैक्टेयर)
भरतपुर	22,236
बीकानेर	1,026
बूंदी	61,407
गंगानगर	5,38,970
झालावाड़	373
कोटा	1,01,993
सवाई माधोपुर	29,311
सीकर	218

शेष जिलों को नहर सिंचाई सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं ।

(ख) राजस्थान नहर चरण-एक में गंगा नहर और बीकानेर जिलों में 1,597,000 है क्षेत्र की सिंचाई सुविधा प्रदान करना प्रस्तावित है । राजस्थान नहर-चरण-दो में बीकानेर और जैसलमेर जिलों में 568,000 हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई सुविधा प्रदान करना प्रस्तावित है ।

(ग) पांचवीं योजना का ब्यौरा अभी तक तैयार नहीं किया गया है ।

मणिपुर की लोकटक परियोजना के रखरखाव संबंधी कार्य में इंजीनियरों का सहयोग

7885. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर की राज्य सरकार लोकटक परियोजना के लिए इंजीनियरों को उपलब्ध कराने में लगातार अनिच्छा प्रकट करती रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना के निर्माण के साथ स्थानीय इंजीनियरों को पर्याप्त संख्या में संबद्ध न किये जाने के कारण परियोजना के निर्माण के बाद उसके रख-रखाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय संवर्ग के इंजीनियरों और स्थानीय रूप से प्रतिनियुक्त इंजीनियरों के बीच इस समय क्या अनुपात है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त अनुपात में सुधार करने का है और यदि हां, तो किस आधार पर ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (घ) लोकतट परियोजना उन तीन जल-विद्युत् परियोजनाओं में से एक है जिन्हें भारत सरकार कार्यान्वित कर रही है। परियोजना के पूर्ण हो जाने पर इसका अनुरक्षण और प्रचालन भी केंन्द्र सरकार के अधीन रहेगा। चूंकि मणिपुर सरकार के अपने पास इंजीनियरों की कमी है। वह लोकटक परियोजना पर नियुक्ति के लिए अधिक इंजीनियर नहीं दे सकी। इस समय भरे हुए 17 इंजीनियरी पदों में दो पर मणिपुर सरकार के अधिकारी नियुक्त हैं। राज्य सरकार ने दो और अधिकारियों के नामों की सिफारिश की है, जिनके मामले संघ लोक सेवा आयोग के विचाराधीन हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के 5 अनुभाग अधिकारी भी लोकटक परियोजना पर कार्य कर रहे हैं।

Railway Commission's concern over Maintenance of Speedometers of Railway Engines

7886. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Railway Commission has expressed concern in regard to maintenance of speedometers of Railway engines;

(b) whether the Commission has commented several times during the last five years about the inadequate maintenance of the speedometers; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b) Yes, the Commission of Railway Safety has broughtout in its report for the year 1971-72 that during the last 5 years the inadequate maintenance of speedometers has featured in 15 enquiries.

(c) The speedometers manufactured indigenously are giving some mechanical trouble due to inherent characteristics of the speedometers and their gear boxes and there is some difficulty for procurement of spares for the imported units. The administration is seized of this problem and has taken steps to overcome these defects and shortages. Efforts are also being made to develop a better design. It has to be noted that a very large number of locomotives are provided with speedometers and notwithstanding the difficulties indicated some speedometer will be defective.

दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई, अंडरटेकिंग के तकनीकी पर्यवेक्षी कर्मचारी संघ की मांगें

7887. श्री एम० एम० जोसफ : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी संघ ने 17 मार्च, 1973 को दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग में अपनी मांगें कार्यान्वित करने के लिए अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) संघ को मान्यता प्रदान करने से संबंद्ध मांग श्रम आयुक्त के परामर्श से दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के विचाराधीन है। एक निरीक्षक पर कथित आक्रमण के संबंध में एक और मांग का मामला ऐसा है जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जानी है। कथित आक्रमण के संबंध में दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के कर्मचारियों द्वारा यदि कोई चूक हुई है तो उसके बारे में प्रबंध मंडल द्वारा पूछताछ की जा रही है। अन्य कुछ मांगों पर कार्रवाई मान्यता के प्रश्न पर निर्णय करने के बाद की जाएगी।

पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर माल की छुटपुट चोरी

7888. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर रेल वैगनों, मालगोदामों और पार्सल आफिस से माल की बड़े पैमाने पर छुटपुट चोरी होती रहती है और बदमाश व्यक्ति रेल-कर्मचारियों और रेलवे सुरक्षा दल की सांठगांठ से पिछले कई साल से लगातार इस प्रकार की शरारत करते आ रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप रेल-विभाग को भारी घाटा हुआ है।

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सम्बद्ध पार्टियों को मुआवजे की राशि देने के कारण अनुमानतः कितना घाटा हुआ है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर तैनात प्रत्येक स्टेशन मास्टर, बुकिंग क्लर्क, रिजर्वेशन टिकट क्लर्क और पार्सल क्लर्क पर भारी रकम कमा लेने का आरोप है और ऐसा आरोप लगाया गया है कि इस प्रकार का प्रत्येक स्टेशन मास्टर अथवा पार्सल क्लर्क पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर अपनी नियुक्ति के लिए प्रमाणीय अधीक्षक के कार्यालय में भारी रकम अदा करता है ; और

(घ) क्या उक्त बात को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस मामले में जांच कराने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) यह सच नहीं है कि पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर रेलवे के माल डिब्बों, माल गोदामों और पार्सल घरों से माल की भारी उठाईगिरी होती है।

(ख) वर्ष 1970, 1971 और 1972 में रेलों द्वारा इस संबंध में सम्बन्धित पार्टियों को भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि क्रमशः 2,42,267 रुपये, 1,72,738 रुपये और 1,45,736 रुपये थी।

(ग) ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं मिली है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1973 के लिए राज्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के कोयले की मांग

7889. **श्री अरविंद एम० पटेल**
श्री डी० पी० जदेजा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1973 के लिए राज्यों को कोयले की मांगें प्राप्त हो गई हैं ; और

(ख) गुजरात राज्य को वर्ष 1973 के लिए स्टीम कोल हार्ड कोक तथा स्पेशल कोक की कितनी-कितनी मांग है और कितनी मात्रा सप्लाई किये जाने की सम्भावना है ।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी हां ।

(ख) विभिन्न राज्यों को कोयले का सम्यक वितरण सुनिश्चित करने के लिए, रेलवे और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से कुछ सीमाएं निर्धारित की जाती हैं जिनके अन्दर ही प्रत्येक राज्य विभिन्न प्रकार के कोयले के लिए कार्यक्रम बना सकता है । 1973 में गुजरात राज्य के लिए भाप कोयला, हार्ड कोक और साफ्ट कोक का निर्धारित मासिक कोटा इस प्रकार है :—

लघु उद्योग	185 माल डिब्बे
हार्ड कोक	500 माल डिब्बे
साफ्ट कोक	360 माल डिब्बे

मांगों की यथासम्भव अधिक से अधिक पूरा करने के लिए सभी प्रयास किये जायेंगे ।

गंगा में मानसून-पूर्व भूमि कटाव प्रतिरोधी उपायों के लिए पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय सहायता

7890. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंभीर क्षति से बचने के लिए धूलिया और औरंगाबाद और राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे हुए स्थानों के निकट गंगा में मानसून पूर्व भूमि कटाव प्रतिरोधी उपायों के लिए शीघ्र कार्यवाही करने को आवश्यकता की और पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया है;

(ख) क्या इस कार्य के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में एक करोड़ रुपये की तदर्थ राशि की मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग). बहुत उपयोगी क्षेत्रों, महत्वपूर्ण नगरों आदि तथा राष्ट्रीय राजमार्ग को गंगा के कटाव से बचाने के उपायों के लिए पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने 63 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक योजना तैयार की है । राज्य सरकार ने इसके कार्यान्वियन के लिए केन्द्र सरकार को छानबीन तथा अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मार्च 1973 के प्रथम सप्ताह में भेजा है । चूंकि यह एक बृहत् स्कीम है जिसके लिए विस्तृत परीक्षण और योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति की स्वीकृति अपेक्षित है जिसमें काफी समय लगेगा और कुछ कार्यों को असुरक्षित रीतों में आगामी बाढ़ों से पूर्व ही कार्यान्वित किया जाना है इसलिए राज्य सरकार को तत्काल कार्यों के कार्यक्रम की स्कीमें तैयार करने की सलाह दी गई है ।

केन्द्रीय तथा राज्य के तकनीकी अधिकारियों की बैठक में शीघ्र कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यों के स्वरूप के बारे में विचार विमर्श किया गया और अंतिम रूप दिया गया है।

राज्य सरकार से तत्काल कार्यों को पूरा करने के लिए 1 करोड़ रुपये की तदर्थ सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है। शीघ्रता वाले कार्यों की योजना रिपोर्टों के तैयार होने और स्वीकृत होने के पश्चात् इस पर समुचित विचार किया जाएगा। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार से आपात्कालिक कार्यों को हाथ में लेने का अनुरोध किया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ग्लोब मोटर्स दिल्ली की प्रतिभूति राशि का जमाकर्त्ताओं को भुगतान के लिए जारी किया जाना

7891. **श्री हरी सिंह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स ग्लोब मोटर्स, नई दिल्ली के सेठ मूंधड़ा द्वारा जमा की गई 20 लाख रु० की प्रतिभूति राशि को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा मुक्त कर दिया गया है और यदि हां, तो किन परिस्थितियों में, और

(ख) क्या मैसर्स ग्लोब मोटर्स ने यह राशि जमाकर्ताओं को पांचवीं किस्त की ठीक समय पर अदायगी करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जमा की थी ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) तथा (ख) उच्च न्यायालय द्वारा 31-5-1969 को स्वीकृत, ग्लोब मोटर्स लि० की बाबत, समझौता व्यवस्था की योजनान्तर्गत, पहली किश्त की अदायगी के पश्चात् जमाकर्ताओं को कुल राशि, अथवा 15 लाख रुपये, जो भी थोड़ा हो, की अदायगी तक, गारन्टी की राशि, उन आंकड़ों के बराबर होगी, जो परवर्ती दो किश्तों के बराबर हों। 22 मार्च, 1972 को चतुर्थ किश्त की अदायगी, के समय उच्च न्यायालय ने अपनी दिनांक 24 मार्च, 1972 के आदेश द्वारा, कम्पनी के आवेदन-पत्र संख्या 122/72 की प्रार्थना पर साथ-साथ यह अनुमति प्रदान की कि इस योजनान्तर्गत पंचम किश्त की अदायगी के समय 15 लाख रु० की सीमा तक गारन्टी पुनः पूर्ति होनी चाहिए। योजना के अन्तर्गत पांचवीं किश्त की देनदारी 22 मार्च, 1973 को थी, परन्तु कम्पनी ने, 22 मार्च, 1973 से 22 मार्च, 1974 तक कथित किश्तों की अदायगी के लिए एक साल की तिथि के विस्तार के लिये न्यायालय के आदेशों की प्राप्ति हेतु 1973 के आवेदनपत्र सी० ए० सं० 173 का प्रस्तुत किया जाना, एवं 15 लाख रुपयों को पुनः पूर्ति को बैंक गारन्टी के लिए 22 मार्च 1973 के स्थान पर 22 मार्च 1974 को अनुमति दिया जाना, सूचित किया है। ऐसा सुना गया है कि इस विषय को सुनवाई के लिए अब 7 मई, 1973 निश्चित की गई है।

मैसर्स ग्लोब, नई दिल्ली के जमाकर्त्ताओं को अदायगी

7892. **श्री हरी सिंह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स ग्लोब मोटर्स लि०, नई दिल्ली द्वारा जमाकर्ताओं को, 1 अप्रैल, 1973 को देय पांचवीं किश्त की अदायगी की जा रही है ;

(ख) क्या उक्त कम्पनी ने अवधि में वृद्धि करने के लिए उच्च न्यायालय से अनुरोध किया हैं और यदि हां तो कितनी अवधि के लिये; और

(ग) जमाकर्ताओं को पांचवीं किश्त की अदायगी करने के लिये सरकार का क्या निश्चित और प्रभावी उपाय करने का विचार है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) तथा (ख) कम्पनी ने, 22 मार्च, 1973 से 22 मार्च, 1974 तक एक साल के अन्दर किश्तों की अदायगी हेतु, तिथि बढ़ाने के लिए, दिल्ली उच्च न्यायालय की आदेशों की अनुमति के लिए 1973 का आवेदन-पत्र सी० ए० संख्या 175 प्रस्तुत किया जाना सूचित किया है । यह सुना गया है कि इस मामले की सुनवाई के लिए अब 7 मई, 1973 निश्चित की गई है ।

(ग) सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने के लिए स्थिति स्थल नहीं है । मामला सम्पूर्ण रूप से उच्च न्यायालय के पास है ।

ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस में आरक्षित खानों का समाप्त किया जाना

7893. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस तथा कुछ अन्य रेलों में आरक्षित खानों की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां । (ख) भीड़-भाड़ को रोकने तथा लम्बे सफर वाले यात्रियों को अत्याधिक राहत देने की दृष्टि से ऐसा किया गया है ।

दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान में काम कर रहे इंजीनियर

7894. **श्री शशि भूषण :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान में काम कर रहे इंजीनियरों की वर्गवार कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से प्रत्येक वर्ग में स्थायी और अस्थायी इंजीनियरों की संख्या कितनी है ;

(ग) अस्थायी इंजीनियरों की अधिकतम सेवा कितनी है; और

(घ) क्या दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान में विभिन्न वर्गों के इंजीनियरों के कुछ पद खाली पड़े हैं और यदि हां, तो कब से और इन खाली पदों को भरने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) से (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०–4863/73] ।

Setting up of Rural Courts for the Administration of Justice at cheaper Cost

7895. **Shri M. S. Purty:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state

(a) whether Government have formulated any scheme for setting up rural courts for the administration of justice at cheaper cost; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. K. Gokhale) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

इराकी प्रतिनिधि मण्डल के साथ अप्रैल 1973 में हुई बातचीत का परिणाम

7897. **श्री पी० गंगादेव**
श्री प्रसन्न भाई मेहता } : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1973 के प्रथम सप्ताह में एक इराकी प्रतिनिधि मण्डल ने भारत की यात्रा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधि मण्डल के साथ हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) विचार विमर्श के फलस्वरूप निम्नलिखित पांच समझौते हुए :

(1) दोनों सरकारों के बीच आर्थिक तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग को कार्यान्वयन के लिये मंत्री स्तर पर एक संयुक्त आयोग की स्थापना के लिये पत्रों पर हस्ताक्षर हुए और विचारों का आदान प्रदान हुआ।

(2) दोनों देशों के बीच समानता और आपसी हित के आधार पर आर्थिक तकनीकी और व्यापारिक सम्बन्धों के विकास विस्तार और दृढ़ बनाने के लिए एक आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौते में, कच्चे तेल वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई दोनों देशों के बीच यथा संभव सन्तुलित आधार पर प्रायोजनाओं की स्थापना सहित व्यापारिक आदान प्रदान की व्यवस्था है, असन्तुलन प्रति छः माह परिवर्तनीय मुद्रा में अदायगी द्वारा सुधारे जायेंगे। रेलवे लाइनों, स्पात रोलिंग मिल्स, कपड़ा मिलें, चीनी संयंत्रों विद्युत् वितरण प्रणाली, सोडा ऐश संयंत्र, जल-पम्पों के निर्माण, छोटे इंजीनियरिंग उद्योगों, उर्वरक कारखानों, अलूमिनियम प्रयोजन और कागज मिलों के विस्तार आदि जैसी प्रयोजनाओं के कार्यान्वयन में भारत ईराक को सहायता देगा। इसके अतिरिक्त भारत निर्माण कार्यों उत्पादन लाइसेंसों, पेटन्टों और अलग-अलग संयंत्र और मशीनों और उपकरणों की आरम्भिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में बने अतिरिक्त पुर्जों से सम्बन्धित आर्थिक और तकनीकी अध्ययन डिजाइन योजनाएं तकनीकी जानकारी और प्रलेख, भारतीय विशेषज्ञों की सेवाएं और समय-समय पर ईराक सरकार द्वारा किये गये अनुरोध के अनुसार भारत में ईराकी नागरिकों के प्रशिक्षण की सुविधाएं भी देगा। समझौते में ईराक सरकार को कृषि और सम्बद्ध क्रियाओं के विकास में सहायता दिये जाने की भी व्यवस्था है।

(3) मथुरा शोधनशाला की विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं के एक भाग को पूरा करने के लिये, कच्चे तेल की सप्लाई के रूप में 50 मिलियन अमरीकी डालर के एक ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। समझौते में भारत द्वारा ईराक से दीर्घ अवधि-आधार पर कच्चा तेल खरीदने की भी व्यवस्था है।

(4) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ईराक में तेल अन्वेषण के लिये एक "सेवा ठेके" के लिए समझौते के शीर्षकों पर हस्ताक्षर किये गये।

(5) पेट्रोलियम उद्योग के लिये इंजीनियरिंग डिजाइन क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को दृढ़ करने के लिये सिद्धान्त रूप में समझौता हुआ।

जम्मू में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करने संबंधी योजना

7898. **श्री० पी० गंगादेव**
श्री के० लकप्पा } : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू क्षेत्र के पिछड़े इलाकों में सिचाई सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बताई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर कितनी राशि खर्च होगी।

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) वर्तमान स्कीमों के अतिरिक्त जम्मू क्षेत्र में एक वृहत् तथा एक मध्यम योजना प्रस्तावित है।

1. रावी नहर योजना एक वृहत् स्कीम है जिसकी अनुमानित लागत लगभग 30 करोड़ रुपये है। इसमें प्रस्तावित थीन विद्युत् केन्द्र के अंतिम छोर पर रावी नदी की अनुप्रवाह दिशा में एक हैडवर्क्स तथा एक 31800 हैक्टेयर (79,500 एकड़) भूमि की सिंचाई करने के लिए 31.7 क्यूसेक्स (1120 क्यूसेक्स) क्षमता की एक नहर का निर्माण सम्मिलित है।

2. मुनावर-तवी लिफट सिंचाई योजना एक मध्यम सिंचाई योजना है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 60 लाख रुपये हैं। इस योजना के फेज-एक के अंतर्गत छम्ब क्षेत्र में 2000 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई करने के लिए मुनावर-तवी नदी से 1.62 क्यूसेक्स (60 क्यूसेक्स) जल को उठाया जाएगा।

तेलचर उर्वरक कारखाने में रोजगार

7899. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तेलचर उर्वरक कारखाने में कितने श्रमिकों को रोजगार पर लगाये जाने का अनुमान है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : लगभग 1500 जिनमें से लगभग 1300 श्रमिक वर्ग में होंगे।

बालासोर में मध्यम सिंचाई परियोजना

7900. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालासोर में मध्यम सिंचाई परियोजना शुरू कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो 1973–74 के दौरान परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यक्रम हैं?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि उनके द्वारा बालासोर में कोई मध्यम सिंचाई परियोजना स्वीकार नहीं

की गई है क्योंकि इसके लिए वहां पर कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं हैं और एक बृहत् परियोजना नामशः सातवीं परियोजना से पहले ही जिले में सिंचाई हो रही है ।

आर० जी० शा वालेस एण्ड कम्पनी के शेयरों की खरीद

7901. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने लन्डन में आर० जी० शा वालेस के शेयरों की श्री कल्याण कुमार बसु द्वारा खरीद पर आपत्ति की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चह्वाण : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अहमदाबाद मेल में 'थ्री टीयर' के एक डिब्बे का लगाया जाना

7902. **श्री डी० पी० जदेजा**
श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद मेल में दिल्ली से ओरवा के बीच केवल एक 'टू-टीयर' डिब्बा लगाया जाता है ।

(ख) क्या रेलगाड़ियों में सीटें/सोने का स्थान प्राप्त करने में सैन्य कर्मचारियों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये सरकार का विचार उक्त ट्रेन में दिल्ली से जामनगर के बीच एक 'थ्री-टीयर' डिब्बा भी लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) अहमदाबाद मेल में दिल्ली से ओरवा तक एक 2-टियर यान लगाया जाता है ।

(ख) जी नहीं । मिलान देने वाली तेज गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बा लगाने के लिए स्थान न होने के कारण, अतिरिक्त सीधा डिब्बा चालू करना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पोरबन्दर तापीय बिजली घर का सौराष्ट्र केमिकल को बेचा जाना

7903. श्री डी० पी० जदेजा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार से, गुजरात स्थित पोरबंदर तापीय बिजली घर को सौराष्ट्र केमिकल को बेचे जाने का अनुमोदन करने के लिये अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) जी हां, अगस्त, 1971 में गुजरात सरकार ने पोरबन्दर ताप विद्युत् केन्द्र को 1973 में मैसर्स सौराष्ट्र कैमिकल्स लि० को बेच देने के लिये सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय को प्रस्ताव किया था। अपने कारखाने के विस्तार के लिए सौराष्ट्र कैमिकल्स लि० को 1974 तक अतिरिक्त 45 टन वाष्प प्रति घन्टा, विद्युत् की और अधिक मात्रा तथा समुद्र जल की आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये गुजरात राज्य बिजली बोर्ड के पास निम्नलिखित तीन विकल्प थे :—

1. मांग को पूरा करने के लिए विद्युत् केन्द्र का विस्तार करना।
2. विद्युत् केन्द्र का कम्पनी को बेच देना।
3. मुख्यत: वाष्प की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्र का प्रचालन करना।

विभिन्न विकल्पों की आर्थिक दृष्टि से जांच करने के लिए बोर्ड द्वारा स्थापित समिति इस निर्णय पर पहुंची कि 1959 में स्थापित किए गए विद्युत् केन्द्र का 105 करोड़ रुपये से ऊपर की लागत पर, विशेषकर जब कि केन्द्र मूल रूप से अलाभकारी है, विस्तार करना उपयुक्त नहीं है। तीसरे विकल्प की अपेक्षा दूसरे विकल्प को इसलिए तरजीह दी गई क्योंकि बिजली (सप्लाई), अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राज्य बिजली बोर्ड के अनिवार्य कार्यों में वाष्प की सप्लाई करना शामिल नहीं है।

(ख) मामले के सभी पहलुओं की ध्यानपूर्वक जांच करने के पश्चात् सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय ने विद्युत् केन्द्र को 1973 में मैसर्स सौराष्ट्र कैमिकल्स लि० के पास उस मूल्य पर जो राज्य बिजली बोर्ड को अधिकतम लाभकारी हो, बेचने के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

गुजरात में ताप बिजली घर की सौराष्ट्र केमिकल्स को बिक्री

7904. **श्री डी० पी० जदेजा : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के पोरबंदर स्थित 15 मेगावाट का एक संयंत्र सौराष्ट्र कैमिकल्स को बेच दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी देशों से टेंडर मांगे गये थे ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां। पोरबंदर स्थित 15 मैगावाट के विद्युत् केन्द्र को सौराष्ट्र केमिकल्स को बेचने के लिए करार निष्पादित किया गया है और इस विद्युत् केन्द्र का हस्तान्तरण जून 1973 में करने का प्रस्ताव है।

(ख) विक्रय के लिए कोई निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई थीं।

(ग) सौराष्ट्र केमिकल्स को विद्युत् केन्द्र के विक्रय का प्रश्न उनके द्वारा बोर्ड से वाष्प और समुद्रीय जल की अतिरिक्त आपूर्ति के नियमित निवेदन के कारण उत्पन्न हुआ। बोर्ड उसके आरम्भ होने से उसकी आपूर्ति कर रहा है और विद्युत् केन्द्र उस कारखाने के निकट स्थित है। करार में स्वीकार किया गया संयंत्र का मूल्य उसके वास्तविक बही-मूल्य से अधिक है।

भविष्य निधि, अनुभाग, डिवीजनल लेखा कार्यालय, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) के सुपरवाइजरी कर्मचारियों द्वारा गलत मासिक रिपोर्ट दिया जाना

7905. **श्री घनशाह प्रधान :** क्या रेल मन्त्री भविष्य निधि अनुभाग, डिवीजनल लेखा कार्यालय, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) के सुपरवाइजरी कर्मचारियों द्वारा गलत मासिक रिपोर्ट दिये जाने के बारे में 27 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4893 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्बद्ध कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : अनुशासनिक कार्रवाई अभी जारी है। इसे जल्दी करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

बिजली का उत्पादन

7906. **श्री राज देव सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पनबिजली का उत्पादन अनिश्चित वर्षा के ऊपर निर्भर होता है, सरकार का विचार भविष्य में पूरी तरह से तापीय बिजली और परमाणु बिजली ही पैदा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में विचाराधीन प्रस्तावों का क्या ब्यौरा है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, नहीं। दीर्घकालिक उपाय के रूप में, सरकार का देश के जल विद्युत् तापीय और परमाणु संसाधनों के बीच संतुलित विकास करने का विचार है।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 21 मिलियन किलोवाट विद्युत्-उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है जिसमें 11.8 मिलियन किलोवाट तापीय, विद्युत् 8.6 मिलियन किलोवाट जल-विद्युत् तथा 0.6 मिलियन परमाणु विद्युत् शामिल है।

तेल सम्बन्धी खुदाई कार्य के लिए भारी इंजीनियरी निगम, रांची द्वारा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को बरमों की सप्लाई

7907. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरी निगम रांची द्वारा तेल सम्बन्धी खुदाई कार्य के लिए जिन तीन बड़े रिगों का डिजायन तैयार किया गया था और जो 5 किलो मीटर की गहराई तक के कुएं खोद सकते हैं वे प्राकृतिक गैस आयोग को सप्लाई किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त तीन बरमों में से पहले बरमे ने 3314 मीटर की गहराई पर 75 दिनों के रिकार्ड समय में आसाम के शिवसागर स्थान पर तेल का पता लगाया है; और

(ग) क्या उक्त तीनों बरमों का केवल आसाम में ही प्रयोग किया जा रहा है अथवा गुजरात में भी इन्हें प्रयोग किया जा रहा है, और अगर गुजरात में भी प्रयोग किया जा रहा है तो वहां क्या सम्भावनाएं हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां। किन्तु ये रिग मुख्यतः रूसी डिजायन के हैं।

(ख) जी हां। इस ने कुएं की खुदाई की है जहां पर तेल प्राप्त हुआ है किन्तु ड्रिलिंग समय से इस का कोई रिकार्ड नहीं था।

(ग) तीन रिगों में से केवल एक रिग लगाया गया है। दूसरा रिग राजस्थान में लगाया जा रहा है और तीसरे रिग को लगाने की प्रतीक्षा है।

कांगड़ा वैली रेलवे में काम कर रहे गैंगमैनों को वैकल्पिक रोजगार

7908. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा वैली रेलवे में काम कर रहे उन 30 से अधिक गैंगमैनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिनकी सेवायें समाप्त करने के नोटिस मार्च, 1973 में जारी किये गये थे;

(ख) क्या उन्हें वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने सम्बन्धी उनके अनुरोध पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उनके अनुरोध पर क्या निर्णय लिया गया है?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां, उत्तर रेलवे को मिला है। एवजी गैंगमैनों से।

(ख) जी हां।

(ग) परिष्कृत अनुरक्षण सम्बन्धी निर्माण कार्य रेल-पथ को उखाड़ने के काम या अन्य निर्माण-कार्यों में गैंगमैनों की आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवाओं का उपयोग करने की कोशिश की जा रही है।

कांगड़ा वैली रेलवे में कांगड़ा जिले में बेरियल पर स्टेशन बनाया जाना

7909. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा वैली रेलवे में निर्माणाधीन वैकल्पिक रेल मार्ग पर कांगड़ा जिले की तहसील डेहरा में बेरियल पर एक नया स्टेशन बनाने का अनुरोध उनके मंत्रालय को प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां।

(ख) बेरियल में हाल्ट स्टेशन खोलने के सुझाव को ध्यान में रखा जायेगा और यातायात की दृष्टि में औचित्य होने पर इसकी व्यवस्था कर दी जायेगी।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ग्रामों का विद्युतीकरण करने के लिए हिमाचल प्रदेश को वित्तीय सहायता

7910. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण में सहायता करने के लिए भारत के ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने कोई योजना बनाई है;

5—330LSS/73

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973-74 के लिए हिमाचल प्रदेश के बारह जिलों में से प्रत्येक जिले के लिए कितनी वित्तीय सहायता मंजूर की गई है ; और

(ग) इस वर्ष जितने गांवों में बिजली पहुंचाये जाने का प्रस्ताव है, उनकी संख्या जिलेवार ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) से (ख) राज्य बिजली बोर्डों को ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा योगात्मक वित्त की व्यवस्था की जाती है। अब तक निगम ने 393.426 लाख रुपये की ऋण सहायता से 1,906 गांवों के विद्युतीकरण, 633 पम्पसेटों के ऊर्जन तथा 972 लघु उद्योग और कृषि उद्योगों को विद्युत् की सप्लाई से संबंधित हिमाचल प्रदेश की नौ ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को मार्च, 1973 तक स्वीकृति प्रदान की है। निगम द्वारा स्वीकृत की गई वित्तीय सहायता के जिलेवार पृथक्-पृथक् आंकड़े नीचे दिए जाते हैं :—

जिले का नाम	स्वीकृत ऋण की राशि (लाख रुपये)
1. सिरमौर जिला	40.253
2. कांगड़ा जिला	225.250
3 बिलासपुर, मंडी और कांगड़ा जिले	28.660
4. महासू जिला	45.735
5. कुल्लू जिला	53.528
कुल	393.426

1973-74 के दौरान ऋण सहायता हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रायोजित की गई तथा ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनुमोदित की गई स्कीमों की संख्या पर निर्भर करेगी।

(ग) वर्ष 1973-74 के दौरान हिमाचल प्रदेश में लगभग 500 गांवों को विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है। विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों के संबंध में जिले-वार पृथक्-पृथक् आंकड़ों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

कांगड़ा वैली रेलवे पर गुलेर और जोगिन्दर नगर के बीच रेलगाड़ियों का चलाया जाना

7911. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ज्वाली और गुलेर के बीच रेल सेवाओं के अस्त व्यस्त हो जाने के बाद गुलेर और जोगिन्दर नगर के बीच कांगड़ा वैली रेलवे पर रेलगाड़ी चलाये जाने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) क्या सरकार ने इस अभ्यावेदन पर विचार किया है और यदि हां, तो उक्त मामले में क्या निश्चय लिया गया है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां।

(ख) विलग हो गये गुलेर-जोगिन्दर नगर खण्ड पर गाड़ियां चलाना सम्भव नहीं है। लेकिन, इस खण्ड पर रेल यातायात के निलम्बन की अवधि में सड़क द्वारा यात्री और माल यातायात दोनों की ढुलाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है।

रेलवे सेवा आयोग, कलकत्ता द्वारा श्रेणी-3 तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पदों के लिए ली गई परीक्षा

7912. **श्री रामावतार शास्त्री**
श्री कमल मिश्र मधुकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 में रेलवे सेवा आयोग, कलकत्ता द्वारा क्षेत्रवार तीसरी श्रेणी के कितने पदों (तकनीकी तथा गैर-तकनीकी) के लिए लिखित तथा मौखिक परीक्षाएं की गई थीं ;

(ख) इन परीक्षाओं में क्षेत्रवार अलग-अलग कितने बिहारी तथा गैर-बिहारी उम्मीदवार बैठे;

(ग) क्षेत्रवार, अलग-अलग कितने बिहारी तथा गैर-बिहारी उम्मीदवार चुने गये; और

(घ) चुने गए बिहारियों और गैर-बिहारियों को अलग-अलग प्रतिशतता क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ) इस तरह के आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते हैं।

पूर्व रेलवे में गृह-निर्माण के लिए ऋणों की लोकप्रियता

7913. **श्री रामावतार शास्त्री**
श्री कमल मिश्र मधुकर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में गृह-निर्माण के लिए ऋण देने संबंधी नियम जटिल और समय खाने वाले हैं ;

(ख) क्या भारतीय रेलवे में और विशेषकर पूर्व रेलवे में गृह-निर्माण के लिए ऋण योजना लोकप्रिय नहीं है; और

(ग) इस समय कितने आवेदन विचाराधीन हैं और 1972 में पूर्व रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में कितने आवेदन मंजूर किए गए, और उक्त योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) गृह-निर्माण के लिए अग्रिम देने के मामले में रेल कर्मचारी उन्हीं नियमों द्वारा शासित होते हैं जो दूसरे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू हैं। इस विषय पर नियम निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा बनाये गये हैं जो इन अग्रिमों के लिए नियंत्रण प्राधिकारी है।

(ख) निर्माण और आवास मंत्रालय की गृह-निर्माण अग्रिम योजना की लोक-प्रियता अन्य बातों के साथ-साथ व्यक्तिगत निर्माण के लिए जमीन की उपलब्धता और विभिन्न स्थानों पर अन्य सम्बन्धित बातों पर निर्भर करती है। पूर्व रेलवे पर भी यह योजना धीरे-धीरे लोकप्रिय होती जा रही है।

(ग) ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

मण्डल का नाम	इस समय विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या	1972 में स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या
सियालदह मण्डल	4	2
हावड़ा मण्डल	10	3
आसानसोल मण्डल	1	1
धनबाद मण्डल	1	कोई नहीं
दानापुर मण्डल	1	1
अन्य कार्यालय (पूर्व रेलवे के मुख्यालय, कारखाने आदि)	46	51

पूर्व रेलवे राजपत्र में इन नियमों को प्रकाशित करके इनका व्यापक प्रचार किया जाता है।

महानगर परिवहन परियोजना, कलकत्ता के लिए, लिये गए सर्वोच्च अधिकारियों और तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के प्रति अपनाई जाने वाली भिन्न-भिन्न नीतियां

7914. **श्री रामावतार शास्त्री**
श्री कमल मिश्र मधुकर } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर परिवहन परियोजना, कलकत्ता का काम अभी पूरी तरह चालू नहीं हुआ है परन्तु सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं ;

(ख) क्या पीछे की तारीखों से तीसरी श्रेणी के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को उच्चतर ग्रेड दिये गये हैं यद्यपि वे 'ओपन-लाइन' में इन ग्रेडों के अधिकारी नहीं हैं ;

(ग) क्या वहां अब तीसरी श्रेणी के कर्मचारी उनके 'ओपन-लाइन' ग्रेडों में ही लिए जाते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में दो भिन्न कसौटियां क्यों अपनाई जाती हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) निर्माण कार्य के लिए विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारियों की तैनाती के बाद, महानगर परिवहन परियोजना, कलकत्ता ने दमदम के पास लाइन के उठे हुए भाग के पहले खण्ड को बनाने के लिए टेंडर को लगभग अन्तिम रूप दे दिया है। यह टेंडर अब रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है। महानगर परिवहन परियोजना ारा दमदम—टालीगंज द्रुत परिवहन प्रणाली के अन्य दो खण्डों के इसी प्रकार के टेंडरों पर कार्रवाई की जा रही है।

(ख) से (घ) : कर्मचारियों को, उनके चालू लाइन के वेतन और ग्रेड के आधार पर महानगर परिवहन परियोजना, कलकत्ता में प्रारम्भिक रूप से भरती कर लिया जाता है। यदि वे उपयुक्त होते हैं तो उन्हें उच्चतर ग्रेडों में तरक्की दे दी जाती है बशर्ते रिक्त स्थान उपलब्ध हों। विभिन्न मापदण्ड नहीं अपनाये गये हैं।

अजमेर डिवीज़न (पश्चिम रेलवे) के विद्युत विभाग में मास्टर क्राफ्ट फिटरों आदि का चयन

7915. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मन्त्री अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के विद्युत् विभाग में मास्टर क्राफ्ट फिटरों आदि के चयन के रद्द किये जाने के बारे में 19 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4906 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि स्टेशनों पर पहले ही किन वर्गों के लिए पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई थी और किस किस तारीख से ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): 9-12-1965 को निम्नलिखित कोटियों के लिए पश्चिमी रेलवे द्वारा पाठ्य विवरण अधिसूचित किये गये थे और बाद में, अजमेर के मण्डल अधीक्षक द्वारा 1972 में परिपत्रित किये गये थे :—

1. अति कुशल धातु खरादी, वेतन मान 130-212 रु० (अ)
2. बिजली फिटर (बेंच), वेतनमान 175-240 रु० (अ)
3. बिजली फिटर (बेंच), वेतनमान 130-212 रु० (अ)
4. धातु खरादी, वेतनमान 175-240 रु० (अ)
5. बिजली फिटर (शक्ति) वेतनमान 175-240 रु० (अ)
6. बिजली फिटर (गाड़ी रोशनी) वेतनमान 175-240 रु० (अ)
7. पत्र लेखक, वेतनमान 130-212 रु० (अ)
8. मोल्डर और कोरमेकर, वेतनमान 130-212 रु० (अ)
9. वेल्डर, वेतनमान 130-212 रु० (अ)
10 बढ़ई, वेतनमान 130-212 रु० (अ)

छोटा नागपुर और संथाल परगना के पिछड़े क्षेत्रों में रेल-संचार व्यवस्था

7916. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटा नागपुर और संथाल परगना के पिछड़े क्षेत्रों में रेल संचार व्यवस्था की नितान्त आवश्यकता की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त क्षेत्र के नैरोगेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिये कितनी रेलवे परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं।

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां।

(ख) ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में विकास के प्रयोजन से अपेक्षित नई रेलवे लाइन के निर्माण के लिए एक नये नीति कौशल पर विचार किया जा रहा है, जैसा कि 20 फरवरी 1973 को वर्ष 1973-74

का बजट प्रस्तुत करते समय रेल मंत्री ने अपने भाषण के पैरा 41 में बताया है । इस आधार पर निर्माण का काम प्रारम्भ करने के लिए अभी नई लाइनों का चुनाव नहीं किया गया है । इस बीच, इस क्षेत्र में दुमका के रास्ते मंदारहिल से सैंथिया तक बड़ी लाइन के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है जिसमें वैद्यनाथ-धाम तक एक शाखा लाइन भी रहेगी । रिपोर्ट मिल जाने के बाद इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा । हजारीबाग से रामपुरहाट तक एक रेल संपर्क के लिए, जो अंशतः संथाल परगना में पड़ता है, एक अन्य प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है ।

(ग) ऐसी किसी परियोजना का काम प्रारम्भ नहीं किया गया है । लेकिन, छोटा नागपुर क्षेत्र में पुरुलिया-कोटशिला छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिए यातायात सर्वेक्षण किया गया है । इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है । जांच पूरी हो जाने के बाद निर्णय किया जायेगा ।

लोक सभा के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित करने का तरीका

7919. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में, लोक सभा और राज्य विधान मण्डल, दोनों के लिए स्थानों का हिसाब कैसे लगाया जाता है जहां जनसंख्या की प्रतिशतता 0.5 प्रतिशत या इससे अधिक बैठती है; और

(ख) यदि जनसंख्या की प्रतिशतता 0.5 प्रतिशत से कम अर्थात् 0.4 प्रतिशत अनुसूचित जातियों की हो और 0.4 प्रतिशत ही अनुसूचित जन-जातियों की भी हो और दोनों मिलाकर 0.8 प्रतिशत हो, तो क्या ऐसे मामलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की जनसंख्या को देखते हुए इन जातियों में से किसी एक के लिए एक स्थान आरक्षित किया जाएगा ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) लोक सभा में किसी राज्य को आवंटित किए जाने वाले स्थानों की संख्या अवधारित करने के लिए गणना दशमलव के दूसरे स्थान तक की जाती है और जहां परिणाम .5 या उससे अधिक हो, वहां साधारणतया भिन्न को अगली पूर्ण संख्या में पूर्णांकित कर लिया जाता है । जहां तक राज्य विधान मंडल का सम्बन्ध है, किसी राज्य की विधान सभा को समनुदिष्ट स्थानों की कुल संख्या, परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 8 के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार, उस राज्य को लोक सभा में आबंटित स्थानों की कुल संख्या का भिन्न रहित गुणित होगी और इस प्रकार गणना का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) यदि भिन्न, अनुसूचित जातियों के मामले में .47 हो और अनुसूचित जनजातियों के मामले में .40 हो तो दोनों भिन्नों को मिलाकर .87 करके एक में पूर्णांकित नहीं किया जा सकता और इस प्रकार एक स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता । इसका कारण यह है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानो के आरक्षण से पृथक और भिन्न है ।

राजधानी एक्सप्रेस (दिल्ली-हावड़ा मार्ग) के बैरो को नियमित करना

7920. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और हावड़ा के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस के बैरे अभी तक नैमित्तिक हैं और उन्हें बिना महंगाई भत्ते के बहुत कम वेतन मिलता है;

(ख) राजधानी एक्सप्रेस के उक्त नैमित्तिक कर्मचारियों को क्या लाभ और सुविधाएं दी जाती हैं; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार उन्हें नियमित करने का है और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों।

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग) राजधानी एक्सप्रेस में काम करने वाले बैरे नियमित रेल कर्मचारी हैं, जिन्हें प्राधिकृत वेतन-मानों में वेतन और भत्ते मिलते हैं। लेकिन, पानी पिलाने, मिठाइयां और सिगरेट बेचने, सफाई करने और यात्री-सुविधाओं से सम्बन्धित अन्य कार्य करने के लिए चार रुपये प्रतिदिन की मजदूरी पर पांच नैमित्तिक कार्मिक भी काम कर रहे हैं। इन कार्यों को नियमित कर्मचारियों द्वारा कराये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

नैमित्तिक श्रमिकों का खपाया जाना

7921. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में श्रेणी-वार और जोन-वार कुल कितने नैमित्तिक श्रमिक हैं;

(ख) ये श्रमिक कब से नैमित्तिक आधार पर काम कर रहे हैं और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी की दर और अदायगी का माध्यम क्या है ; और

(ग) उक्त नैमित्तिक श्रमिकों की नियमित करने सम्बन्धी नीति क्या है और इतने लम्बे समय तक उन्हें नैमित्तिक रखने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें क्षेत्रीय रेलों में नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या और उनके नियोजन की अवधि दिखायी गयी है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—4864/73]

नैमित्तिक श्रमिक अधिकांशतः अकुशल कोटियों में मौसमी, सविरामो और छुट-पुट किस्म के निर्माण-कार्यों तथा निर्माण-परियोजनाओं पर लगाये जाते हैं। 'न्यूनतम मजूरी अधिनियम' द्वारा शासित श्रमिकों को अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार दैनिक आधार पर मजूरी दी जाती है। 'न्यूनतम मजूरी अधिनियम' से शासित न होने वाले श्रमिकों को उस स्थान पर प्रचलित दरों के अनुसार दैनिक आधार पर मजूरी दी जाती है। लेकिन परियोजनाओं से भिन्न निर्माण-कार्यों पर छः महीने से अधिक समय से नियोजित श्रमिकों को नियमित वेतनमान के अनुसार मजूरी दी जाती है। इन सभी मामलों में मजूरी मासिक आधार पर मिलती है।

सरकार को इस नीति के अनुसार कि चौथी श्रेणी के नियमित पदों को यथासंभव अधिक से अधिक सीमा तक नैमित्तिक श्रमिकों और एवजियों से भरा जाये, बड़ी संख्या में नैमित्तिक श्रमिकों को पहले ही नियमित पदों में समाहित किया जा चुका है। समाहित करने की यह प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है।

गाजियाबाद में घरेलू उपयोग के लिए गैस के आवेदकों को इसकी सप्लाई

7922. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद में आई०ओ०सी० की घरेलू उपयोग के लिए गैस लेने के लिए आवेदकों को दिल्ली की अपेक्षा अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्यों और गाजियाबाद में आवेदकों को घरेलू उपयोग के लिए गैस शीघ्र सप्लाई करने के लिए क्या उपाय किए जायेंगे ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) देहली और गाजियाबाद को सम्मिलित करके नये गैस कनैक्सन दिय जाने की वर्तमान दर आवश्यकता से कम है। परन्तु गाजियाबाद स्थिति, यदि प्रतीक्षा-सूची में ग्राहकों के पञ्जीकरण की सब से पुरानी तिथि के संदर्भ में देखी जाये तो देहली से अच्छी है। कुकिंग गैस के उत्पादन वितरण प्रबन्धों को उत्तरोत्तर बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। परन्तु इस की मांग इतनी अधिक है और इतनी तेजी से बढ़ रही है कि निकट भविष्य में स्थिति के सामान्य होने की सम्भावना नजर नहीं आती।

ग्रामीण विद्युतीकरण और नए पम्पसैटों को बिजली देने के बारे में भविष्य में अपनाई जाने वाली नीतियां निर्धारित करने के लिए राज्यों के सिंचाई मन्त्रियों की बैठकें ।

7923. **श्री समर गुह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सिंचाई मंत्रियों की बैठकें, ग्रामीण विद्युतीकरण और नए पम्पसेटों को बिजली देने संबंधी भविष्य में अपनाई जाने वाली नीतियां निर्धारित करने के लिए हुई थीं; और

(ख) क्या उपयोक्त कार्यों पर व्यय संबंधी विशेष प्राथमिकता आसाम मनीपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के पूर्वी राज्यों को दी जाएगी, जहां कृषि की काफी संभावनाए हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) 29 जून से 1 जुलाई 1972 तक श्रीनगर में राज्यों के सिंचाई और विद्युत् मंत्रियों के छटे सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ चौथी योजना में विद्युतीकरण की प्रगति पर विचार किया गया। द्रुत प्रगति को देखते हुए सम्मेलन ने इच्छा व्यक्त की कि चौथी योजना की शेष अवधि में भी इस गति को बनाए रखा जाना चाहिए तथा यह अनुरोध किया कि समाज के कमजोर वर्गों को विद्युत् प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण के लिए कार्यक्रम तैयार करने हैं तथा उनके कार्यान्वियन का कार्य विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्राम विद्युतीकरण निगम के माध्यम से राज्य बिजली बोर्डों की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए निम्न दरों पर दीर्घकालिक ऋणों के रूप में योगात्मक वित्तीय व्यवस्था की जाती है। पिछड़े राज्यों में विद्युतीकरण की प्रगति को तेज करने के लिए चौथी योजना में प्रचुर आबंटन किया गया है।

ग्राम विद्युतीकरण निगम भी पिछड़े राज्यों के लिए अधिक स्कीमें स्वीकृत करने पर बल दे रहा है। अब तक निगम ने 213.58 करोड़ रुपये की ऋण सहायता से सभी राज्य बिजली बोर्डों की 405 ग्राम

विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की हैं। इन 405 स्कीमों में से असम, बिहार, मेघालय, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पूर्वी राज्यों मे संबंधित 94 स्कीमों के लिए 55.14 करोड़ रुपये की ऋण सहायता परिकल्पित है।

तीस्ता तटबन्ध योजना के लिए पश्चिम बंगाल को सहायता

7924. श्री समर गुहः :
श्री गदाधर साहा : } क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तरी बंगाल के क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण के लिए तीस्ता तटबंध योजना के लिए वित्तीय सहायता के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : अगस्त 1972 में पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र से उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत सतत और नई बाढ़ स्कीमों (कराला व्यपवर्तन स्कीम को छोड़कर) जिसमें तिस्ता नदी पर तटबन्ध संबंधी स्किीमें भी सम्मिलित हैं, के व्यय को पूरा करने के लिए 1972–73 वर्ष के दौरान 335 लाख रुपये की वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध किया था। उसके पश्चात् मार्च, 1973 में इन स्कीमों के लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता की आवश्यकता को कम करके 115 लाख रुपये कर दिया गया था। बहरहाल 1972–73 के दौरान इन स्कीमों के लिए राज्य सरकार को किसी भी केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग के अंतर्गत कराला व्यपवर्तन स्कीम प्राथमिकता प्राप्त बाढ़ नियंत्रण कार्यों में सम्मिलित हैं जिसके लिए केन्द्र द्वारा विशेष वित्तीय सहायता दी जाती है। 1972–73 के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने इस स्कीम के लिए 35 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता बताई थी और यह 1972–73 के दौरान प्राथमिकता प्राप्त बाढ़ नियंत्रण स्कीमों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को दिए गए कुल तीन करोड़ रुपये में शामिल थी।

उड़ीसा में तेल क्षेत्रों की खोज

7925. श्री समर गुह : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में नये तेल क्षेत्रों की खोज की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : उड़ीसा में अभी तक कोई तेल क्षेत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

मारवाड़ वाणिज्य तथा उद्योग मंडल जोधपुर का जोधपुर डिवीजन (उत्तर रेलवे) में विलम्ब शुल्क तथा स्थान शुल्क दरों में वृद्धि के बारे में ज्ञापन

7926. श्रीमती कृष्ण कुमारी (जोधपुर) : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जोधपुर डिवीजन में हाल में विलम्ब शुल्क तथा स्थान शुल्क की दरों में की गई वृद्धि के बारे में मारवाड़ वाणिज्य तथा उद्योग मंडल, जोधपुर से कोई ज्ञापन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दरों को, उद्योगपतियों को निरुत्साहित करने वाली होने और उक्त क्षेत्र के बहुत पिछड़ा होने की दृष्टि से, कम करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) विलम्ब-शुल्क और उत्तराई-शुल्क की दरें भारतीय रेलों के सभी स्टेशनों के लिए समान कर दी गयी हैं। जोधपुर मंडल के मामले में कुछ भी छूट देने का कोई औचित्य नहीं है ।

दरें रेलवे के राजस्व में वृद्धि करने के उद्देश्य से नहीं अपितु इसलिए बढ़ायी गयी हैं कि माल-डिब्बे पहले से कम समय में खाली होकर मिलने लगें और परेषणों को रेल परिसरों से तेजी से हटाया जाने लगे ।

किशनगंज दिल्ली की रेलवे कालोनी के लिए सुविधाएं

7928. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कालोनी, किशनगंज, दिल्ली में सफाई और प्रकाश की उचित व्यवस्था नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्यों और वहां पर ये सुविधायें देने के लिए क्या प्रबन्ध किए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) दिल्ली किशनगंज बस्ती में सफाई और रोशनी की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में तापीय बिजली घर स्थापित करने के बारे में उत्तर प्रदेश से अनुरोध

7929. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश से, वहां तापीय बिजली घर स्थापित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश से विशेषकर फैजाबाद डिवीजन में तापीय बिजलीघर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या विशेष कारण हैं ?

सिचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : जी, हां। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड/उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित ताप-विद्युत् उत्पादन स्कीमें प्रस्तुत की हैं :—

	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1. ओवरा ताप-विद्युत् केन्द्र विस्तार चरण-दो	3 × 200
2. हरदुआगंज ताप-विद्युत् केन्द्र विस्तार चरण-चार	2 × 55
3. ओवरा ताप-विद्युत् केन्द्र विस्तार चरण-तीन	2 × 200
4. ओवरा ताप-विद्युत् केन्द्र (दक्षिण तट)	5 × 200
5. गोरखपुर ताप-विद्युत्	2 × 200
6. गाजियाबाद और पंकी स्थित गैस टर्बाइन केन्द्र	4 × 26

(ग) पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एक ताप-विद्युत् के लिए भी प्रस्ताव है। बहरहाल, विद्युत् केन्द्र के सही स्थल का निश्चय इस क्षेत्र में वैकल्पिक स्थलों के विस्तृत अन्वेषणों के पूर्ण होने के उपरांत किया जाएगा जो कि इस समय राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा किए जा रहे हैं।

"सरजू योजना"

7930. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "सरजू योजना" संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) यह योजना कब तक पूरी हो जाएगी; और

(ग) इससे किन-किन क्षेत्रों को कितना-कितना लाभ होगा ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) आदरणीय सदस्य सम्भवतः शारदा सहायक परियोजना के संबंध में पूछ रहे हैं, जिसकी वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

गिरजा बराज : 35 खाड़ियों वाले गिरजा बराज पर कार्य अक्तूबर, 1970 में शुरू किया गया था वाम तट पर 6 1/2 खाड़ियां, जिसमें 3 निर्माणाधीन जलकपाट खाड़ियां और विभाजन दीवार शामिल हैं और दक्षिण तट पर 2 1/2 जलकपाट खाड़ियां, शीर्ष नियामक और इसके अधिकतर लम्बाई में गाइड बंध, पूर्ण हो गए हैं। शेष कार्य के 1975 तक पूरा किए जाने की योजना है।

लोअर शारदा बराज : बराज, जिसमें 20 खाड़ियां, पुल, कपाटों का प्रतिष्ठापन और गाइड बंध के कुछ कार्य शामिल हैं, 1972–73 के दौरान शुरू किया गया है और इसे 1974 तक पूरा करने का प्रस्ताव है।

लिंक चैनल : इस लिंक चैनल पर आधा खुदाई कार्य और इस चैनल पर सात पुलों में से छः पूर्ण हो गए हैं। शेष कार्य 1975 तक पूर्ण करने का प्रस्ताव है।

फीडर चैनल : 250 किलोमीटर लम्बी फीडर चैनल में से 749 लाख एम^3 मिट्टी का कार्य शुरू किया गया था और मिट्टी के कार्य का 111 लाख एम^3 पहले ही पूर्ण कर दिया गया है। शेष मिट्टी का कार्य, 105 किलोमीटर तक पुलों और साइफनों पर कार्य, क्रास नियामकों और 105 किलोमीटर तक सिंगल चैनल रीच में फीडर चेनल के पलस्तर कार्य को 1974 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

वितरण प्रणाली : इस कार्य में 1297 किलोमीटर लम्बी शाखाओं का पुनर्रूपण शामिल है, जिसमें समान क्षमता की दो चैनलों और 5112 किलोमीटर उप-शाखाओं लघु सरिताओं और जल-मार्गों का निर्माण और 2608 किलोमीटर लम्बी नई चैनलों का निर्माण शामिल है। अब तक शाखाओं और दरयाबाद शाखा प्रणाली पर कुछ उप-शाखाओं तथा लघु सरिताओं पर लगभग 40 किलोमीटर लम्बाई में भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। कार्य प्रगति पर है।

(ख) वर्तमान योजनाओं के अनुसार कुछ समापन कार्य को छोड़कर, जिसकी 1980 तक पूर्ण होने की संभावना है, शारदा सहायक परियोजना के 1978 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(ग) बारबंकी, लखनऊ, रायबरेली, लखीमपुर, सीतापुर, वाराणसी, गाजीपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर और आजमगढ़ जिलों में 17·12 लाख हैक्टेयर भूमि अन्ततः सिंचाई के अन्तर्गत लाई जाएगी।

राजधानी एक्सप्रैस के लिए स्थायी संवर्ग की मंजूरी

7931. **श्री आर० एन० वर्मन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी एक्सप्रेस के लिए किसी स्थायी संवर्ग की मंजरी दी है;

(ख) यदि हां, तो किसी तरह के पद हैं और कितने पद हैं; और

(ग) राजधानी एक्सप्रैस में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो इस समय स्थायी नहीं हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नयी दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में काम करने वाले कर्मचारियों में से 24 अस्थायी हैं जब कि नयी दिल्ली-बम्बईसेंट्रल राजधानी एक्सप्रेस में काम करने वाले कर्मचारियों में से 22 अस्थायी हैं।

बांसपानी जाखापुरा रेल मार्ग के निर्माण के लिए इंजीनियरी तथा यातायात सम्बन्धी अध्ययन दल में उड़ीसा सरकार का प्रतिनिधित्व

7932. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बांसपानी-जाखापुरा रेल मार्ग के निर्माण के लिए इंजीनियरी तथा यातायात संबंधी सर्वेक्षण वर्ष 1964–65 में किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त रेल मार्ग 1973–74 के बजट में प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षणों हेतु कैसे सम्मिलित किया गया है ;

(ग) क्या मूलभूत ढांचा तैयार करने की जांच के लिए बनाए गए अध्ययन दल में उड़ीसा सरकार या जनता के कोई प्रतिनिधि रखे जाते हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां।

(ख) पहले सवक्षण के परिणाम कुछ पुराने पड़ गये हैं, अत: नये सव क्षण करना जरूरी है।

(ग) और (घ) : सर्वेक्षण दल यातायात की सम्भावनाओं, मार्ग निर्धारण आदि का निश्चय करने में राज्य सरकार तथा अन्य सम्बन्धित हितों के साथ निकट सम्पर्क रखता है। खान विभाग द्वारा नियुक्त अध्ययन दल में उड़ीसा खान निगम के अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था।

चौथी योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राशि

7933. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कुल कितनी राशि रखी गई और राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) किन-किन राज्यों में लक्ष्य पूरा न होने की आशंका है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) चतुर्थ योजना के दौरान राज्य योजनाओं के अंतर्गत परिव्यय के राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

क्रमांक	राज्य का नाम	चतुर्थ योजना में परिव्यय
1	2	3
		(करोड़ रुपयों में)
1.	आंध्र प्रदेश	15.00
2.	असम	10.88
3	बिहार	36.00
4.	गुजरात	6.00
5.	हरियाणा	10.00
6.	हिमाचल प्रदेश	1.21
7.	जम्मू व कश्मीर	1.00
8.	केरल	4.50
9.	मध्य प्रदेश	20.00
10.	महाराष्ट्र	25.00
11.	मणिपुर	0.79
12.	मेघालय	—
13.	मैसूर	15.50
14.	नागालैंड	0.07
15.	उड़ीसा	6.05
16.	पंजाब	9.00
17.	राजस्थान	14.00
18.	तमिलनाडु	41.15
19.	त्रिपुरा	0.30
20.	उत्तर प्रदेश	61.00
21.	पश्चिम बंगाल	10.00
		287.45
	संघ राज्य क्षेत्र	7.24
	कुल (अखिल भारत)	294.69

इसके अतिरिक्त, राज्य बिजली बोर्डों को उनकी ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए योगिक धन की व्यवस्था करने के लिए चतुर्थ योजना में 150 करोड़ रुपये के परिव्यय से केन्द्रीय क्षेत्र में ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई है। इस परिव्यय को अब बढ़ाकर 190 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

वर्तमान संकेतानुसार असम, बिहार, महराष्ट्र, मैसूर, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के राज्यों के राज्य योजना व्यय में कमी होने की संभावना है।

गांवों में हरिजन बस्तियों में बिजली लगाना

7934. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर के गावों में, राज्यवार, कुल कितनी हरिजन बस्तियों में अब तक बिजली लगाई जा चुकी है ; और

(ख) क्या चौथी योजना के अन्त में इस विषय में लक्ष्य प्राप्ति में कुछ कमी रह जाएगी, यदि हां, तो कितनी ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) दिसम्बर, 1971 से पूर्व हरिजन बस्तियों के विद्युतिकरण के लिए कोई अलग कार्यक्रम नहीं था। क्योंकि यह देखा गया था कि अलाभकारी लोड स्थितियों के कारण पहले से विद्युतिकृत गावों के निकटवर्ती हरिजन बस्तियों में विद्युत की व्यवस्था नहीं की गई थी इसलिए पहले से विद्युतीकृत गावों में हरिजन बस्तियों में विद्युत की व्यवस्था करने के लिए दिसम्बर, 1971 में एक स्कीम चालू की गई थी। चौथी योजना के दौरान 20,000 बस्तियों को विद्युतिकृत करने का प्रस्ताव था और प्राप्त सूचना के अनुसार 1972-73 के दौरान 9743 बस्तियों का विद्युतिकरण किया गया। राज्य-वार ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं :—

आंध्र प्रदेश	632
बिहार	600
हरियाणा	188
गुजरात	490
मध्य प्रदेश	253
महाराष्ट्र	762
मणिपुर	4
मैसूर	7
उड़ीसा	52
पंजाब	38
राजस्थान	250
तमिलनाडु	3144
त्रिपुरा	8
उत्तर प्रदेश	3315
पश्चिम बंगाल	कुछ नहीं
कुल	9743

(ख) अब तक हुई प्रगति के आधार पर तथा धन के उपलब्ध होने पर यह संभावना है कि सब मिलाकर 20,000 गांवों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

Laying of Railway Line on Bridge constructed over the Ganga at Patna

7936. Shri Bibhuti Mishra: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether he stated at a meeting held in Danapur (Bihar) on 31st March, 1973 that it is proposed to lay railway line on the bridge being constructed over the Ganga in Patna;

(b) whether he also stated at the meeting that it is also proposed to set up a Railway Public Service Commission in Bihar; and

(c) if so, the time by which decisions in this regard will be taken?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : Proposals in this regard were put up before the Minister at Danapur in a meeting on 31st March 1973. Minister assured that the proposals would be duly examined.

बंगला देश को मिट्टी के तेल तथा पैट्रोलियम की सप्लाई

7937. श्री विभूति मिश्र : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश सरकार ने भारत से मिट्टी का तेल तथा पैट्रोलियम सप्लाई करने के लिए कहा है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनकी कितनी मांग पूरी की है?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी, हां।

(ख) बंगला देश को मिट्टी के तेल, मोटर स्प्रिट एवं अन्य परिशोधित पैट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई प्रारंभ में भारत सरकार के वस्तु अनुदान के अन्तर्गत की गई तथा बाद में इन वस्तुओं की सप्लाई भारतीय तेल निगम द्वारा बंगला देश की सरकार के साथ किये गए वाणिज्यिक करार के अन्तर्गत की गई। इस प्रकार सप्लाई की गई मात्रा को नीचे बताया गया है:

(i) **भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वस्तु अनुदान के अन्तर्गत**

मीट्रिक टनों में

मिट्टी का तेल	41,418
अन्य परिशोधित पैट्रोलियम पदार्थ	57,980

समय-समय पर बंगला देश द्वारा बताई गई आवश्यकताओं की पूर्ति भारतीय तेल निगम की एक एजेंसी द्वारा की गई। ये सप्लाई नवम्बर, 1972 तक पूरी की गई।

(ii) **भारतीय तेल निगम तथा बंगला देश की सरकार के बीच वाणिज्यिक करार के अन्तर्गत**

उपरोक्त के अतिरिक्त बंगलादेश की सरकार ने भारत सरकार से निवेदन किया है कि वर्तमान करार के अन्तर्गत 1.28 लाख मीटरी टन की सप्लाई जो अगस्त, 1973 तक की जाती है, के अतिरिक्त 56,000 मीटरी टन की सीमा तक मिट्टी का तेल, मोटर स्प्रिट एवं अन्य परिशोधित पैट्रोलियम उत्पादों के लिए और निर्यात व्यवस्था करे। इनकी सप्लाई मई एवं जून, 1973 तक की जानी है। इसके अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए यथा संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में रायपुर से जगदलपुर तक रेलवे लाइन

7938. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्तर जिले में रायपुर से जगदलपुर तक रेलवे लाइन बिछाने के संबंध में सर्वेक्षण कार्य इस बीच पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब से आरंभ होगा तथा कब तक पूरा हो जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग) रायपुर से भिलाई के रास्ते दल्ली-राजहरा तक एक बड़ी लाइन पहले से मौजूद है। दल्ली-राजहरा से बस्तर क्षेत्र में दांतेवाड़ा/जगदलपुर तक बड़ी लाइन के निर्माण के लिए यातायात सर्वेक्षण हाल ही में पूरा हुआ है और रिपोर्ट रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है। इस बीच, इस लाइन के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण भी शुरू कर दिया गया है। इस सर्वेक्षण के परिणाम मालूम हो जाने पर इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में विद्युत् प्रजनन के लिए संसाधनों का उपयोग

7939. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में विद्युत् प्रजनन के लिए संसाधनों का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत दो वर्षों में इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) मध्य प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक ऊर्जा संसाधनों का विद्युत् विकास के लिए समुपयोजन चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है । इसके फलस्वरूप मध्य प्रदेश में विद्युत् सप्लाई की स्थिति सदैव संतोषजनक रही है।

(ख) और (ग) छठे दशाब्द में किए गए जल विद्युत सर्वेक्षणों के अनुसार 60% भार अनुपात पर मध्य प्रदेश में जल-विद्युत् शक्तता का 4 मिलियन किलोवाट से अधिक का अनुमान है। बहरहाल, पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

कुल कोयले का भण्डार अनुमानतः 8480 मिलियन टन है, जो कि मध्य प्रदेश के मध्य भारत कोयला क्षेत्र में स्थित है। इस समय मध्य प्रदेश 177 मैगावाट जल-विद्युत् तथा 60% मैगावाट तापीय विद्युत् उत्पन्न करता है। पांचवी योजना के दौरान 166 मैगावाट जल-विद्युत् तथा 1180 मैगावाट तापीय विद्युत् क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव हैं।

विद्युत् की कमी के कारण उर्वरकों के उत्पादन में कमी

7940. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत् की कमी के कारण उर्वरकों के उत्पादन में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और सरकार का विचार इस मामले में क्या ठोस कदम उठाने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) बिजली में की गई कटौतियों, बोल्टेज में उतराव चढ़ाव/डिप्स आदि के कारण 1971-72 तथा 1972-73 में क्रमशः लगभग 40,000 मीटरी टन नाइट्रोजन तथा लगभग 60,000 मीटरी टन नाइट्रोजन के उत्पादन में हानि हुई। सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा लगाई गई बिजली में कटौतियों से उर्वरक उद्योग के लिए छूट प्राप्त करने और पावर सिस्टम्स की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

श्रीशैलम के लिए केन्द्रीय सहायता

7941. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 मार्च, 1973 के 'हिन्दू' नामक समाचार पत्र में "सैन्ट्रल हैल्थ फार श्रीशैलाम" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित सम्पादकीय की ओर दिलाया गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस महत्वपूर्ण विद्युत् परियोजना की शीघ्र पूर्ति के लिए योजनेत्तर उपयुक्त सहायता देने हेतु इसे मैसूर की काली नदी परियोजना के समतुल्य मानने का है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) मैसूर की कालिन्दी चरण-एक परियोजना के मामले में केन्द्र ने केवल चौथी योजना के दौरान इस स्कीम की वित्तीय व्यवस्था के लिए सहमति देदी है ताकि राज्य परियोजना को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पूर्वार्ध में चालू किया जा सके। राज्य सरकार सम्भवतः पांचवीं योजना के दौरान स्कीम के लिए वित्तीय व्यवस्था करेगी। केन्द्र द्वारा चौथी योजना के दौरान श्रीशैलम परियोजना की वित्तीय व्यवस्था करने के प्रश्न की पांचवीं योजना अवधि के दौरान राज्य योजना के अन्तर्गत राज्य की वित्तीय सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए अन्य सम्बद्ध महत्वों के साथ जांच की जाएगी।

निजी औद्योगिक एककों द्वारा 'कैपटिव' विद्युत् प्रजनन संयन्त्रों का स्थापित किया जाना

7942. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी**
श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "कैपटिव" विद्युत् प्रजनन संयंत्रों की स्थापना के लिए निजी औद्योगिक एककों को स्वीकृति तथा प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया को आरम्भ कराने तथा इसे बढ़ावा देने के लिए कौन से प्रोत्साहन देने का विचार है?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) ऊर्जा के अधिक अच्छे समुपयोजन के एक उपाय के रूप में सरकार उन प्रवर्धक उद्योगों (प्रौसेस इंडस्ट्रीज) द्वारा कैपटिव विद्युत् संयंत्रों के संयंत्रों के प्रतिष्ठापन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करती है जो वाष्प का प्रयोग करते हैं अथवा जिनके पास उपोत्पाद ईंधन है।

परन्तु ऐसे प्रतिष्ठापनों के लिए कोई प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में मिट्टी के तेल तथा डीजल की अत्यधिक कमी

7943. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विद्युत् सप्लाई में कमी हो जाने के परिणामस्वरूप आन्ध्र प्रदेश में मिट्टी के तेल तथा डीजल की अत्यधिक कमी हो गयी है; और

(ख) क्या काला बाजारी रोकने के लिए कोई अतिरिक्त आबंटन किया गया है और उपयुक्त वितरण सुनिश्चित कराया गया है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) विशाखापत्तनम पर स्थित शोधनशाला एवं इसके सहायक उद्योगों को सम्मिलित करते हुए बिजली की सप्लाई में अप्रत्याशित कटौती के कारण गत कुछ महीनों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में मिट्टी के तेल, लाइट डीजल तेल और हाई स्पीड डीजल की कमियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। राज्य में सिविल उपद्रव के कारण उत्पन्न हुई परिवहन बाधाओं के परिणामस्वरूप भी कुछ कमियां हुई हैं। राज्य में स्थिति सामान्य होने के साथ उक्त राज्य में पैट्रोलियम उत्पाद की सप्लाई में सुधार के लिए उपाय अपनाए गए हैं। बिजली की कटौतियों के कारण आवश्यकताओं में हुई वृद्धि की गणना करते हुए, हाई स्पीड डीजल तेल के आंबटन में भी वृद्धि हो गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं कि समस्त देश में मांगों में वर्तमान बढ़ोतरी को पूरा करने के लिए इन उत्पादों का आयात किया जा रहा है। इन उत्पादों के उचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार भी उपयुक्त नियमित उपाय अपना रही है।

दिल्ली तथा नई दिल्ली स्टेशनों के हैल्थ इन्सपैक्टरों को साप्ताहिक छुट्टी तथा समयोपरि भत्ता देना

7944. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या **रेल** मंत्री दिल्ली तथा नई दिल्ली स्टेशनों के हैल्थ इन्सपेक्टरों को साप्ताहिक छुट्टी/समयोपरि भत्ते के सम्बन्ध में 13 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न सं० 3153 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली तथा दिल्ली मेन स्टेशनों पर डिप्टी स्टेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट, स्टेशन मास्टरों, ट्रेन एग्जामिनरों तथा ऐसे ही अन्य कर्मचारियों को साप्ताहिक छुट्टी दी जाती है; और

(ख) क्या हावड़ा रेलवे स्टेशन पर 8 घंटे की शिफ्ट में काम करने वाले हैल्थ इन्सपेक्टरों को छुट्टी दी जाती है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) दिल्ली और नयी दिल्ली के उप स्टेशन अधीक्षक, जिन्हें 'पर्यवेक्षक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, साप्ताहिक विश्राम के हकदार नहीं हैं। इन स्टेशनों पर काम करने वाले स्टेशन मास्टरों और गाड़ी परीक्षकों को जिन्हें पहले 'पर्यवेक्षक' के रूप में वर्गीकृत किया गया था और जिन्हें 1-2-1972 से 'सतत्' के रूप में पुनवर्गीकृत किया गया है, स्थानीय व्यवस्था करके यथासम्भव साप्ताहिक विश्राम दिया जा रहा है।

(ख) हावड़ा रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले 130-212 रुपए के वेतनमान के स्वास्थ्य निरीक्षकों को साप्ताहिक विश्राम दिया जा रहा है।

कमला नदी के तटबंधों का विस्तार

7945. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री कमला नदी के तटबंधों का विस्तार के संबंध में 20 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3858 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में मिरचिमा तक तटबंधों का विस्तार करने की परियोजना को कार्य रूप देने की योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे पूरा करने के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या ह ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) नेपाल में कमला के तटबंधों के विस्तार की स्कीम को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। स्कीम को पांचवीं योजना में सम्मिलित करने के संबंध में स्कीम को अंतिम रूप दिये जाने के बाद, सापेक्ष प्राथमिकताओं और विभिन्न स्कीमों को अर्थव्यवस्था तथा बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के लिए दिए गए परिव्ययों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

भारतीय क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर का पूरा होना

7946. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री भारतीय क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर के पूरा होने के सम्बन्ध में 20 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3857 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2500 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था अपर्याप्त होने तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक परियोजना के द्वितीय चरण के पूरा होने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिये पांचवीं योजना में पूरी वित्तीय व्यवस्था करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो पांचवी योजना में यह परियोजना किस प्रकार पूरी की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) पश्चिमी कोसी नहर के निर्माण के लिए बिहार सरकार द्वारा तैयार किए गए चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार भारतीय क्षेत्र में इस परियोजना का द्वितीय चरण वास्तविक रूप में

1978-79 अर्थात् पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण हो जाएगा। राज्य सरकार ने इस उद्देश्य के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 2500 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया है जिसको अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

इस कार्यक्रम के अनुसार यह परियोजना समग्र रूप में राज्य सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1979-80 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

नेपाल द्वारा भारत से पैट्रोलियम आयल और लूब्रीकेंट उत्पादों का आयात

7947. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 20 मार्च, 1973 के तारांकित प्रश्न सं० 388 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल द्वारा भारत से पैट्रोलियम आयल और लुब्रीकेंट उत्पादों के आयात संबंधी प्रस्तावों पर विचार इस बीच पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत् प्रजनन योजनाओं के लिय धनराशि

7948. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों की अच्छी जल क्षमता वाली विद्युत् प्रजनन योजनाओं के वित्त पोषण के लिये केन्द्र में एक विशेष निधि की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) इस समय अच्छी जल शक्यता वाले राज्यों में विद्युत् उत्पादन स्कीमों की वित्तीय व्यवस्था करने हेतु केन्द्र में विशेष विधि का सृजन करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

फरक्का बांध की पोषक नहर

7949. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरक्का बांध के एक भाग के रूप में बनाई जा रही प्रस्तावित पोषक नहर की अनुमानित लम्बाई, चौड़ाई तथा गहराई कितनी होगी; और

(ख) उक्त पोषक नहर कितने क्युबेक पानी की क्षमता होगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) लम्बाई : 38.40 किलोमीटर (लगभग 24 मील)।

चौड़ाई : तल-चौड़ाई-151 मीटर (495 फुट)

पूर्ण सप्लाई गहराई पर चौड़ाई : 187.50 मीटर (615 फुट)।
गहराई : पूर्ण सप्लाई गहराई 6.10 मीटर (20 फुट)।

(ख) पूर्ण सप्लाई गहराई पर पोषक नहर की क्षमता 1132 घन मीटर/सैकिण्ड अर्थात् 40,000 घन फुट/सैकिण्ड।

भारतीय उर्वरक निगम के कार्यकरण के बारे में अध्ययन दल का प्रतिवेदन

7950. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के कार्यकरण के बारे में अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन की जांच कर ली गई है और उस पर निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय उर्वरक निगम के बारे में सरकारी उपक्रमों पर कार्यकारी समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर सरकार अभी विचार कर रही है।

ध्रुवरन विद्युत् संयंत्र को पर्याप्त मात्रा में अवशिष्ट ईंधन तेल की सप्लाई

7951. श्री वेकारिया : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ध्रुवरन विद्युत् संयंत्र को अवशिष्ट ईंधन तेल की कम सप्लाई करने के कारण विद्युत् प्रजनन में कमी हुई थी और गुजरात में 50 प्रतिशत से भी अधिक कटौती उद्योग तथा कृषि के क्षेत्र में की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने गुजरात को पर्याप्त मात्रा में अवशिष्ट ईंधन तेल सप्लाई करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, गुजरात में केवल 16 अप्रैल से 22 अप्रैल, 1973 तक, बिजली की खपत में 50 प्रतिशत की कटौती लगाई गई थी। इस अवधि से पूर्व बिजली की खपत में लगाई गई कटौती केवल लगभग 16 प्रतिशत थी और 23-4-1973 से यह कटौती लगभग 25 प्रतिशत है। यह तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्टाफ द्वारा किये गए आन्दोलन के कारण है और जिसके परिणामस्वरूप कोयाली शोधनशाला के उत्पादन एवं सप्लाई में कमी हुई।

(ख) कोयाली शोधनशाला के लो सल्फर हैवी स्टाक, जिसे उस स्थान पर अवशिष्ट ईंधन तेल के नाम से जाना जाता है, का सम्पूर्ण उत्पादन इस समय गुजरात में ध्रुवरन एवं अहमदाबाद तापीय विद्युत् सन्यन्त्रों को सप्लाई किया जाता है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारियों की यूनियनों के साथ समझौता करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

उकई जल विद्युत् परियोजना का पूरा होना

7952. **श्री वेकारिया**
श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात की उकई जल विद्युत् परियोजना के चालू होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस कार्य को तीव्र गति से पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इंडिया) लिमिटेड द्वारा सुपुर्दगी अनुसूची में निरंतर संशोधनों के कारण गुजरात में उकई जल विद्युत् परियोजना को चालू करने में विलम्ब हुआ है । संभरकों से उपस्कर की सुपुर्दगी में शीघ्रता लाने के लिए अनुरोध किया गया है।

चेक देने में विलम्ब के बारे में ठेकेदारों द्वारा डिवीजनल एकाउन्ट्स आफिस, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत

7953. **श्री लालजी भाई :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चैक देने में अनावश्यक विलम्ब करने के बारे में प्रशासन को हाल ही में कुछ ठेकेदारों द्वारा डिवीजनल एकाउन्ट्स आफिस, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली के कर्मचारियों के विरुद्ध की गई एक शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) क्या एक संसद् सदस्य ने भी दिसम्बर, 1972 में विशिष्ट उदाहरण देते हुए इन्हीं कर्मचारियों के विरुद्ध ऐसी ही शिकायत की थी ; और

(ग) यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां । लेकिन यह केवल बिलों के भुगतान में विलम्ब के बारे में सामान्य शिकायत थी।

(ख) जी, हां ।

(ग) जांच-पड़ताल अभी भी चल रही है।

जयन्ती जनता एक्सप्रैस की गति बढ़ाना तथा उसके कोचीन से छूटने के समय में परिवर्तन करना

7954. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन से दिल्ली तक चलने वाली जयन्ती जनता एक्सप्रैस शोरनूर जंकशन पर लगभग दो घंटे तक रुकती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है कि इस गाड़ी को कोचीन से इसके वर्तमान निर्धारित समय से कम से कम ड़ेढ़ घंटे बाद छोड़ी जाये ;

(ग) इस गाड़ी की गति बढ़ाने में क्या कठिनाई है; और

(घ) क्या जी० टी० एक्सप्रैस की तुलना में यह गाड़ी धीमी चलती है और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां।

(ख) एरणाकुलम से जयंती जनता एक्सप्रैस का और बाद में प्रस्थान करना मार्ग सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण परिचालिनिक दृष्टि से फिलहाल व्यवहारिक नहीं है।

(ग) और (घ) जयंती जनता एक्सप्रैस गाड़ियों की रफ्तार 15 डाऊन/16 अप मद्रास-नयी दिल्ली जी० टी०/वातानकूल एक्सप्रैस की तुलना में धीमी है, क्योंकि जी० टी०/ वातानुकल एक्सप्रैस की अधिकतम अनुमत रफ्तार 110 कि० मी० प्रति घंटा है जबकि जयंती जनता एक्सप्रैस के लिए यह रफ्तार केवल 100 कि० मी० प्रति घंटा है। फिर भी, नयी दिल्ली-गुडूर खण्ड पर जयंती जनता एक्सप्रैस की रफ्तार बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

दक्षिण रेलवे म नई रेलवे डिवीजन

7955. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेग कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में एक नयी रेलवे डिवीजन बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन भी मिला हे ; और

(ग) यदि हां, तो इसका सारांश क्या है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) दक्षिण रेलवे में मुख्यतः कार्यभार बढ़ जाने के कारण एक अतिरिक्त मण्डल बनाने के लिए विगत में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। कार्यभार की सामान्य वृद्धियों को समाहित करने और सम्हालने के लिए वर्तमान रेलतंत्र को उपयुक्त रूप से सक्रिय कर दिया जाता है और कार्यभार में वृद्धि के आधार पर उस रेलवे में एक नया मण्डल बनाने की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है। फिर भी, स्थिति पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और यदि दक्षिण रेलवे में कार्यभार में काफी वृद्धि होती है, तो उससे निबटने के लिए उपयुक्त समय पर आवश्यक कार्रवाई की जायगी।

केरल में वर्कशापों और स्टोर डिपुओं की स्थापना

7956. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल स्थित रेलवे लाइनों से दक्षिण रेलवे को कुल आय की लगभग 30 प्रतिशत आय होती है;

(ख) दक्षिण रेलवे की सभी रेलवे लाइनों से प्राप्त कुल आय की तुलना में केरल की कुल रेलवे लाइनों से होने वाली आय की राशि कितनी है ;

(ग) दक्षिण रेलवे के अन्तर्गत वहाँ वर्कशाप, स्टोर डिपो आदि कितने अतिरिक्त डिवीजनल प्रतिष्ठान हैं तथा वे कहाँ-कहाँ स्थित हैं ; और

(घ) केरल में अब तक ऐसे कितने प्रतिष्ठान स्थापित किये गये है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) आय सम्बन्धी सूचना राज्यवार नहीं बल्कि रेलवे-वार संकलित की जाती है।

(ग) सूचना संलग्न अनुबन्ध 'क' और 'ख' के विवरणों में दी गयी है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०-4865/73]

(घ) एक अर्थात् ओलबक्कोड में लोवान संयंत्र।

Assistance to Rajasthan for Flood Control Purposes

7957. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the total funds provided to Rajasthan by the Central Government during the last three years for flood control schemes, year-wise together with break-up thereof, scheme-wise; and

(b) whether the works for which funds were provided have since been completed and if not, whether Government propose to provide more funds to the Government of Rajasthan to get the said works completed?

The Deputy Minister of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma): (a) & (b) Under the procedure evolved for the Fourth Five Year Plan beginning from 1969-70 Central assistance to the State Governments for their various developmental schemes is provided in the form of block loans and grants and is not tied to any particular project or head of development. Therefore, there is no earmarked Central assistance for flood control schemes. As such no specific assistance for flood control schemes was given during the last three years.

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के प्रमुख अधिकारी को सचिव का दर्जा दिया जाना

7958. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के प्रमुख अधिकारी को सचिव का दर्जा देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे आयोग के कार्यकरण में कितनी सहायता मिलगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) अध्यक्ष, केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग को (1) उसके कर्त्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के अनुरूप पद-प्रतिष्ठा देने के लिए (2) उन्हें अपने कार्यों को प्रभावकारी ढंग से तथा कुशलतापूर्वक करने

तथा ऐसे कार्य करने में राज्य सरकारों तथा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ उपयुक्त उच्च स्तर पर सीधे बातचीत करने में समर्थ करने और (3) सिंचाई और विद्युत् क्षेत्र में ऐसी सरकारी नीतियों तथा कार्यक्रमों को तैयार करने में जिनमें वैज्ञानिक और प्रावैधिक विचार-विमर्श अपेक्षित हों, भाग लेने में समर्थ करने के लिए, उनको भारत सरकार के पदेन सचिव की पद-प्रतिष्ठा प्रदान की गई है। इससे आयोग अपना कार्य सरलता, कुशलता तथा शीघ्रतापूर्वक करने में समर्थ हो जाएगा।

Supply of Power by D.V.C. to Bengal, Bihar and Other States

7959. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the quantity of power being supplied by Damodar Valley Corporation to Bengal, Bihar and other States, separately; and

(b) whether Government of Bihar have requested the Centre for supply of additional power from the D.V.C. in view of power shortage in Bihar?

The Deputy Minister of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma) : (a) The total quantum of power supplied during the year 1972-73 (based on 10 months data) to West Bengal and Bihar is 1923·3 and 1952·0 million KWh respectively.

(b) The Government of Bihar have not approached the Centre for supply of additional power from D.V.C. They have, however, requested that D.V.C. may be urged to meet contractual requirements of supply to certain areas of Bihar fed by the D.V.C. System.

Railway Employees getting Pay less than Rs. 200/- and more than Rs. 1000/- per month

7960. Shri Shankar Dayal Singh: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of employees in Railways who get pay and allowances exceeding rupees one thousand a month; and

(b) the number of such employees who get less than rupees two hundred a month?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) & (b) Information is being collected from different railway administrations/units all over the country and will be laid on the table of the Sabha in due course.

कोडेरमा (बिहार) में एक उपरिपुल का निर्माण

7961. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कोडेरमा में एक रेलवे उपरिपुल के निर्माण के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो वह कार्य कब तक आरम्भ होगा तथा कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) कोडेरमा में किसी भी समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन रेल प्रशासन द्वारा बिहार सरकार के सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के परामर्श से कोडेरमा के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 31 पर "निक्षेप निर्माण कार्य" के रूप में (पूर्णतः सड़क प्राधिकरण की लागत पर) नये ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया

जा रहा है। निर्माण कार्य का अनुमान स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया है। राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जा सकेगा। अभी यह नहीं बताया जा सकता कि यह कार्य कब पूरा होगा।

औषधि उद्योगों द्वारा अर्जित लाभ की प्रतिशतता तथा 'ब्रांड' नामों की समाप्ति

7963. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय औषधि उद्योगों द्वारा अर्जित किये जा रहे लाभ की प्रतिशतता का पता लगाने के लिये सरकार ने कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) क्या तैयार उत्पादों की लागत में कमी करने के लिये औषधियों के "ब्रांड" नामों की समाप्ति तथा उनके फिर से जैनेरिक नाम रखने के बारे में प्रस्तावों की सरकार ने जाँच कर ली है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1970 के कार्यकरण का मूल्यांकन करने की दृष्टि से, औषधियों का निर्माण करने वाली 100 फर्मों की लाभप्रदता पर अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) 'ब्रांड' नामों की समस्याओं तथा उनकी समाप्ति पर जाँच की जा रही है।

Reopening of old Railway Line from Nirmali to Saraigarh

7964. Shri Chiranjib Jha: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether in order to reopen the old Railway line from Nirmali to Saraigarh on the North Eastern Railways, a road-cum-railway bridge is proposed to be constructed on the border road; and

(b) if so, the time by which the said work is likely to be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) An engineering feasibility study and a traffic appreciation have been carried out for the restoration of the Nirmali-Saraigarh M. G. rail link. Two alternatives have been investigated one envisaging a rail-*cum*-road bridge *via* Dagmara Barrage across Kosi and the other involving a separate rail bridge. It is seen that the line would not be justified for either of the alternatives. A decision will however be taken after the examination, now in progress, is completed.

(b) Does not arise.

Conversion of Bathnaha-Bhimnagar Narrow Gauge Line into Broad Gauge (North Eastern Railways)

7965. Shri Chiranjib Jha : Will the Minister of **Ralways** be pleased to state:

(a) whether it is proposed to convert the existing narrow gauge line from Bathnaha to Bhimnagar in North Eastern Railway into metre gauge line immediately so that the important border place Birpur, which is also the headquarters of Kosi Scheme and of the Sub-division, may also be connected with Railway line without any delay; and

(b) whether Government propose to construct a new Railway line from Simri Bakhtiyarpur to Bihariganj in North Eastern Railway and if so, the time by which it is likely to be constructed?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) An appreciation is being made on the conversion of the Bhatnaha-Bhimnagar N. G. line of Kosi Project authorities, into metre gauge. Further consideration to the proposal will be given after the report of this appreciation is examined from all aspects.

(b) No.

Conversion of Akma-Vina Halt as a full-fledged Station

7966. Shri Chiranjib Jha: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is a scheme to convert Akma-Vina halt into a full-fledged Station and if so, the time by which it would be done; and

(b) the time by which a pucca building would be constructed at Kadampura Halt?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes. It is proposed to upgrade Vina Akma halt as a flag station with effect from 1-5-1973.

(b) Provision of a pucca building, at Kadampura Halt could be considered when a decision to retain this halt on a permanent basis is taken.

भावनगर में लाइट डीजल तेल की कमी

7967. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भावनगर में लाइट डीजल तेल की भारी कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इससे उन ग्रामीणों को भारी असुविधा हुई है जिन्हें तेल के इंजनों को चला कर अपने खेतों के लिये कुंओं से पानी लाना पड़ता है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) गत कुछ मासों में भावनगर में लाइट डीज़ल तेल की कुछ कमी रही। इन कमियों के मुख्य कारण इस प्रकार हैं --

(i) तीव्र सूखे की परिस्थितियों एवं बिजली की कमी के परिणामस्वरूप उत्पाद के लिए माँग में अप्रत्याशित तेजी ; और (ii) आयात टैंकरों की प्राप्ति में विलम्ब।

(ग) गुजरात राज्य के किसी भाग में उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की लाइट डीज़ल तेल की कमी को रोकने के लिए, गुजरात सरकार ने उक्त राज्य में इस उत्पाद के वितरण में सामन्जस रखने के लिए काण्डला में सिविल सप्लाईज विभाग के एक अधिकारी का पदस्थापन किया है। इस अधिकारी ने तेल कम्पनियों और भावनगर के कलक्टर के साथ निरन्तर सामन्जन रखा हुआ है। काण्डला में भी उपलब्धता की स्थिति में सुधार हुआ है।

कोयला ले जाने के लिए माल डिब्बों की सप्लाई में कमी के कारण बड़ौदा में कपड़ा मिलों को हुई कठिनाई

7968. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में मालडिब्बों की कमी के कारण बड़ौदा स्थित कपड़ा मिलों को कोयले की सप्लाई में भारी असुविधा हुई है ;

(ख) क्या राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से इस कार्य के लिए अधिक माल डिब्बे दिय जाने के बारे में अनुरोध करती रही है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इस मंत्रालय को मालूम नहीं है।

(ख) जी हाँ, सामान्य रूप में ।

(ग) उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत यथासंभव अधिक से अधिक कोयले की ढुलाई करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

शास्त्री भवन के एक भाग पर भारतीय तेल निगम का अधिकार

7969. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम के कुछ कर्मचारी पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय को अलाट किये गये शास्त्री भवन के एक भाग में बैठते हैं, और यदि हाँ, तो इस अलाटमेंट के क्या कारण हैं तथा भारतीय तेल निगम द्वारा मंत्रालय को इसका कितना किराया दिया जाता है ;

(ख) जब भारतीय तेल निगम ने जनपथ स्थित अपनी इमारत के भागों को किराये पर दिया हुआ है तो उसके द्वारा शास्त्री भवन कार्यालय स्थान रखने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि निकट होने के कारण, मंत्रालय के कुछ अधिकारी भारतीय तेल निगम की स्वायतता तथा इसमें कर्मचारियों की नियुक्तयों के मामले में हस्तक्षेप करते हैं ; और

(घ) क्या सरकार की यह निति है कि सरकारी क्षेत्र के संगठन को प्रशासनिक मंत्रालयों के निकट उसके कार्यालय के लिए कुछ स्थान दिया जाए ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय तेल निगम ने अपने कुछ कर्मचारियों को पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के फ्रेट सरचार्ज सेल में शास्त्री भवन में काम करने के लिये भेजा है। मंत्रालय में फ्रेट सरचार्ज सेल की स्थापना पैट्रोलियम पदार्थों के मूल्याँकन पर शान्ति लाल शाह समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप, भारतीय तेल निगम सहित तेल कम्पनियों द्वारा फ्रेट सरचार्ज पूल योजना के अधीन विभिन्न कम वसूलियों और अधिक वसूलियों पर कार्यवाही करने के लिए की गई थी । चूंकि यह सेल मंत्रालय में काम कर रहा है, आई०ओ०सी० द्वारा मंत्रालय को किराया दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) जैसा कि भाग (क) के उत्तर से देखा जायेगा आई०ओ०सी० का शास्त्री भवन में किसी भी जगह पर अधिकार नहीं है। यह भी सत्य नहीं है कि जनपथ पर आई०ओ०सी० के अधिकार में कार्यालय भवन का कोई भाग किसी पार्टी को किराये पर दिया है। यदि सकेंत इंडियन आयल भवन में शापिंग सैन्टर की तरफ है तो यह निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा आई०ओ०सी० को किराये पर नहीं दिया गया है।

(ग) मंत्रालय के किसी भी अधिकारी ने इसमें कर्मचारियों की नियुक्तियों के बारे में भारतीय तेल निगम की स्वायत्तता में हस्तक्षेप नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ बहराइच सड़क पर रेलवे फाटक और चौक घाट के पश्चिम में पहले रेलवे फाटक के बन्द रहने का समय

7970. **श्री वी० आर० शुक्ल :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में जरमन रोड से पश्चिम की ओर लखनऊ-बहराइच सड़क पर रेल फाटक तथा चौक घाट के पश्चिम में प्रथम रेलवे फाटक सामान्यत: अधिक समय तक बन्द रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उचित समय पर फाटक बन्द करने तथा खोलने के बारे में क्या देख-रेख की जाती है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिजली की कमी के बारे में राज्यों के विद्युत् मंत्रियों/चीफ इंजीनियरों का सम्मेलन

7971. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजली की वर्तमान कमी को दूर करने के उपाय खोजने के लिये राज्यों के विद्युत् मंत्रियों/चीफ इंजीनियरों का सम्मेलन बुलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) विद्युत् की कमी में यथासंभव राहत पहुंचाने के लिये अक्टूबर-नवम्बर, 1972 में क्रमश: वम्बई, नई दिल्ली, बंगलौर और पटना में केंद्रीय सिंचाई और विद्युत् मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों और विद्युत् मंत्रियों के सम्मेलन हुए।

दामोदर घाटी निगम में कार्य कर रहे 'ट्रेंड ऐपरेंटिसिज'

7972. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम, प्रशिक्षण अधर्नियम, 1961 के अन्तर्गत 'ट्रेंड एपरेंटिसिज' नियुक्त करता रहा है ;

(ख) यदि हां, तो 1971 के पश्चात् अब तक उसने प्रति वर्ष ऐसे कितने प्रशिक्षु रखे हैं;

(ग) प्रशिक्षण की अवधि पूरी होने तथा ट्रेड टैस्ट में उत्तीर्ण होने के बाद उनमें से कितने व्यक्तियों को दामोदर घाटी निगम में रोजगार दिया गया है; और

(घ) क्या उक्त प्रशिक्षुओं को नियमित रिक्त पदों पर नियुक्त करने में प्राथमिकता दी जाती है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख)	1971	43
	1972	63
	1973	32 (दूसरा दल सितम्बर, 1973 में भर्ती किया जायगा)।

(ग) किसी भी प्रशिक्षु को प्रत्यक्ष रूप से दामोदर घाटी निगम में रोजगार नहीं दिया गया है।

(घ) प्रशिक्षुओं को निगम द्वारा कोई भी वरीयता नहीं दी गई है क्योंकि प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरांत प्रशिक्षुओं को रोजगार प्रदान करने का निगम की ओर से कोई वचन नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त निगम स्वयं अपने अतिरिक्त कर्मचारियों के लिये रोजगार जुटाने की समस्या का भी सामना कर रही है।

एकीकृत रेलवे पुलिस फोर्स

7973. **श्री डी० पी० चन्द्र गौडा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिये एकीकृत रेलवे पुलिस फोर्स बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : जी नहीं, लेकिन रेलों पर अपराधों को रोकने और कानून और व्यवस्था में सुधार करने के उपायों के बारे में राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करते समय अन्य बातों के साथ इस सुझाव पर भी विचार किया जायगा।

पर्यटकों के लिए किराये की विशेष दरें आरंभ किया जाना

7974. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रेवल एजेंट्स एसोसियेशन आफ इंडिया ने कोई इस आशय का अभ्यावेदन दिया है कि विदेशी मुद्रा में किराया देने पर पर्यटकों के दलों के लिये रेलवे द्वारा किराये की विशेष दर आरम्भ की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर रेल मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहमद शफी कुरेशी) : (क) मार्च, 1973 में नई दिल्ली में ट्रवल एजेंटस एसोसियेशन आफ इंडिया के एक सम्मेलन में एसोसियेशन के कुछ प्रतिनिधियों द्वारा एक सुझाव पेश किया गया था कि जो विदेशी पर्यटक विदेशी मुद्रा में रेल किराया अदा करते हैं उनके लिये विशेष रियायती किरायों की व्यवस्था की जाये।

(ख) यह प्रस्ताव मंजूर करना व्यावहारिक नहीं है।

रावी व्यास के पानी पर हरियाणा का दावा

7975. **डा० रानेन सेन :** क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने रावी-व्यास के पानी पर अपना दावा किया है; और—

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा : (क) जी हां।

(ख) : इस मामले पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के वर्तमान उत्पादन का मूल्य

7976. **श्री ज्योतिर्मय वसु :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि —

(क) इस समय कितने मूल्य के ड्रग्स और फार्मास्यिुटिकल्स का उत्पादन होता है और उसमें सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र (भारतीय नियंत्रित) तथा विदेशियों द्वारा नियंत्रित क्षेत्र का अलग-अलग भाग कितना है;

(ख) इस समय देश में ड्रग्स तथा फार्मास्युटिकल्स की कितनी माँग (मूल्य) है और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितनी मांग होने की सम्भावना है;

(ग) पांचवीं योजना में उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसमें प्रत्येक क्षेत्र का अलग-अलग भाग कितना है; और

(घ) क्या स्वदेशी नियन्त्रित क्षेत्र को विदेशी नियन्त्रित क्षेत्र से बड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1971-72 में तैयार सूत्रयोगों के रूप में लगभग 300 करोड़ रुपये के भेषजों का उत्पादन हुआ था। इस में से सरकारी क्षेत्र का भाग लगभग 8 प्रतिशत जबकि विदेशी नियन्त्रण की फर्मों का भाग लगभग 45 प्रतिशत था।

(ख) तैयार सूत्रयोगों के मूल्य में वर्तमान मांग का अनुमान 350 करोड़ रुपये है और पांचवीं योजना के अन्त में मांग के लगभग 600 करोड़ रूपये होने का अनुमान है।

(ग) योजना आयोग द्वारा औषध एवं भेषज उद्योग के लिये नियुक्त किये गये टास्क फोर्स ने प्रपुंज औषधियों का अभिज्ञान कर लिया है और पांचवीं योजना अवधि के अन्त में होने वाली अनुमानित आवश्यकताओं का परिमाण निर्धारित कर लिया है। टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर योजना आयोग विचार कर रहा है।

(घ) औषध एवं भेषज उच्च अनुसन्धान का एक विस्तृत उद्योग है । देश में अपने अनुभव तथा स्थापित किये गये नाम से भारत में कार्यरत विदेशी फर्में भारतीय क्षेत्र से निश्चित रुप से अच्छी हैं । भारतीय क्षेत्र के स्तर में सुधार लाने के लिये वर्तमान औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में इस के विकास के लिये पर्याप्त प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है।

उर्वरकों की मांग और सप्लाई में अन्तर

7977. श्री ज्योतिर्मय बसु
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा किये गये अध्ययन से पता लगा है कि 1983–84 तक उर्वरकों की मांग और सप्लाई के बीच विद्यमान अन्तर के कम होने के बजाय बढ़ जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं और इस अन्तर को कम करने के लिये यदि कोई कार्यवाई की जा रही है, तो क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अभी तक ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों के उत्पादन और स्वदेशी उत्पादन की तुलना तथा 1972 के दौरान उनके द्वारा अर्जित लाभ

7978. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन
श्री वयालायर रवि : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधियों के स्वदेशी उत्पादन की तुलना में विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों का उत्पादन कितना रहा है; और

(ख) 1972 में प्रत्येक विदेशी औषधि निर्माता फर्म ने कुल कितना लाभ अर्जित किया ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1972/1972–73 के लिये विदेशी औषधि निर्माता कम्पनियों की बिक्री तथा 1972–1972–73 के दौरान प्रत्येक विदेशी औषध निर्माता फार्म के कुल मुनाफों के बारे में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली से सौराष्ट्र क्षेत्र तक एक सीधी रेलगाड़ी चलाना

7979. श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र तक एक सीधी रेलगाड़ी चलाने की भारी मांग है; और

(ख) यदि हां, तो यह मांग कब तक पूरी कर दी जायगी ।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी नहीं । लेकिन 35अप/36 डाउन कोलि एक्सप्रेस गाड़ियों का चालान क्षेत्र दिल्ली तक बढ़ाने के लिये अभ्यावेदन मिले थे ।

(ख) सीधे जाने वाले यातायात की दृष्टि से औचित्य न होने के अलावा, दिल्ली क्षेत्र में पर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं और मार्ग में पड़ने वाले खण्ड पर क्षमता के अभाव में सौराष्ट्र और दिल्ली के बीच सीधी गाड़ी चलाना अभी परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

गुजरात में विद्युत् उत्पादन

7980. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में गुजरात राज्य में बिजली का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) वर्ष 1973–74 में वहां पर बिजली का कितना उत्पादन होने का अनुमान है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) तारापुर परमाणु विद्युत् केन्द्र के 50 प्रतिशत को मिला कर गुजरात राज्य में विद्युत् का कुल उत्पादन निम्नलिखित है :—

1970–71	4176.2 मिलियन यूनिट
1971–72	4048.0 मिलियन यूनिट
1972–73	4880.0 मिलियन यूनिट (अनुमानित)

(ख) 1973–74 के दौरान अनुमानित विद्युत् उत्पादन 5100 मिलियन यूनिट तक है ।

विदेशी फार्मेस्यूटिकल्स कंपनियों द्वारा विनियमों को क्रियान्वित न किये जाने के बारे में शिकायत

7981. **श्री वयालार रवि :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बारे में कोई शिकायतें मिली हैं कि विदेशी फार्मोस्यूटिकल कंपनियों द्वारा सरकारी विनियमों को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है और यदि हां तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह): सरकारी नियमों में औषधियों की कीमतों, गुण नियंत्रण लाइसेंसों युक्त क्षमताओं श्रमिक संबंधों, विनियम नियंत्रण आदि के लिए व्यवस्था है । सरकार के संबंधित विभाग विदेशी कंपनियों को सम्मिलित करते हुए सभी कंपनियों के कार्यकलापों पर निगरानी रखते हैं और समय समय पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के बारे में आवश्यक कार्यवाही करते हैं ।

विदेशी तेल कम्पनियों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की शेयर पूंजी तथा उससे अर्जित लाभ

7982. **श्री वयालार रवि :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने विदेशी तेल कंपनियों के शेयरों में कुल कितनी पूंजी लगाई हुई है; और

7—330LSS/73

(ख) गत तीन वर्षों में इस पूंजी निवेश पर कितना स्वामित्व (रायल्टी) तथा लाभांश प्राप्त हुआ और उक्त अवधि के दौरान भारत द्वारा विभिन्न विदेशी तेल कंपनियों को दिये गये स्वामित्व तथा लाभांश की तुलना में यह कितना है ?

पैट्रोलियम और सायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) ईरान के अपतट क्षेत्र में पैट्रोलियम के अन्वेषण एवं उत्पादन में साझेदारी के लिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने इटली के ए० जी० आई० पी० एस० पी० ए० और अमरीका के फिल्लिप्स पैट्रोलियम कम्पनी के सहयोग से, नेशनल इरानियन आयल कम्पनी के साथ जनवरी, 1965 में एक संयुक्त संरचना करार (ज्वाइंट स्ट्रक्चर एग्रीमैण्ट) का निष्पादन किया था। बाद में आयोग ने, उपर्युक्त करार के अन्तर्गत, अपने अधिकारों एवं दायित्वों को मैसस हाइड्रोकार्बन्स इण्डिया प्राइवेट लि०, जो आयोग की पूर्णतया स्वामित्व वाली अनुषंगी कम्पनी है, को हस्तांतरित कर दिये।

संयुक्त संरचना करार में एक अलग न्यायिक अस्तित्व का उल्लेख नहीं है। अतः एच०आई०पी० एल० द्वारा इस करार के अन्तर्गत व्यय के अपने शेयर के तौर दी गई धनराशियां शेयर पूंजी के स्वरूप में नहीं है। करार के अन्तर्गत ईरान में सभी खर्चों को पूरा करने के बाद शुद्ध बचत भारत को भेजी जानी है। वर्ष 1972 तक कोई बचत भारत को नहीं भेजी गई है।

एच०आई०पी०एल० ने 26,656 रुपये की राशि शेयर पूंजी के रूप में ईरानियन मेराइन इण्टर-नेशनल आयल कम्पनी (आई०एम०आई०एन०ओ०सी०ओ०) ईरान में लगाई है। करार के अन्तर्गत अर्जित क्षेत्र में इन कार्यों के निष्पादन के लिए, करार के अनुसार पार्टियों द्वारा यह कम्पनी बिना लाभ एवं बिना हानि के आधार पर गठित की गई है। इस निवेश पर किसी प्रकार की रायल्टी अथवा लाभांश के प्राप्त होने का प्रश्न नही उठता है। क्योंकि तेल अन्वेषण एवं उत्पादन के क्षेत्र में भारत में कार्य कर रही किसी विदेशी तेल कम्पनी के साथ ऐसा कोई तुलनात्मक करार नहीं है, इसलिए कोई तुलना सम्भव नहीं है। केवल एक विदेशी तेल कम्पनी, जो भारत में तेल अन्वेषण एवं उत्पादन में सहयोग दे रही है, बर्मा आयल कम्पनी है जो आयल इण्डिया लि० के साथ है। यहां पर यह भी उल्लेख करना है कि बर्मा आयल कम्पनी को किसी प्रकार की रायल्टी नहीं दी जाती है बल्कि पश्चायुक्त लाभांश का हकदार है जो आयल इण्डिया लि० से सम्बन्धित बर्मा आयल कम्पनी और भारत सरकार के बीच करार के उपबन्धों के अनुसार है। उनकी साम्य पूंजी पर अदा किये गए लाभांश तथा 1970–72 वर्षों के दौरान उनके द्वारा अपने देश को भेजी गई राशियां निम्न प्रकार हैं :—

1970	13 शुद्ध लाभांश	
1971	7 प्रतिशत शुद्ध का अन्तरिम लाभांश; और	अन्तिम लाभांश के बारे में अभी निर्णय होना है।
1972	7 प्रतिशत शुद्ध का अंतरिम लाभांश	

Shed at Daryaganj Railway Station

7983. Shri Chhatrapati Ambesh: Will the Minister of Railway be pleased to state:

(a) whether the shed provided at Daryaganj Station (District Etah) does not provide shelter against sun and rain; and

(b) if so, the remedial measures proposed to be taken in the matter?

The Deputy Minister in The Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b). Presumably the reference is to Daryaganj Railway Station. To meet the requirements of passenger traffic offering at Daryaganj Railway Station, a platform shelter

measuring 50′×20′ on the platform, one verandah measuring 45′×10′ and waitng hall of size 30′×20′ already exist, which are considered adequate.

"टोटल एनरजी और एनरजी सबस्टीट्यूशन" पर गोष्ठी

7985. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में 'टोटल एनरजी और एनरजी सबस्टीट्यूशन' पर एक गोष्ठी हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी के क्या निष्कर्ष निकले ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : जी, हां । कुल ऊर्जा और प्रतिस्थापन पर एक गोष्ठी नई दिल्ली में 26 मार्च, से 28 मार्च, 1973 तक हुई ।

(ख) इस गोष्ठी ने कुल ऊर्जा केन्द्रों की स्थापना की सिफारिश की जो कि उद्योगों के प्रबन्धनार्थ वैद्युत् शक्ति और वाष्प दोनों की आपूर्ति करेंगे ।

Drug licences given in Indore (M.P.)

7987. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the total number of drug licences given in Indore (Madhya Pradesh) during the last three years and the names of the parties which were given such licences:

(b) the quantum of raw material given against the said drug licences during this period and the quantum of drugs produced made therefrom;

(c) whether Government are aware that some bogus parties and persons have been issued licences and raw material and if so, the names thereof and the quantum of raw material given to them; and

(d) the action taken or proposed to be taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Dalbir Singh): (a) to (d) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

मैसर्स मर्क शार्प एण्ड डोम आफ इण्डिया लिमिटेड और मैसर्स मे एण्ड बेकर द्वारा क्रमशः इन्डोमैथासिन तथा फ्लैजील का आयात

7988. **श्री के० एम० चावड़ा :** क्या पट्रोलियम और रसायन मंत्री 27 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4738 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स मर्क शार्प एण्ड डोम आफ इन्डिया लिमिटेड द्वारा कितने समय से इन्डौमैयासिन का आयात किया जा रहा है और समय समय पर इस सामान का आयात किस मूल्य पर किया गया ;

(ख) पार्टी को इस बात के लिए बाध्य करने के लिये कि वह सामान का आयात तथा बिक्री सस्ते मूल्य पर करे, कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मैसर्स मे एण्ड बेकर द्वारा फ्लैजील का अधिक मूल्य पर आयात किया गया तथा बेची गई और पार्टी को इस बीच इसका आयात वहां से करने के लिये बाध्य किया गया है, जहां यह सस्ती मिल सके; और

(घ) यदि हां, तो अतारांकित प्रश्न संख्या 4738 के भाग (ग) के उत्तर में फ्लैजील का उल्लेख न किये जाने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मैसर्स मर्क शार्प एण्ड डोम आफ इंडिया 1967 से इन्डोमेथासिन का आयात कर रहे हैं। इस की मात्रा तथा कीमत, जिस पर इस का आयात किया गया था, इस प्रकार है :—

वर्ष	आयातित मात्रा	सी०आई०एफ० मूल्य/प्रति/किलोग्राम जिस पर आयात किया गया
	किलोग्राम	रुपये
1967	743	4,543
1968	341	4,554
1969	340	4,570
1970	587.5	4,572
1971	900	4,320

(ख) बताया जाता है कि इन्डोमेंथासिन एन०एफ० मैसर्स मर्क शार्प एण्ड डोम आफ इण्डिया लिमिटेड के मालिक मैसर्स मर्क एण्ड कम्पनी का अनुसंधान उत्पाद है। सरकार वैकल्पिक संसाधनों से अपेक्षित मात्राओं तथा क्वालिटी में इस के आयात की संभावनाओं पर विचार करती रही है। वर्ष 1973–74 के लिये इस का आयात राज्य व्यापार निगम की मार्फत सरणीबद्ध किया गया है।

(ग) फलेगाइल मैसंस में एण्ड बेपुर की प्रपुज औषधि के सूत्रयोग का 'बांड' नाम है। 1970–71 से इस सूत्रयोग के आयात करने की इजाजत नहीं है।

(घ) अता० प्रश्न संख्या 4738 (ग) में कुछ विदेशी फर्मों द्वारा प्रपुंज औषधि के आयात किये जाने के बारे में सूचना मांगी गई थी। 'फ्लेगाइल' जो एक सूत्रयोग का नाम है, उसमें शामिल नहीं था।

बल्क ड्रग्स के मूल्य निर्धारित करना

7989. **श्री के० एस० जावड़ा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "फार्मूलेशन्स" के मूल्यों की मंजूरी के लिए दिए जाने वाले आवेदनपत्रों में उन मूल्यों के साथ साथ कच्चे माल अर्थात् "बल्क ड्रग्स" "इन्टरमीडियेट्स" आदि के आयात मूल्यों के बारे म भी जानकारी दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस बात को देखने के लिए कि निर्माताओं, विशेषकर विदेशी प्रभुत्व वाली फर्मों द्वारा अपने फार्मूलेशन्स के लिए अधिक मूल्य लेने हेतु कच्चे माल के अधिक मूल्य न लिए जायें, मन्त्रालय के मूल्य सेल द्वारा किस प्रकार की दोहरी छानबीन की जाती है;

(ग) क्या मूल्य सेल को सरकारी तथा गैर-सरकारी साधनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि विदेशी फर्मों द्वारा अपने फार्मूलेशन्स के अधिक मूल्य निर्धारित करने के लिए कच्चे माल के अधिक मूल्य मांगे जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे अभ्यावेदनों की रूपरेखा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) औषधि (मल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत सूत्रयोगों के विनिर्माताओं को (अपने सूत्रयोगों के मूल्यों की स्वीकृति मांगते समय) आयातित कच्चे माल के मल्यों को सम्मिलित करते हुए, प्रपुन्ज औषधियों, अन्य रसायनों एवं प्रयुक्त अनुद्रव्यों की लागतों के विषय में सूचना देना आवश्यक है।

(ख) मूल्य निर्धारण के लिए अपने प्रार्थना-पत्रों में पार्टियों द्वारा दी गई सूचना का, मन्त्रालय में उपलब्ध व्यौरा के साथ दोहरी छानबीन की जाती है जहां कहीं आवश्यक है, भारत के औषध सलाहकार, जो उपयुक्त मामलों में पत्तन प्राधिकारियों से परामर्श करता है, के माध्यम से अन्तिम सूचना एकत्र की जाती है।

(ग) और (घ) : अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ औषधियों के मूल्यों को इंगित करते हुए, मन्त्रालय में कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं। विदेशी स्वामित्ववाली फर्मों द्वारा प्रपुन्ज औषधियों के लिए अदा किए जा रहे अधिक मूल्यों की सम्भावना का निराकरण करने के विचार से राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सारणीबद्ध पदार्थ (औषधियों) की संख्या बढ़ाई गई है। इसके अतिरिक्त 3 प्रपुन्ज औषधियों अर्थात् डायजपाम, क्लोरोडायजपोक्साइड एवं डेक्सामेथाजन के मूल्य आयात व्यापार नियन्त्रण नीति पुस्तिका के अनुसार नियत किए गए हैं।

औषध मूल्य (नियंत्रण आदेश) 1970 के उपबन्ध के अन्तर्गत बल्क ड्रग्स की बिक्री

7990. श्री के० एस० चावडा : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध मूल्य (नियन्त्रण आदेश), 1970 में इस आशय का उपबन्ध है कि केन्द्रीय सरकार अथवा इसकी ओर से अधिकृत कोई अधिकारी बल्क ड्रग्स के किसी निर्माता को यह आदेश दे सकता है कि वह फार्मूलेटरों को विशेष बल्क ड्रग्स किसी विशेष मूल्य पर जो भी उसमें दिया गया हो, बेचे;

(ख) क्या कुछ बल्क ड्रग्स का उत्पादन देश में ही किया जा रहा है जिनका प्रयोग "कैपटिव" खपत के लिए होता है और जो अन्य फार्मूलेटरों को नहीं दी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो भाग (क) में उल्लिखित उपबन्ध के अन्तर्गत एकाधिकार को समाप्त करने तथा सम्बन्धित ड्रग्स के मल्यों को कम करने के लिए कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख): जी हां।

(ग) औषधि मूल्य (नियन्त्रण) आदेश के अन्तर्गत इस प्रकार के आदेश को जारी करने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई है। उपयुक्त मामलों (केसों) में उत्पादों (औषधियों)

के महत्व पर निर्भर करते हुए अन्य उपयोगों की आवश्यकताएं आयात के माध्यम से पूरी की जाती हैं।

अगले दो वर्षों में उड़ीसा में शुरू की जाने वाली सिंचाई परियोजनाएं

7991. **श्री के० प्रधानी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अगले दो वर्षों में शुरू की जाने वाली सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) उनमें से कितनी पिछड़े अथवा जनजाति क्षेत्रों में हैं; और

(ग) उनसे कितनी भूमि सिंचित होगी और बिजली का कितना उत्पादन होगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग): उड़ीसा सरकार द्वारा पांचवीं योजना के सिंचाई कार्यक्रमों को अभी तक नहीं भेजा गया है।

वर्ष 1972-73 के दौरान रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने से राजस्व को हुई हानि

7992. **श्री के० प्रधानी :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972-73 के दौरान रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने के परिणामस्वरूप राजस्व की कितनी हानि होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : भारतीय रेलों में बिना टिकट यात्रा से सम्बन्धित अनुमान वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर तैयार नहीं किए जाते। इसलिए 1972-73 में राजस्व की हानि के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 1967-68 में सभी भारतीय रेलों में की गयी नमूना जांच के आधार पर प्रतिवर्ष 20 से 25 करोड़ रुपए तक की हानि का अनुमान लगाया गया था। बाद में की गयी जांच से पता चला है कि बिना टिकट यात्रा में उल्लेखनीय कमी हुई है।

ईराकी पैट्रोलियम कम्पनी द्वारा मुकदमा वापिस लेना

7993. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **पट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उस मध्यस्थ निर्णय के अन्तर्गत हुए समझौते की शर्तें क्या हैं जिसके अन्तर्गत ईराकी पैट्रोलियम कम्पनी ने अपने अशोधित तेल तथा अन्य उत्पादों के प्रयोग के विरुद्ध भारत में पहले से दायर किए गए अपने मुकदमों को वापिस ले लिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : बम्बई उच्च न्यायालय में मैसर्स बासराह पैट्रोलियम कम्पनी द्वारा भारतीय तेल निगम के विरुद्ध ईराक से नार्थ रुमीला कच्चा तेल और पैट्रोलियम पदार्थों के आयात के विरुद्ध किया गया मुकदमा उन्होंने बिना किसी शर्त के वापस ले लिया था और उनके साथ भारतीय तेल निगम द्वारा पंचाट या इसके विपरीत कोई समझौता नहीं था।

पश्चिम बंगाल द्वारा ग्राम विद्युतीकरण के लिए वित्तीय सहायता मांगना

7994. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की सरकार ने ग्राम विद्युतीकरण के लिए कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता मांगी है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने कुल कितने धन की मंजूरी दी है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग). जी, हां। योजना आयोग की पश्चिम बंगाल सरकार से उस राज्य में 1973 के अन्त तक लगभग 10,000 ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए ग्राम विद्युतीकरण के क्रैश कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए 20.62 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धन राशि के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसमें ग्राम विद्युतीकरण निगम से उपलब्ध होने वाले 2.62 करोड़ रुपए का ऋण भी शामिल है। योजना आयोग ने मई-जून, 1972 में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ अतिरिक्त आवश्यकताओं के बारे में विचार-विमर्श किया था और राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे। इन विचार-विमर्शों के आधार पर संशोधित प्रस्ताव अभी तक योजना आयोग में प्राप्त नहीं हुए हैं।

ग्राम विद्युतीकरण निगम, जो केन्द्रीय सेक्टर में स्थापित किया गया है राज्य बिजली बोर्डों की उनके ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिए योगात्मक धन की व्यवस्था करता है। निगम ने अब तक 2143.909 लाख रुपए की ऋण सहायता से पश्चिम बंगाल को 31 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की हैं; इन स्कीमों के पूर्ण हो जाने पर 5,516 ग्रामों का विद्युतीकरण, 21,338 पम्पसेटों का उर्जन हो सकेगा और 16,757 लघु तथा कृषि उद्योगों को विद्युत सप्लाई की जा सकेगी।

ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा अब तक स्वीकृत सहायता की मात्रा के क्रम में पश्चिमी बंगाल का दूसरा स्थान है।

1972-73 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को आपातकाल उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पम्प सेवा का उर्जन भी शामिल है, 14.33 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता की गई थी।

देश में सिंचाई योजनाओं के लिए तदर्थ सहायता

7995. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गत तीन वर्षों के दौरान किसी राज्य को सिंचाई से सम्बन्धित कार्यक्रम अथवा योजना में सहायता देने के लिए तदर्थ सहायता देने की मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और वे योजनाएं कौन सी हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). सिंचाई परियोजनाओं के लिए गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों में दी गई तदर्थ केन्द्रीय गैर-योजना सहायता नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपयों में)

राज्य और स्कीम का नाम	1970-71	1971-72	1972-73
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश			
पोचम्पाद परियोजना	1.00	1.32	2.00
2. बिहार			
गण्डक परियोजना	3.11	—	—
3. हरियाणा			
(क) 1968-69 से पहले ब्यास परियोजना पर अतिरिक्त व्यय का भाग . .	—	—	2.29
(ख) ब्यास परियोजना 1972-73 .	—	—	3.70
(ग) विशेष सिंचाई परियोजनाएं .	—	—	3.50
4. पंजाब			
(क) 1968-69 से पहले ब्यास परियोजना पर अतिरिक्त व्यय का भाग . .	—	—	3.39
(ख) ब्यास परियोजना . .	—	—	6.58
5. राजस्थान			
(क) राजस्थान नहर . . .	—	3.00	3.50
(ख) ब्यास परियोजना . . .	—	—	10.35

उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों को लाभकारी कार्य दिया जाना

7996. **श्री पीलू मोदी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को किसी संगठन और/या स्वशासी निकायों से लाभकारी कार्य स्वीकार करने की अनुमति दी जाती है; और

(ख) यदि नहीं, तो उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा ऐसे लाभकारी कार्य को स्वीकार करने की स्थिति में उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) तथा (ख). उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रपति के विशेष अनुरोध के सिवाए किन्हीं ऐसे लाभकारी कार्यों को स्वीकार करना प्रतिषिद्ध है जो उनके प्रसामान्य कर्त्तव्यों से बाहर हों। कभी-कभी उनकी सेवाओं का उपयोग न्यायिक या न्यायिक प्रकार के कार्यों के लिए भी किया जाता है। ऐसे मामलों में भी उन सुविधाओं को छोड़ कर, जो उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 के अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय हों, उन्हें किसी प्रकार का अतिरिक्त पारिश्रमिक लेने की अनुज्ञा नहीं है।

जहां किसी सेवारत न्यायाधीश से, उसके प्रसामान्य कर्त्तव्यों से बाहर कोई और न्यायिक या न्यायिक प्रकार का कार्य करने के लिए कहा जाए, वहां ऐसे कार्य के लिए मानदेय के रूप में कोई संदाय या अन्य पारिश्रमिक अनुज्ञेय नहीं होता। तथापि, ऐसे मामले में, जिसमें किसी न्यायाधीश से विशेष कार्य जैसे किसी आयोग की सदस्यता या अध्यक्षता करने के लिए कहा जाता है उसमें उसे युक्तियुक्त 'असल-खर्चे' भत्ता दिया जा सकता है, जिसे, निस्संदेह, पारिश्रमिक नहीं कहा जा सकता।

निम्नलिखित श्रेणियों के अधीन आने वाला कार्य, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बिना भी, न्यायाधीशों द्वारा हाथ में लिए जाने में कोई आपत्ति नहीं है:—

(i) साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का कार्य (जिसमें इन विषयों पर पुस्तकों का प्रकाशन कार्य भी है)।

(ii) अविवादास्पद विषयों पर रेडियो प्रसारण वार्ताएं।

(iii) विश्वविद्यालयों या सरकारों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए विधि विषयों पर प्रश्न-पत्र तैयार करना, किन्तु न्यायाधीशों से आशा की जाती है कि वे, एम० एल० या डाक्टर आफ लाज की परीक्षाओं को छोड़, अन्य परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र तैयार करने और उत्तर-पुस्तिकाएं जांचने के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लेंगे।

ऐसा कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है जिसमें उच्च न्यायालय के किसी सेवारत न्यायाधीश, ने राष्ट्रपति के विशेष अनुरोध के बिना, अपने प्रसामान्य कर्त्तव्यों के बाहर कोई लाभकारी कार्य स्वीकार किया हो। यदि ऐसा कोई मामला जानकारी में आएगा तो उस के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही करने पर विचार किया जाएगा।

दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के जनरेशन इंजीनियरों और सुपरवाइजर एसोसिएशन की मांगों की जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति का प्रतिवेदन

7997. **श्री पीलू मोदी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के जनरेशन इंजीनियरों और सुपरवाइज़र एसोसिएशन की विभिन्न मांगों की जांच करने के लिए नियुक्त तीन सदस्यीय समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशों को क्रिआन्वित करने के लिए दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के प्रबन्धक क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट दिल्ली विद्युत् प्रदाय समिति की विचारार्थ भेज दी गई है। महाप्रबन्धक दिल्ली विद्युत् प्रदाथ संस्थान ने सूचित किया है कि दिल्ली विद्युत् प्रदाय समिति ने 15 फरवरी 1973 को एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके द्वारा दिल्ली नगर निगम की सहायक कार्य-कारी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता के वेतनमानों में संशोधन करने की सिफारिश की गई है। दिल्ली विद्युत् प्रदाय समिति ने सहायक अभियन्ता तथा उससे ऊपर के पदों के वेतनमानों के सम्बन्ध में सिफारिशों पर 7 अप्रैल, 1973 को विचार किया और उनके वेतनमानों में भी संशोधन करने के लिए दिल्ली नगर निगम को सिफारिश की। दिल्ली विद्युत् प्रदाय समिति ने निम्नलिखित वर्गों के वेतनमानों में भी दिल्ली नगर निगम को संशोधन करने की सिफारिश की :—

(1) नियन्त्रक
(2) सहायक नियन्त्रक
(3) अधीक्षक
(4) फोरमैन
(5) निरीक्षक ग्रेड I
(6) निरीक्षक ग्रेड II
(7) पारी कार्य भारी अभियन्ता ग्रेड 2
(8) सहायक पारी अभियन्ता
(9) वरिष्ठ कैमिस्ट
(10) कैमिस्ट
(11) सहायक कैमिस्ट

दिल्ली नगर निगम द्वारा मामले पर शीघ्र विचार किए जाने की संभावना है।

शिवशंकर समिति की शेष सिफारिशों की दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान में जांच पड़ताल जारी है।

जनजाति क्षेत्रों में सिंचाई तथा बिजली इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास

7998. **श्री गिरिधन गोमांगो** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनजाति क्षेत्रों में सिंचाई तथा बिजली सम्बन्धी इन्फ्रास्ट्रक्चर का स्तर देश में आम स्तर से बहुत नीचे है;

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या आंकलन किया गया है; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन क्षेत्रों में सिंचाई के विकास और बिजली की सप्लाई करने के लिए सरकार ने क्या कायवाही की है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) समाज-कल्याण विभाग में आदिवासी विकास सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति ने यह अनुमान लगाया है कि आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं कृष्य क्षेत्र के 1 प्रतिशत से भी कम हैं जबकि इसकी तुलना में अखिल भारतीय औसत लगभग 21 प्रतिशत है। इसी प्रकार कम निवास और बहुत थोड़ी जनसंख्या होने के कारण आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम विद्युतीकरण बहुत दूर तक नहीं हो पाया है।

(ग) देश में आदिवासी खंडों को निर्धारित किया जा रहा है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य सरकारें इन खंडों के विकास कार्य को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनी अन्य विकास स्कीमों के साथ प्रारम्भ करें। आदिवासी क्षेत्रों को ग्राम इंजीनियरी सर्वेक्षण योजना के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाने का भी प्रस्ताव है जिससे उन क्षेत्रों का समुचित सर्वेक्षण हो सके और विशेष स्कीमें तैयार की जा सके।

उड़ीसा और बिहार के जनजाति क्षेत्रों में सिंचाई का स्तर

7999. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई का स्तर इन राज्यों में सिंचाई के आम स्तर की तुलना में कितना है; और

(ख) वर्ष 1970, 1971 और 1972 में कोरापुर, बस्तर, मांडला, और झबुआ में सिंचाई के अन्तर्गत कुल कितना क्षेत्र था?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि समस्त राज्य में 28 लाख एकड़ के मुकाबले आदिवासी क्षेत्रों में निर्मित सिंचाई शक्यता 3 लाख एकड़ है।

उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चौथी योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा पूंजी निवेश

8000. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने चौथी योजना में समूचे देश में, तथा उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार में अलग-अलग कितना पूंजी निवेश किया है;

(ख) उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार में लगाई गई इस पूंजी में से इन राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों को कितना-कितना भाग मिला है; और

(ग) पांचवीं योजना में आदिवासी क्षेत्रों के लिए कुल कितना धन नियत किया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख): चतुर्थ योजना के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम के माध्यम से किया गया निवेश 190 करोड़ रुपए होने की संभावना है। ग्राम विद्युतीकरण निगम ने अब तक 410 स्कीमें स्वीकृत की हैं, जिनके लिए 226.39 करोड़ रुपए की ऋण सहायता की आवश्यकता है। इन ऋणों में से, निगम अभी तक 111.16 करोड़ रुपए की राशि का वितरण कर चुका है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार के सम्बन्ध के में कुल स्वीकृत ऋण तथा वितरित की गई राशि निम्नलिखित है :—

	स्वीकृत ऋण की मात्रा	अब तक वितरित की गई राशि
	(करोड़ रुपयों में)	
उड़ीसा . . .	11.82	5.09
मध्य प्रदेश	18.48	9.47
बिहार	17.31	9.05

ग्राम विद्युतीकरण निगम के पास कम विकसित पहाड़ी क्षेत्रों, मरुस्थल तथा आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होने वाली ऋण की एक विशेष श्रेणी है। इस श्रेणी के अन्तर्गत स्वीकृत स्कीमों में से एक बिहार में सिंहभूम से सम्बद्ध है जिसके लिए 42.15 लाख रुपए की ऋण सहायता की आवश्यकता है।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

प्रशिक्षण तथा प्रतिनियुक्ति के लिए विदेशों में भेजे गये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के अधिकारी

8001. **श्री चन्द्र शैलानी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के अधिकारियों को आमतौर पर प्रशिक्षण तथा प्रतिनियुक्ति के लिए विदेशों में नहीं भेजा जाता है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में कितने अधिकारियों को विभाग-वार, ज़ोन-वार तथा वर्ष-वार प्रशिक्षण तथा प्रतिनियुक्ति के लिए विदेश भेजा गया;

(ग) उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के अलग-अलग कितने अधिकारी थे और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए उनका मन्त्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है कि विदेशों में प्रतिनियुक्ति और प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने वाले मामलों में

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

देश के पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण

8002. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई रेलवे लाइनें बिछाने के लिए चालू वर्ष में किन पिछड़े क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाएगा तथा तत्सम्बन्धी प्राथमिकता क्या है ; और

(ख) क्या चालू वर्ष के बजट में इस उद्देश्य के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है, और यदि हां, तो यह कितनी है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) नयी लाइनों आदि के लिए किये जाने वाले सर्वेक्षणों के ब्यौरे "1973-74 में भारतीय रेलों पर केन्द्रीय सरकार के खर्च के लिए अनुदान की मांगें" पुस्तक की मांग 2 के अनुबन्ध 'ख' में दिये गये हैं। इस पुस्तक की प्रतियां 20-2-73 को 1973-74 का रेलवे बजट प्रस्तुत करते समय संसद् सदस्यों में परिपत्रित की गयी थीं। इनमें से कुछ सर्वेक्षण देश के पिछड़े क्षेत्रों में भी किये जायेंगे।

(ख) नये सर्वेक्षणों और इस समय चालू सर्वेक्षणों पर होने वाले खर्च के लिए 1973-74 में 1.13 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गयी है।

Assistance Sought by U.P. for Meeting Power Shortage

8003. **Shri Sudhakar Pandey:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the nature and the extent of assistance sought by the Government of Uttar Pradesh from the Central Government during 1972-73 for meeting power shortage in the State indicating the dates on which this assistance was sought and the nature of assistance provided by the Centre, indicating the dates on which this assistance was provided; and

(b) the central schemes for over-coming power crisis in Uttar Pradesh or the contributions likely to be made by the Centre in the schemes formulated by the Government of Uttar Pradesh in this connection?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma): (a) At the requets of the Uttar Pradesh Power Minister, the question of providing relief to Uttar Pradesh was examined and the following steps were decided to be taken to reduce the power shortage in the State:

(i) Bihar to step-up the export of surplus off-peak power available with D.V.C. to Uttar Pradesh with effect from 3rd March 1973.

(ii) D.E.S.U. to supply 0·3 million units per day to Uttar Pradesh with effect from 27th March, 1973.

(b) One-third of power generated at Badarpur Thermal Power Project undertaken by the Centre will be made available to Uttar Pradesh.

पूर्व जोन रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदात्री समिति, दानापुर की बैठक में रेलवे कर्मचारियों द्वारा दंगा

8004. **डा० हरि प्रसाद शर्मा**
श्री शंकर दयाल सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 1973 को दानापुर (पटना) में हुई पूर्व जोन रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक में, जिसमें वे भाषण कर रहे थे, कुछ श्रेणी के आन्दोलनकारी रेलवे कर्मचारियों ने पत्थर फेंके थे ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है और इसमें कितने व्यक्ति घायल हुए थे; और

(ग) आन्दोलनकारी कर्मचारियों की क्या मांगें थीं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). 31 मार्च, 1973 को लगभग 11—20 बजे कुछ रेल कर्मचारी उस इमारत के बाहर इकट्ठे हो गये जहां क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति की बैठक हो रही थी और उन्होंने रेल मंत्री से बाहर आने और भाषण करने की मांग के अलावा नारे लगाना शुरू कर दिया ।

लगभग 14—15 बजे, जब बैटक समाप्त हो गयी, रेल मंत्री ने प्रदर्शनकारियों से मेगाफोन पर यह अनुरोध किया कि वे अपने कुछ प्रतिनिधि बातचीत करने के लिए भेजें । प्रदर्शनकारियों ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया और यह मांग रखी कि रेलमंत्री बाहर आयें और भाषण दें ।

जब उनका व्यवहार उद्दंडतापूर्ण हो गया तो पुलिस ने बैटक में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए रास्ता बनाने की कोशिश की । इस पर भीड़ हिंसा पर उतारू हो गयी और उहोंने पत्थर आदि फेंके । जिसके फलस्वरूप 7 व्यक्तियों को चोटें आयीं जिनमें दो विधायक और एक संसद सदस्य भी थे ।

(ग) इस संबंध में 17-4-1973 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न 7247 के उत्तर की ओर आपका ध्यान दिलाया जाता है ।

जापानी फर्म द्वारा ड्रिलिंग प्लेटफार्म की डिलीवरी

8005. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जापानी फर्म मित्सु बिसी को जिस ड्रिलिंग प्लेटफार्म के लिए आर्डर दिया गया था उसकी डिलीवरी वस्तुत: कब तक कर दी जायगी तथा यह बम्बई समुद्र में कब तक पहुंच जायगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : 31-3-1973 को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को प्लेटफार्म सौंपा गया था । यह अब भारत पहुंचने के लिए रास्ते पर है तथा इसके मई, 1973 के द्वितीयार्ध में बम्बई के तट-दूर व्यधन क्षेत्र में पहुंचने की आशा है ।

आसाम और गुजरात में प्राकृतिक गैस का प्रयोग

8006. **श्री समर गुह** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के तेल क्षेत्रों और गुजरात में प्राकृतिक गैस निरंतर डालने से नष्ट होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्राकृतिक गैस का प्रयोग बिजली पैदा करने में करने हेतु जैसे कि बहुत से देशों में किया जा रहा है, उनका मंत्रालय सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय के साथ किसी प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर रहा था; और

(ग) क्या इस प्राकृतिक गैस का प्रयोग अन्य रसायन उपोत्पाद बनाने के लिये किया जा सकता है, और यदि हां, तो क्या सरकार के पास इस संबंध में कोई परियोजना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) प्राकृतिक गैस का कुछ भाग, जिसका अधिकतर कम दबाव होता है, उड़ा दी जाती है।

(ख) गुजरात तथा आसाम राज्य विद्युत् बोर्डों द्वारा बिजली उत्पन्न करने के लिये प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ग) गुजरात में बड़ौदा तथा आसाम में नामरूप नामक स्थानों पर भी उर्वरकों के उत्पादन के लिये संभरण सामग्री के रूप में प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। गुजरात में कलोल नामक स्थान पर निर्माणाधीन संयंत्र में उर्वरकों के उत्पादन के लिये भी गैस की कुछ मात्रा के लिए ठेका किया गया है। उपलब्ध सम्मिलित गैस पैट्रो-रसायन का निर्माण करने वाले व्यवाहर्य यूनिट के लिये पर्याप्त नहीं है।

कच्चे माल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय तेल निगम का मनाली (मद्रास) स्थित मैसर्स नागपाल अम्बादी पैट्रोलियम-केमिकल रिफाइनिंग लिमिटेड के साथ समझौता

8007. **श्री बी० मायावन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने मनाली, मद्रास स्थित मैसर्स नागपाल अम्बादी पैट्रोलियम-कैमिकल रिफाइनिंग लिमिटेड के साथ इस कम्पनी की कच्चे माल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विधिवत् समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) भारतीय तेल निगम ने मैसर्स नागपाल अम्बादी पैट्रो-केमिकल रिफाइनिंग लि० के साथ कोई औपचारिक समझौता नहीं किया है। तथापि भारतीय तल निगम उनकी देशीय संभरण सामग्री की आवश्यकताएं मद्रास रिफाइनरीज लि० से पूरी करता रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग द्वारा की गई प्रगति

8008. **श्री फतह सिंह गायकवाड़** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग ने दोनों देशों में बहने वाली नदियों का संयुक्त सर्वेक्षण करने के संबंध में कितनी प्रगति की है ; और

(ख) सरकार ने सर्वेक्षण तथा इससे संबंधित अन्य कार्यों में तेजी लाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) :(क)और (ख)फरक्का से गोराए निकास तक गंगा के संयुक्त सर्वेक्षण के कार्य में अच्छी प्रगति हुई है। फोटोग्राफी तथा जल-विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है। संयुक्त भूमि सर्वेक्षण कार्य अब प्रगति पर है और मई, 1973 तक उसके पूर्ण होने की संभावना है।

पूर्वोत्तर रेलवे जोन के संसद् सदस्यों द्वारा सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के बीच सीधा रेल सम्पर्क स्थापित करने की मांग

8009. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्री द्वारा मुजफ्फरपुर में आयोजित पूर्वोत्तर रेलवे जोन के संसद् सदस्यों की हाल की बैठक में सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के बीच सीधा रेल सम्पर्क स्थापित करने के लिए कोई मांग की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के बीच सीधे रेल सम्पर्क के लिए अभ्यावेदन मिले हैं।

(ख) प्रत्यक्षत: इस सीधी रेलवे लाइन के लिए यातायात अथवा वित्तीय दृष्टियों से कोई औचित्य दिखायी नहीं देता। बाराबंकी समस्तीपुर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की संयुक्त परियोजना के एक भाग के रूप में समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर मीटर लाइन खण्ड को पहले ही बड़ी लाइन में बदला जा रहा है। मुजफ्फरपुर-रक्सौल अथवा समस्तीपुर–दरभंगा/रक्सौल मीटर लाइन खण्डों को बड़ी लाइन में बदलने के प्रस्तावों पर अलग से विचार हो रहा है। आमान-परिवर्तन की परियोजना के सम्बन्ध में निर्णय हो जाने पर ही इस सम्पर्क के बारे में विचार किया जा सकता है।

पश्चिम बंगाल में बाढ़ संरक्षण परियोजनाएं

8010. **श्री गदाधर साहा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय परिव्यय से कौन-कौन सी बाढ़ संरक्षण परियोजनाएं शुरू की गईं।

(ख) इसी अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार से बाढ़ नियंत्रण उपायों संबंधी कौन-कौन सी और किस प्रकार की योजनाएं प्राप्त हुई जिन्हें केन्द्र द्वारा मंजूरी दे दी गई है ; और

(ग) पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय परिव्यय से मंजूर की गई योजनाओं के अंतर्गत इस अवधि के दौरान कितने बाढ़ बांधों और ड्रेनेज चेनलों का निर्माण किया गया और इन पर कुल कितना खर्च हुआ और इससे कितना क्षेत्र लाभान्वित हुआ ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) बाढ़ नियंत्रण को राज्य क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है जिसके लिए वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है जो कि किसी विशेष स्कीम या विकास-शीर्ष से सम्बद्ध नहीं होती है। बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र में कोई भी केन्द्रीय या केन्द्र पोषित स्कीम नहीं है। बहरहाल,

भारत सरकार ने निम्नलिखित प्राथमिकता प्राप्त बाढ़ नियंत्रण स्कीमों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को चतुर्थ योजना के अंतिम दो वर्षों में 11 करोड़ रुपये की उपरिसीमा के साथ विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करना स्वीकार कर लिया है :—

स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)	पूर्ण होने पर लाभान्वित होने वाले क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)
1. महानंदा तटबंध स्कीम . . .	4.20	0.06
2. निम्नतर (लोअर) दामोदर बेसिन में सुधार .	40.00	2.02
3. दुब्दा बेसिन जल निकास स्कीम .	3.50	0.14
4. पूर्वी मोग्राहाट जल निकास स्कीम . .	2.96	0.21
पश्चिमी मोग्राहाट जल निकास स्कीम . .	1.50	0.23
5. कराला व्यपवर्तन स्कीम . . .	1.50	0.02
कुल . .	53.66	3.40

उपरोक्त स्कीमों के लिए राज्य सरकार को 1972-73 वर्ष के दौरान 3 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई थी। इन स्कीमों पर प्रगति हो रही है और इनसे अभी लाभ प्राप्त होने शेष हैं।

(ख) वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार 25 लाख रुपये से कम लागत वाली बाढ़ नियंत्रण स्कीमें राज्य तकनीकी सलाहकार समिति और राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की सिफारिश पर राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अनुमोदित की जाती हैं। 25 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के मध्य लागत वाली स्कीमें उपचारात् आधार पर केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग द्वारा जांच करने के उपरांत योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। 1 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली स्कीमों को कार्यान्वयन के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदिन किए जाने से पूर्व उनकी केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में विस्तृत जांच की जाती है और योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा उन पर विचार किया जाता है। गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल सरकार से केन्द्र द्वारा अनुमोदनार्थ प्राप्त 25 लाख रुपये प्रति स्कीम से अधिक लागत वाली बाढ़ नियंत्रण स्कीमों का विवरण संलग्न किया जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4866/73।]

मुर्शिदाबाद-बीरभनी सीमावर्ती क्षेत्र पर "बसौरा बिल" की ड्रेनेज चेनल परियोजना

8011. श्री गदाधर साहा : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुर्शिदाबाद-बीरभनी सीमावर्ती क्षेत्र पर "बसौरा बिल" ड्रेनेज चेनल परियोजना को उन बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में शामिल कर लिया गया है जिनकी मंजूरी दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर अब तक कितनी प्रगति हुई है ? और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) "बसीरा बिल" जल-निकास परियोजना को पश्चिम बंगाल की चतुर्थ योजना के बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र की अनुमोदित स्कीमों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार, जल निकास स्कीमों को योजना में सम्मिलित करने के लिए राज्य के बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा उनकी जांच तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका अनुमोदन किया जाना होता है। "बसीरा बिल" स्कीम अभी तक पश्चिम बंगाल राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की तकनीकी सलाहकार समिति के विचारार्थ प्रस्तुत नहीं की गई है।

उत्तर रेलवे की कार्मिक शाखाओं में कार्य कर रहे अर्हता प्राप्त तकनीकी अधिकारी

8012. **श्री लालजी भाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे की कार्मिक शाखाओं में अर्हता प्राप्त कुछ तकनीकी अधिकारी गत कई वर्षों से काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस नीति से अन्य कार्मिक अधिकारियों की भावी पदोन्नति पर प्रभाव पड़ रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) अच्छे कार्मिक प्रबन्ध के लिए कार्य-सम्बन्धी तकनीकियों का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि व्यक्ति प्रबन्ध में कार्मिक कार्य का अनुभव एक गुण है। अतः कार्मिक शाखा में जिसकी कि अपनी कोई अलग विधिवत गठित सेवा नहीं है, तकनीकी अधिकारियों को गैर-तकनीकी अधिकारियों के साथ उपयुक्त अनुपात में रखा जाता है।

(ग) जी नहीं। कार्मिक शाखा में राजपत्रित पदों पर पदोन्नति समग्र वरिष्ठता और गुण-दोष के आधार पर दी जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में चोरी-छिपे कोयला ले जाने वाले गिरोह का पता लगाना

8013. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में हाल में हजारों टन कोयला चोरी-छिपे ले जाने वाले एक गिरोह का जिसमें रेलवे को लगभग एक करोड़ रुपये की हानि अन्तर्ग्रस्त है, पता लगाया गया है,

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस बारे में कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) और (ख) 1-4-73 और 5-4-73 को सोन नगर स्टेशन पर पूर्व रेलवे की सतर्कता संगठन द्वारा अचानक जांच करने पर यह

पाया गया कि 23 माल डिब्बों में बुक की गयी माता से अधिक कोयला लादा गया था। प्रति माल डिब्बा डिब्बे में 0.8 मीटरिक टन से 12.7 मीटरिक टन के बीच अधिक लदान हुआ था। बुक न किये गये अधिक कोयले का भाड़ा लगभग 10,000 रुपये आता है। जांच से यह भी पता चला कि कोयला "फुटकर" (माल डिब्बा भार से भिन्न) के रूप में बुक किया गया था जो कि रेल प्रशासन द्वारा अनुमान कोटा से अधिक था। इसके कारण रेलों को 1 करोड़ रुपये की हानि होने की कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) आगे जांच करने के लिए पटना की विशेष पुलिस स्थापना ने इस मामले से सम्बन्धित रिकार्डों को अपने कब्जे में कर लिया है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सोन नगर के यार्ड मास्टर और सहायक माल बाबू को मुअत्तल कर दिया गया है। गंतव्य स्टेशनों को माल डिब्बों में लादे गये बुक न हुये कोयले की माता के बारे में सूचित कर दिया गया है ताकि सुपुर्दगी के समय अवप्रभारों की वसूली की जा सके। निवारक उपाय के रूप में इस तरह की अनियमित बुकिंग को रोकने के लिये सतर्कता को सुदृढ़ कर दिया गया है।

1968 की आम हड़ताल में भाग लेने वाले उत्तर रेलवे के कर्मचारी

8014. **श्री लालजीभाई परमार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के मुख्यालय डिवीज़न में ऐसे कुल कितने रेलवे कर्मचारी हैं, जिनकी सेवायें 1968 की आम हड़ताल में भाग लेने के कारण समाप्त कर दी गई थी, और ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें कार्य पर वापस ले लिया गया है;

(ख) कार्य पर वापस ले लिये जाने वाले इनमें से कितने कर्मचारियों को उस अवधि के लिए इस बीच मंजूरी दे दी गई है, जब वे बे-रोजगार थे; और

(ग) भाग (क) में उल्लिखित इन सभी व्यक्तियों को कार्य पर वापस न ले लेने के क्या कारण हैं और जिन कर्मचारियों को कार्य पर वापस ले लिया गया है उन्हें बकाया राशि की अदायगी न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) तेरह।

(ख) किसी को नहीं।

(ग) इन कर्मचारियों को सितम्बर, 1968 की हड़ताल में हिस्सा लेने वाले कर्मचारियों से सम्बन्धित आदेशों के उदारीकरण के फलस्वरूप काम पर वापिस लिया गया था। जिस अवधि में ये कर्मचारी सेवा से बाहर थे, उसके लिए उन्हें भुगतान करने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री आर० बी० लाल की अध्यक्षता में एक-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन

8015. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री आर० बी० लाल की अध्यक्षता में एक-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की बहुत सी सिफारिशों, जो उनके मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं, अभी तक क्रियान्वित नहीं की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) और (ख) क्षतिपूर्ति दावों से सम्बन्धित एक-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत अधिकांश सिफारिशों को या तो लागू कर दिया गया है या उनकी प्रकृति के कारण उनका लागू किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। वाणिज्य विभाग में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने से सम्बन्धित कुछ सिफारिशों को, वित्तीय फलितार्थों को ध्यान में रखते हुये, चरणबद्ध रूप में लागू किया जा रहा है।

दक्षिण पूर्व रेलवे (विद्युतीकरण) में काम कर रहे कलकत्ता विद्युतीकरण परियोजना (रेलवे) के कर्मचारी

8016. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता विद्युतीकरण परियोजना (रेलवे) द्वारा भर्ती किये गये कई व्यक्ति इस समय दक्षिण पूर्व रेलवे (विद्युतीकरण) में काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों का पूर्वाधिकार (लीअन) किन्हीं चालू लाइनों में नहीं होता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रेल विद्युतीकरण में स्थानीय रूप से भर्ती किये गये कर्मचारियों का उन पदों पर प्रोफार्मा स्वत्व रखा जाता है जिनके लिए वे छानबीन के बाद उपयुक्त पाये जाते हैं, वशर्ते रिक्त स्थान उपलब्ध हों। इनमें से अधिकांश कर्मचारियों की छानबीन पहले की जा चुकी है और उन्हें चालू-लाइन रेलों पर लगाया जा चुका है। शेष कर्मचारियों में अधिकांश वे लोग हैं जो या तो पहले की छानबीन परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रहे हैं अथवा छानबीन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे हैं। जब तक वे छानबीन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं होते और उक्त समिति द्वारा चालू-लाइन पर पदों के लिए उपयुक्त नहीं पाये जाते, तब तक उन्हें चालू लाइन रेलों पर प्रोफार्मा स्वत्व के योग्य नहीं समझा जायेगा।

बोगईगांव में पेट्रो-रसायन समूह की स्थापना

8017. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार बोगईगांव में पैट्रो-रसायन समूह परियोजना की स्थापना कब करेगी;

(ख) क्या बोंगईगांव पेट्रो-रसायन परियोजना की परियोजना रिपोर्ट तैयार है और यदि नहीं तो यह कब तक तैयार हो जायेगी; और

(ग) क्या सरकार का विचार कछार जिले में तेल क्षेत्रों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भू-भौतिकीय और भू-सर्वेक्षण कराने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) :(क) और (ख) सरकार को संभाव्य रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और निवेश का अनुमोदन कर दिया गया है। परियोजना

का प्रारंभिक कार्य हाथ में है और इस परियोजना के पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मुकम्मल हो जाने की आशा है।

(ग) कछार जिले में किये जा रहे भूभौतिकीय तथा भगर्भीय सर्वेक्षणों में प्रगति हो रही है।

अवकाश/ग्रीष्म यातायात संभालने के लिए कार्यक्रम

8018. **श्री बसन्त साठे :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर अवकाश/ग्रीष्म यातायात सम्भालने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) छुट्टी/ग्रीष्मावकाश के यातायात को संभालने के लिए मद्रास-नई दिल्ली, बम्बई सेन्ट्रल-नई दिल्ली–जम्मू तवी, बम्बई वी० टी०–एरणाकुलम, हवड़ा–मद्रास, बम्बई वी० टी०–वाराणसी और अन्य महत्वपूर्ण मार्गों पर लगभग 500 विशेष गाड़ियां चलायी जायेंगी। इसके अलावा, इंजनों की कर्षण क्षमता के अनुरूप विभिन्न गाड़ियों के डिब्बों की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था की गई है।

पश्चिम रेलवे के साबरमती रेलवे स्टेशन के बुकिंग कार्यालय से कैश की चोरी

8019. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम रेलवे के साबरमती रेलवे स्टेशन के बुकिंग कार्यालय से हाल में 4,000/- रुपये से अधिक की चोरी हुई जबकि हैड बुकिंग क्लर्क कैश भेजने के लिए नोटों के बंडल बनाने में व्यस्त था;

(ख) चोरी गये 4,000/– रुपयों की हानि के लिए किस को उत्तरदायी ठहराया गया है और इसके लिए किस व्यक्ति को जिम्मेदार पाया गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान साबरमती रेलवे स्टेशन का बुकिंग कार्यालय डिवीजनल सुपरिटेंडेंट, डिवीजनल कमर्शल सुपरिटेंडेंट, डिवीजनल लखा अधिकारी, डी० सी० एम० आई०, सी० एम० एल० और लेखा निरीक्षकों द्वारा कितनी-कितनी बार निरीक्षण किया गया था और उन्होंने साबरमती बुकिंग कार्यालय में कार्य की असुरक्षित स्थिति के बारे में कितनी बार उल्लेख किया ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) जी हां। 23-11-1972 को रेलवे बुकिंग कार्यालय, साबरमती से 4123 रुपये चुरा लिये गये थे।

(ख) सहायक अधिकारियों द्वारा की गई संयुक्त जांच के बाद कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निश्चित कर दिया गया है। दो रेल कर्मचारियों अर्थात् वाई० ए० मल्होत्रा, स्थानापन्न प्रधान बुकिंग क्लर्क, साबरमती और श्री पी० पी० परमार, सहायक कोचिंग क्लर्क को उत्तरदायी ठहराया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई किये जाने की सिफारिश की गई है।

(ग) बुकिंग कार्यालय का 1970 में सहायक वाणिज्यिक अधीक्षक, बड़ौदा द्वारा दो बार और 1972 में मण्डल अधीक्षक, बड़ौदा द्वारा एक बार निरीक्षण किया गया था। लेखा निरीक्षक ने भी 1972 में दो बार साबरमती स्टेशन का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के इन सभी अवसरों पर किसी ने भी साबरमती के बुकिंग कार्यालय की असुरक्षित स्थिति का उल्लेख नहीं किया।

मद्रास, ओलावाक्कोड और मदुरै के आरक्षण कार्यालय में स्थान की कमी

8020. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास सेन्ट्रल के आरक्षण कार्यालय में कुल कितने टेलीप्रिंटर सर्किट स्थापित किये गये हैं; और

(ख) टेलीप्रिंटरों पर काम करने वाले कर्मचारी दक्षतापूर्वक काम करें इसके लिए उन्हें पर्याप्त स्थान और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) चार।

(ख) मद्रास सेन्ट्रल के आरक्षण कार्यालय में वर्तमान स्थान को उपयुक्त हम ने रूप से पुनः व्यवस्थित किया गया है ताकि टेलीप्रिंटरों पर कुशलतापूर्वक काम करने के लिए स्थान की व्यवस्था हो सके। मद्रास सेन्ट्रल स्टेशन की इमारत में प्रस्तावित फेर–बदल का काम पूरा हो जाने पर वर्तमान आरक्षण कार्यालय और टेलीप्रिंटरों को अधिक खुले स्थान पर ले जाया जायेगा।

भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकर को बढ़ाने से सम्बन्धित दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे

8021. **श्री दलीप सिंह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकर को बढ़ाने के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किये गये मुकदमों की कुल संख्या क्या है; और

(ख) इन मुकदमों में से कितने मुकदमों को निपटा दिया गया है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) 762

(ख) 4।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अन्न उपलब्ध न होने एवं पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से व्यक्तियों की मृत्यु होने के कारण महाराष्ट्र में कथित आन्दोलन

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं कृषि मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न-लिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"अन्न की सप्लाई उपलब्ध न होने एवं उत्तेजित भीड़ पर पुलिस द्वारा गोली चलायी जाने और उसके परिणामवस्रूप अनेक व्यक्तियों की मत्यु होने के कारण महाराष्ट्र के अनेक भागों में कथित आन्दोलन।"

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : महाराष्ट्र में लोगों द्वारा अन्य चीज़ों के साथ-साथ खाद्यान्नों की अतिरिक्त सप्लाई की मांग को लेकर किए जा रहे आन्दोलन के परिणामस्वरूप जिन दुखद घटनाओं की सूचना मिली है, उनसे माननीय सदस्यों के साथ-साथ मैं भी बहुत चिन्तित हूं। तथ्य यह है कि इन दुर्घटनाओं में कुछ व्यक्तियों की जानें गई हैं। इससे स्थिति की गम्भीरता का पता चलता है। राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

2. मैं सदन के सम्मुख मौजूदा विषम खाद्य स्थिति और सभी कमी वाले तथा सूखे से प्रभावित राज्यों की केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध स्टाक से खाद्यान्न सम्बन्धी ज़रूरतें पूरी करने के लिए किए गए उपायों का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

3. महाराष्ट्र राज्य में चल रही सूखे की गम्भीर स्थिति को देखते हुए और अत्यधिक संकटपूर्ण स्थिति से निजात दिलाने के लिए केन्द्रीय स्टाक से खाद्यान्नों की सप्लाई अत्यधिक बढ़ा दी गई है; वर्ष 1972 के दौरान 13 लाख मीटरी टन से कुछ अधिक खाद्यान्न महाराष्ट्र को दिए गए थे जबकि 1971 के दौरान 8.4 लाख मी० टन खाद्यान्न दिए गए थे। चालू वर्ष के पहले तीन महीनों के दौरान राज्य सरकार को लगभग 5 लाख मीटरी टन खाद्यान्न सप्लाई किए गए थे। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता और कमी तथा सूख से प्रभावित सभी राज्यों की आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य सरकारों को खाद्यान्नों का आवंटन प्रत्येक मास किया जाता है। देश में पिछले वर्ष अपर्याप्त और अनियमित वर्षा और फलस्वरूप व्यापक सूखा पड़ने से खाद्य सप्लाई की विषम स्थिति के कारण महाराष्ट्र सरकार तथा अन्य कई राज्यों की समूची मांग को पूरा करना सम्भव नहीं हुआ है लेकिन राज्य सरकारों की मांग का पर्याप्त भाग पूरा करने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किया गया है।

4. गेहूं की अधिप्राप्ति उत्साहवर्धक ढंग से शरू हुई है, पिछले वर्ष यह अधिप्राप्ति 9,770 मीटरी टन थी जबकि चाल वर्ष की अधिप्राप्ति 1,50,000 मीटरी टन से थोड़ी अधिक हुई है। इस दर पर हमें विश्वास है कि वर्ष के दौरान गेहूं की अधिप्राप्ति 80 लाख मीटरी टन से भी अधिक हो सकती है। गेहूं की उत्साहवर्धक-अधिप्राप्ति और विदेशों से आयातित खाद्यान्नों की आमद को देखते हुए सरकार का मई मास के लिए गेहूं का आवंटन बढ़ाने का इरादा है और विशेषतया सूखे से प्रभावित राज्यों के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि करने का विचार है। प्रस्तावित अधिक आवंटन से राज्य सरकारें सरकारी वितरण प्रणाली से खाद्यान्नों के वितरण की मात्रा बढ़ाने में समर्थ होंगी और इससे लोगों की कठिनाइयां उस हद तक कम हो सकती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए हमने अप्रैल, 1973 मास में ही पंजाब से महाराष्ट्र को अधिप्राप्त गेहूं भेजने के लिए 12 स्पेशल गाड़ियों का प्रबन्ध किया है। उनमें से पहली गाड़ी आज जा रही है। अगले मास के दौरान अधिप्राप्त स्टाक से उत्तर भारत से देश के विभिन्न भागों विशेषतया कमी और सूखे से प्रभावित राज्यों को स्पैशल गाड़ियों से लगभग 14 से 15 लाख मीटरी टन गेहूं भेजने के प्रबन्ध किए गए हैं।

5. मौजदा कठिन परिस्थिति में महाराष्ट्र और अन्य सभी राज्यों ने अत्यधिक विकट स्थिति का समाधान करने में प्रशंसनीय कार्य किया है। खाद्य स्थिति का अत्यधिक कठिन दौर प्रायः समाप्त हो गया है और मई से आगे विशेषतया सूखे से प्रभावित राज्यों की राज्य सरकारों की उचित ज़रूरतों को पूरा करना सम्भव होगा।

6. इस वर्ष हमने गेहूं का थोक व्यापार लेकर गेहूं के विपणन में प्रमुख सुधार लाने के लिए एक नीति सम्बन्धी निर्णय लिया है। यह दिखायी देता है कि कुछ लोग, जोकि थोक व्यापार को लेने के विरुद्ध हैं, हमारे विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और स्थिति का नाजायज़ फायदा उठा रहे हैं। देश ने विषम खाद्य स्थिति का उत्साह एवं विश्वास के साथ मुकाबला किया है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हम सभी कठिनाइयों पर काबू पा लेंगे। मैं माननीय सदस्यों और जनता, भले ही वे किसी भी राजनैतिक दल से सम्बन्धित क्यों न हों, से अपील करता हूं कि वे इस कठिन स्थिति का सामना करने में हमें अपना पूर्ण सहयोग एवं समर्थन प्रदान करें।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महाराष्ट्र में अकाल की बड़ी विकट स्थिति है। महाराष्ट्र में लगातार तीन वर्षों तक सूखा पड़ने से खरीफ की फसल केवल 40 प्रतिशत रह गई है और रबी की फसल इस वर्ष 70 प्रतिशत कम है। महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया है कि चारे और पानी की कमी के कारण महाराष्ट्र के 29 प्रतिशत पशु मर चुके हैं। खाद्यान्न और अन्य सुविधाओं की सहायता देने में केन्द्रीय सरकार पूर्ण रूप से असफल रही है।

महाराष्ट्र में बड़ा गम्भीर आन्दोलन हुआ है। महाराष्ट्र के केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं अपितु शहरी क्षेत्रों में भी बहुत गम्भीर स्थिति है। कई स्थानों पर तो पुलिस ने अश्रुगैस छोड़ी है लोगों पर लाठी चलाई है, गोली चलाई है। लोगों ने दृढ़ निश्चय किया है कि भूख से मरने के बजाए गोली खा कर मरना कही श्रेयस्कर है। यह स्थिति सरकार की असफलता के कारण हुई है और इस गम्भीर स्थिति पर सरकार को विचार करना चाहिए।

हम देश की प्रगति के मार्ग में बाधक निहित स्वार्थों को समाप्त करना चाहते हैं और देश में शान्ति से परिवर्तन लाना चाहते हैं। किन्तु देश में लोगों को भूख से नहीं मरने देना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के एक अज्ञात प्रवक्ता के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने उस समय, जब गेहूं खुले बाजार में उपलब्ध था, केन्द्र से 2 1/2 लाख मीटरिक टन गेहूं मांगा था किन्तु केन्द्र ने केवल 1.60 लाख मीटरिक टन ही दिया। केन्द्र सरकार की इस असफलता के परिणाम-स्वरूप ही सारे महाराष्ट्र में आन्दोलन उठ खड़ा हुआ है। बम्बई में भी पर्याप्त मात्रा में गेहूं उपलब्ध नहीं है। इससे लोगों में बहुत असन्तोष और रोष व्याप्त है जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

खाद्यान्न के थोक व्यापार का सरकार ने जो सरकारीकरण किया है उसका कठोरता और प्रभावी ढंग से पालन किया जाना चाहिए किन्तु सरकार इसे बहुत नरमी से ले रही है। इस सम्बन्ध में सब से पहली कठिनाई वसूली की है। दूसरे इससे उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के लिए मूल्यों में किसी प्रकार की स्थिरता नहीं आई है। तीसरे इससे जनता के पिछड़े वर्गों को किसी प्रकार का संरक्षण नहीं मिला है और ना ही खाद्यान्न के व्यापार में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन ही आया है। इन उद्देश्यों को पूरा किया जाना चाहिए। सरकार की चापलूसी-पन की नीति के कारण वितरण व्यवस्था बहुत खराब है जिसके कारण राशन की दुकानों पर

पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो रहा है। विपणन और मूल्य सम्बन्धी दोहरी व्यवस्था के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है और चोरबाजारी करने वाले उपभोक्ताओं को हानि पहुंचा रहे हैं। और आपके सम्पूर्ण सरकारीकरण सम्बन्धी प्रयोग को विकीर्ण कर रहे हैं। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली बुरी तरह से असफल रही है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय खाद्यान्न का पर्याप्त सुरक्षित भण्डार रखेंगे और क्या इस सुरक्षित भण्डार के आधार पर वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उचित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था बनाई जा सके ?

जब तक ऐसा नहीं होता और महाराष्ट्र को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध नहीं की जाती तब तक आप महाराष्ट्र में आन्दोलन को नहीं रोक सकोगे। खाद्य-समस्या को आप कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं मान सकते अन्यथा अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाली महाराष्ट्र की जनता के निश्चय का गोलियों और शस्त्रों से दमन नहीं कर सकते।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : महाराष्ट्र में विशेष कठिनाई यह है कि वहां लगातार 3 वर्ष से सूखा पड़ रहा है। इससे रबी और खरीफ की दोनों फसलों पर प्रभाव पड़ा है। इससे महाराष्ट्र में लोगों में रोष उत्पन्न हुआ है किन्तु इस आन्दोलन में एक राजनीतिक दल का भी हाथ रहा है। इन घटनाओं से वहां हिंसा और लूट मार हुई। फिर भी वहां सूखा राहत कार्य में 35 लाख व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। सूखे से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए राज्य सरकार भी हर प्रकार का कार्य कर रही है। जहां तक देश में खाद्य की स्थिति का सम्बन्ध है यह पहले से कहीं बहुत अच्छी है। गहन वसूली अभियान आरम्भ हो गया है। हमारा विचार अधिक खाद्यान्न वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को खाद्यान्न भेजने का है। और सामान्य परिस्थिति में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। इससे उत्पादकों और जनता के वर्ग के हितों की सुरक्षा होगी।

जहां तक सुरक्षित भण्डार बनाने का मामला है यह केवल उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों से ही हो सकता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और इसी से देश की रक्षा हो सकेगी।

सरकारी करण की पद्धति में खामियों का उल्लेख किया गया है। हम इस पद्धति को प्रभावी और सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेंगे।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : The Vice-Chairman of Kamti Cantonment Board in his speech_ stated that food grain was in the ration shops but it was not being given to the people. The food grains in the ration shops should be taken over and distributed to the people. The Government of Maharashtra is adopting a definite strategy of creating scarcity condition in the State and they want the policy of foodgrain take-over of the Centre. The main objective of State Government is to prove that there is nothing surplus in the state by getting wheat and rice from the Centre. Secondly there is conspiracy between the rich people the bureaucrats and the hoarders to see that the policy of take-over of wholesale trade of foodgrains is failed and they want to defeat this objective of the Government.

Mr. Speaker : Now please ask your question.

श्री एस० एम० बनर्जी : समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक लोकप्रिय समिति बनाई जाए जो सरकार के खाद्यान्न के थोक व्यापार के सरकारीकरण कार्य में सहायता दे। अन्यथा नौकरशाह और जमाखोर सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध साजिश करेंगे और इस साजिश में मुख्य मंत्री भी शामिल हो जायेंगे।

अतः क्या सरकार को पता है कि खाद्यान्न के सरकारीकरण के विरुद्ध झूठा प्रचार कर रहे हैं। क्या इस झूठे प्रचार का खण्डन करने के लिए कोई व्यवस्था की गई है। दूसरे क्या नौकरशाहों, और

जमाखोरों के बीच कोई ऐसी साजिश हुई है जिससे सरकार के इस उद्देश्य को विफल किया जाए ? क्या इसका मुकाबला करने के लिए कोई व्यवस्था की गई है ? आवश्यकता से फालतू सारे खाद्यान्न को अपने हाथों में लिया जाना चाहिए ।

इस घटना की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए और मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा दिया जाना चाहिए । महाराष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 12 औंस राशन दिया जाए । नौकरशाहों और जमाखोरों को समाप्त किया जाए ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : देश की कठिन खाद्य स्थिति को दृष्टि में रखते हुए 12 किलो प्रतिव्यक्ति प्रतिमास राशन की मांग करना उचित नहीं है । जहां तक लोकप्रिय समितियों का सम्बन्ध है मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं । हमारा विचार सब राज्य सरकारों से यह अनुरोध करने का है कि वे ऐसी समितियां बनाएं जो सरकारीकरण में विश्वास करती हों और उसे सफल बनाने में विश्वास रखती हैं कि इस योजना को सुनिश्चित किया जाए ।

हमने जो योजना बनाई है वह विपण्य फालतू पर निर्भर करती है । किन्तु जिस स्थिति में हम कार्य कर रहे हैं उसमें यह अत्यन्त व्यवहार्य और उचित योजना है । किन्तु हम किसी भी समय स्थिति पर पुर्नविचार कर सकते हैं ।

जहां तक महाराष्ट्र सरकार का सम्बन्ध है इस राज्य ने सरकार के प्रत्येक कदम का समर्थन किया है । देश में सब से पहले महाराष्ट्र ने ज्वार और धान के निजी व्यापार पर रोक लगाई थी । अब तो गेहूं के निजी व्यापार पर भी रोक लगा दी है । फिर भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस योजना को विफल करना चाहते हैं । किन्तु हमें सतर्क रह कर उन्हें विफल करना है ।

Shri Bhibuti Mishra (Motihari) : It is good that special trains carrying foodgrains to Maharashtra have been started. Foodgrains should be sent to all the scarcity areas in the country. Central Government should give instructions to the state Governments not to resort to firing on the agitators .

There are reports that situation of foodgrains in Poona is deteriorating inspite of more procurement of food grains as compared to the previous years. Fair prices should be given to the farmers so that they may dispose of their Jowar product to the Government.

There is no shortage of food-grains but the hoarders and black-markeeters have created this scarcity condition. Why do not Government arrest these elements when Government is aware of the fact that godowns of these private dealers are full of foodgrains ? It seems management is faulty and Government should look into it.

Government should ban those political parties which have opposed to the food distribution system of the Government and are agitating against the food policy of the Government.

In view of the false scarcity of edible oils created by the Hoarders Government should take over distribution system of edible oils on war footings.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : देश के किसी भी भाग में लोगों का शोषण करने वाले जमाखोरों और मुनाफाखारों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायगी । महाराष्ट्र में अनिवार्य उपग्रहण प्रणाली है और महाराष्ट्र सरकार इस को गम्भीरता से लागू कर रही है । सरकार कठिन परिस्थिति में होते हुए भी कर लगा रही है और उत्पादकों से वसूल कर रही है, इसमें यदि कुछ त्रुटियां हैं तो मैं महाराष्ट्र सरकार को इस सम्बन्ध में विशेष सलाह दूंगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : It is regretable that Government should resort to firing on the people agitating for want of foodgrain in Maharashtra. I pay homage to those who have been killed by the police firing there. It is the result of their scarifice that special trains carrying foodgrains are going to Maharashtra from Delhi. Government should arrange for more trains to carry foodgrains there.

The demand in regard to wheat of Maharashtra has not been met fully by the Centre. Half of their requirement has been met. The Spokesman of Maharashtra Government has said that the taking-over of wheat trade has changed the situation and even the 2·5 lakhs tonnes would not have been sufficient. I would like to know why their demand in full has not been met.

The Government is not paying remunerative price to the farmers although it is prepared to import wheat from foreign countries by paying gold. The hon. Minister in a television interview has admitted that the demand of farmers for higher price is just. The Government should encourage the farmers by paying higher price so that they may bring their produce in the market.

In Bombay per-capita ration which is being supplied through Fair Price Shops is too less. The price of the course grains in the market is too high and people are not in a position to purchase them. I would like to know whether Government contemplate to introduce total rationing in Bombay ? I want to know whether State Government will supply foodgrains to the retail shopkeepers or they will directly purchase it from the farmers. If the latter course is to be adopted then what will be the basis for it. What will be the position of the retail shopkeeper.

Two or three companies of Bombay have purchased wheat in auction in Punjab and they have sold that wheat to Maharashtra Government at higher price. And the State Government is selling that wheat to consumers at 148 rupees per quintal. On the one hand Government is buying to do away with the profiteers and on the other hand they are encouraging such companies. Shri Piloo Mody has said that some Ministers had interest in this deal. This matter should be enquired.

I also want to know the ground on which the hon. Minister has said that most difficult phase of the food situation is practically over. In this connection I may say that if Government fail to increase the procurement of wheat in next fifteen to twenty days the people are not going to be satisfied. Distribution system should also be strengthened. What will be the position of the country if the farmers started sowing grains or Commercial crops instead of wheat ? More wheat should be supplied to scarcity areas. I will suggest that renumerative price should be paid to farmers.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : गोली चलाने की घटनाओं से किसी को भी प्रसन्नता नहीं है। मरने वालों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। जहां तक अनाज की स्पैशल गाड़ियां भेजने का सम्बन्ध है गत वर्ष भी हमने ऐसा किया था और जब कभी भी आपात स्थिति उत्पन्न होती है ऐसा किया जाता है। अनाज की वसूली बड़े पैमाने पर की जा रही है। अभावग्रस्त क्षेत्रों को अनाज तुरन्त भेजा जा रहा है ताकि लोगों में विश्वास उत्पन्न किया जा सके। गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है और वसूली भी उत्साहजनक है। इससे खाद्य स्थिति हल करने में सहायता मिलेगी।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि अगले पन्द्रह बीस दिन में स्थिति और कठिन हो जायेगी। मैं अब भी अपनी बात पर दृढ़ हूं कि कठिन स्थिति खत्म हो गई है। हमारे स्थिति का सामना करने के लिए काफी भण्डार है। प्रतिदिन 30,000 से 40,000 टन गेहूं वसूल किया जा रहा है।

जहां तक वसूली की कीमत का सम्बन्ध है इस अवस्था में इस मामले पर विचार नहीं किया जा सकता। हम कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही करते हैं। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया है कि बुवाई से पूर्व ही मूल्य की घोषणा कर देनी चाहिए ताकि किसान को पता लग जाये कि उसे अपने उत्पाद का कितना मूल्य मिलना है, अब तो इस बात का निर्णय अर्थशास्त्रियों के परामर्श से अगले वर्ष ही किया जा सकता है।

जहां तक खुदरा व्यापारियों का सम्बन्ध है आगे चलकर हम इनका लाभ उठाना चाहते हैं। हम इनको सरकारी वितरण प्रणाली से सामान सप्लाई करेंगे।

हमारा यह प्रयास है कि दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई जैसे बड़े नगरों की मांग को पूरा किया जाये ; इस सम्बन्ध में आगामी कुछ दिनों में कार्यवाही की जायेगी।

जहां तक घटिया गेहूं का प्रश्न है मैंने इस बारे में समाचारपत्रों में पढ़ा है। हम इस बारे में महाराष्ट्र सरकार से जानकारी एकत्र कर रहे हैं। अतः इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता।

जहां तक महाराष्ट्र को सप्लाई किये जाने वाले अनाज की मात्रा का प्रश्न है इस बारे में राज्य सरकार से बातचीत करेंगे। परन्तु मैं इतना बताना चाहता हूं कि बंगाल, राजस्थान, गुजरात जहां अनाज की भारी कमी है, अनाज की सप्लाई बढ़ा दी गई है। हम उनकी उचित मांग को पूरा करने का प्रयास करेंगे।

श्री बसंत साठे (अकोला) : गत वर्ष यह कहा गया था कि देश में केवल 8 प्रतिशत अनाज की कमी है। यदि देश में अनाज की औसतन उपलब्धता 16 औंस लगाई जाए और उसमें से 8 प्रतिशत की कटौती कर दी जाये तो प्रति व्यक्ति लगभग 15 औंस अनाज मिलना चाहिए। परन्तु हमने देखा है कि बम्बई और नागपुर जैसे नगरों में प्रति व्यक्ति 3 औंस राशन ही दिया जा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी वितरण प्रणाली असफल हुई है। प्रश्न यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। गत तीन वर्षों से राजस्थान, महाराष्ट्र, मैसूर, गुजरात जैसे बड़े क्षेत्रों में सूखा पड़ा है। ऐसे समय में थोक व्यापारियों का कर्तव्य था कि वे सरकार की सहायता करते। परन्तु ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने स्थिति से लाभ उठाकर मुनाफा कमाने की बात ही सोची। माननीय मंत्री ने अपने अन्तिम पैराग्राफ में कहा है कि कुछ शक्ति जो थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध थी। हमारे विरुद्ध काम कर रही हैं और स्थिति का लाभ उठा रही है। ऐसी शक्तियां देश की गद्दार हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है। क्या मुनाफाखोरों और चोरबाजार करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या लोगों के प्रतिनिधियों को भी वितरण प्रणाली से सम्बन्धित किया जायेगा अथवा नहीं। इन्हीं प्रतिनिधियों को लोगों के पास जा कर उनको संतुष्ट करना है। वितरण सम्बन्धी निकायों के साथ लोगों के प्रतिनिधियों को सम्बन्धित किया जाना चाहिए ताकि वे अपने क्षेत्रों में वितरण को नियमित कर सकें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो स्थिति का सामना नहीं हो सकता और इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक लोगों के प्रतिनिधियों को वितरण प्रणाली से सम्बन्धित करने का प्रश्न है यह एक अच्छा सुझाव है हम राज्य सरकारों को जो पत्र भेजेंगे उस इसमें बात का विशेषरूप से उल्लेख कर देंगे। मैंने नागपुर में आन्दोलन का उल्लेख करते समय यह नहीं कहा था कि महाराष्ट्र में खाद्य स्थिति कठिन नहीं है।

1970-71 के वर्ष की तुलना में इस वर्ष आमतौर पर उत्पादन में आठ प्रतिशत की ही कमी है परन्तु सूखे की स्थिति, विभिन्न स्तरों पर असमान वितरण के कारण वास्तविक कठिनाई बहुत अधिक है। सरकार ने लम्बी अवधि उपाय के रूप में वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की ओर कार्यवाही की है।

जहां तक जमाखोरों का प्रश्न है अनेक राज्यों में जमाखोरों को गिरफ्तार किया गया है। मैंने पहले ही बताया है कि उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की गई है।

श्री पीलू मोदी : कल आपने कहा था कि आप मेडिकल कालेज के बारे में वक्तव्य देने के लिए मंत्री महोदय से कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इस समय मंत्री महोदय यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय पैट्रो-रसायन निगम लिमिटेड के कार्यकरण की समीक्षा तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) भारतीय पैट्रोरसायन निगम लिमिटेड के वर्ष 1971-72 सम्बन्धी कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) भारतीय पैट्रोरसायन निगम लिमिटेड का वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4859/73]

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
85वां और 86वां प्रतिवेदन

श्री सेझियान (कुम्भकोनम) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1970-71 के प्रतिवेदन, केन्द्रीय सरकार (डाक और तार) सम्बन्धी 85वां प्रतिवेदन।

(2) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(सिविल), 1970 तथा भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 के प्रतिवेदनों, केन्द्रीय सरकार (सिविल) सम्बन्धी 86वाँ प्रतिवेदन।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

COMMITTEE OF PUBLIC UNDERTAKINGS

28वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश और 36वां प्रतिवेदन

डा० कैलास (बम्बई दक्षिण) : मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :

(1) (एक) इण्डियन एयरलाईंस के सम्बन्ध में 28वां प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(2) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के सम्बन्ध में समिति के 16वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 36वां प्रतिवेदन।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

MATTER UNDER RULE 377

मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारी का माननीय सदस्य के साथ दुर्व्यवहार

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : On 13-4-73 I alongwith my colleagues was holding a peaceful demonstration on Gopalpur-Burda barrier when I was manhandled by D. S. P. Shri Brijendra Nath Singh I was dragged and thrown into the police truck. My 'kurta' was torn and I received several injuries. Thereafter I was taken to police station and confined to a room. Till mid-night I was not provided food. I requested for medical aid which was denied. Hence I was meted out inhuman treatment.

I therefore request you to refer this matter to Committee of Privileges.

Shri Atal Bihari Vajpayee : It is a very serious matter. The railway officers insulted the Lalji Bhai and you refer the matter to the railway minister when that was raised here. They gave quite false version of the case. I want to know who has the authority to decide the matter pertaining to M. Ps. ?

Mr. Speaker : A special procedure has been laid down for it. We will place the reply of the officers before the House on receipt of it from them and if you are not satisfied the matter will be referred to the Committee ?

श्री श्याम नन्दन मिश्र : क्या आप यह समझते हैं कि उनका उत्तर आने के पश्चात् माननीय सदस्य अपना विचार बदल देंगे। किस बात की प्रतीक्षा की जा रही है। उनका उत्तर शीघ्र प्राप्त करने हेतु कोई व्यवस्था है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको तुरन्त ऐसा करने का निदेश दूंगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The matter should not be closed on receipt of their reply. It should be decided over by the House.

Mr. Speaker : It will be placed before you .

Shri Phool Chand Verma : Yesterday also I gave notice for a privilege in this.

Mr. Speaker : I am sorry. It is not a question of privilege.

राजस्थान में सीमेंट की भारी कमी

Shri Shiv Nath Singh (Jhunjhunu) : There is an acute shortage of Cement in whole of the Country particulary in Rajasthan. The Rajasthan Government has been forced to introduce partial Control over it. One bag of cement is being sold at 25 rupees. I want to request the Government through you that some effective steps should be taken to meet the shortage. So that people may not be put to unduly hardship.

कोयले का उपलब्ध न होना

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : There is an acute shortage of coal in the country. The people are not getting coal even in the black market. It has been appeared in the 'Patriot' that coal is being sold at ten rupees per maund.

The Food Minister of U. P. has stated in the Assembly that coal is not availble in the state. The Government should pay attention towards this thing and should take some concrete steps to remove the shortage.

अध्यक्ष महोदय : श्री पीलू मोदी, अभी जानकारी मिली हैं कि श्री खाडिलकर पूना चले गए हैं। वह 26 को लौटेंगे तब तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी।

अनुदानों की मांगें, 1973-74

DEMANDS FOR GRANTS, 1973-74

विदेश मंत्रालय–(जारी)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा होगी तथा उनपर मतदान होगा। श्री हरि किशोर सिंह अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री हरि किशोर सिंह (पुपरी) : मैंने श्री पीलू मोदी और श्री फ्रैंक एंथनी के भाषणों को बड़े ध्यान से सुना है। मैं इस आरोप का खण्डन करता हूं कि सरकार के कुछ सदस्य अपनी गत राजनीतिक विचारधारा के कारण प्रधान मंत्री को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं तथा देश को रूस का अनुगामी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह कथन अत्यंत भ्रामक तथा चालबाजीपूर्ण है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र के इस कथन में भी कोई सचाई नहीं है कि हाल के वर्षों में हमारी विदेश नीति में उत्साह और दीप्ति की कमी रही।

आज हमें सरकार और अपने मंत्रियों की दूरदर्शिता के प्रति आभारी होना चाहिये क्योंकि एशिया में घटने वाली घटनाओं में अब हमारी सरकार सक्रियरूप से भाग ले रही है। अब पुराने दिन बीत चुके हैं एशियाई देशों के साथ निकट सम्पर्क तथा सहयोग बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में विदेश मंत्रालय की जागरूकता ने कुछ मौलिक समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं।

जहां तक पाकिस्तान जो हमारा निकट पड़ौसी देश है, के साथ सम्बन्धों का प्रश्न है उसके साथ विदेश नीति का आधार ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ होना चाहिये। उनके साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने में पाकिस्तान की विचारधारा का विशेष महत्व है। जब तक पाकिस्तान अपने पुराने रवैये में परिवर्तन नहीं करता तब तक सम्बन्धों में सुधार किया

जाना कठिन है। फिर भी युद्धबन्दियों की वापसी आदि समस्याओं को हल करने के लिये भारत सरकार ने पेशकश की है जिसकी विश्व में पर्याप्त सराहना हुई है। शिमला समझौते की सीमाओं को जानते हुए भी सरकार ने इस सम्बन्ध में कदम उठाये हैं तथा आशा है पाकिस्तान भी इस दिशा में क्रियात्मक कदम उठायेगा जैसा कि समाचारपत्रों से प्रतीत होता है।

युद्धबन्दियों की वापसी की समस्या पर बंगला देश के रवैये की सराहना की जानी चाहिये। मैं बंगला देश के नेताओं से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि 193 युद्धबन्दियों पर मुकदमा चलाए जाने से इस समस्या के समाधान में कोई अवरोध उपस्थित नहीं होने दिया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि यदि इन युद्धबन्दियों पर मुकदमा चलाने से समाधान में बाधा पड़ती हो तो इन को अन्य यद्धबन्दियों के साथ रिहा कर दिया जाना चाहिये।

हमारा दूसरा पड़ौसी देश चीन है। विश्वभर के देशों की नीतियों में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को भी चीन के बारे में अपने पूर्व रवैये में परिवर्तन करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि यदि चीन ने भी भारत के साथ सामान्य सम्बन्ध स्थापित किये जाने की दिशा में कुछ संकेत किये हैं तो भारत को उसके साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये पेशकश करनी चाहिये। किन्तु चीन से यह भी स्पष्टरूप से कह दिया जाना चाहिये कि अक्साई चीन के प्रश्न पर उसे कोई विशेष रियायत नहीं दी जायेगी।

अमरीका का हमारे देश के प्रति रवैया दुविधापूर्ण तथा अनिश्चितता का है। उसके साथ हमारे किस प्रकार के सम्बन्ध रह सकते हैं इसका निर्णय इस बात से होगा कि उनका पाकिस्तान के साथ रवैया कैसा है। यदि वह पाकिस्तान को पुन: हथियारों की सप्लाई करता है तो हमें स्पष्ट विदित हो जाएगा कि अमरीका हमारा सच्चा मित्र नहीं है।

अंत में मैं अपने देश की राजनयिक सेवा में नियुक्त अधिकारियों का उल्लेख करना चाहूंगा। मुझे विदेशों में नियुक्त अपने इन प्रतिभावान अधिकारियों के विरुद्ध कुछ नहीं कहना किन्तु मुझे यह आशंका है कि वे विशेष कर विकासशील देशों के साथ सम्बन्ध बनाने की कला से अवगत नहीं हैं। अत: मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय पत्रकारों, विश्वविद्यालयों तथा जनता से इस कार्य के लिये नवयुवकों को लेना चाहिये। इन शब्दों के साथ में इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री बी० आर० भगत: (शाहबाद) समय की कमी के कारण मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों का ही उल्लेख करूंगा। मुझे इस बात का संतोष है कि यह दूसरा वर्ष है जब से हमारी विदेश नीति में दृढ़ता आई है तथा सरकार ने निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयत्न किये हैं।

सरकार जिस विदेश नीति का श्री जवाहर लाल नेहरू के समय से अनुसरण करती आ रही है वह हमारे देश की राष्ट्रीय चेतना और प्रमुख लक्ष्यों पर आधारित है। अत: माननीय सदस्यों को इस विषय में भेदभाव की भावना का उलेख नहीं करना चाहिये था।

इसका आशय नहीं कि विदेश नीति की आलोचना करना ही नहीं चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों के निष्पादन के क्षेत्र में उपयुक्त सुझाव अवश्य दिये जाने चाहिये। श्री वाजपेयी के भाषण से विदित होता है कि वह गुटनिर्पेक्षता की नीति का समर्थन करते हैं। श्री मिश्राजी का सुझाव था कि हमारा देश एक शक्तिशाली देश होना चाहिये। आकार तथा आर्थिक विकास

की सम्भावनाओं को देखते हुए हमारा देश निश्चित ही विशाल देश है और यदि हम आर्थिक, औद्योगिक दृष्टि से विकसित हो जाते हैं तो हमारा देश निश्चित ही विश्व के कार्यों में विशेष भूमिका अदा करेगा।

परन्तु हम यह नहीं चाहते कि हम ऐसी शक्ति अर्जित करें जिससे हमारे पड़ौसी देश हमसे भयभीत होने लगें। हम पारस्परिक सहयोग की भावना को बलवती बनाते रहे हैं। तथा हमने अन्य देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई है जिसका लगातार अनुसरण किया जा रहा है।

विदेश नीति के संबंध में हमें कुछ कार्यों को विशेष प्राथमिकता देनी है तथा सर्वोच्च प्राथमिकता भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों को देनी है। बंगला देश की उत्पत्ति तथा उसके साथ विचार-विमर्श करने में सरकार को काफी सफलता मिली है। सम्बन्धों को सामान्य बनाने के क्षेत्र में हाल में मंत्री महोदय तथा बंगलादेश के विदेश मंत्री ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रसन्नता की बात है कि उस पर श्री भुट्टो ने अच्छी प्रतिक्रिया दिखाई है। आशा है निकट भविष्य में यह समस्या हल हो जाएगी।

इतना ही नहीं पड़ौसी देशों के साथ सामान्य सम्बन्ध बनाए रखने के क्षेत्र में भी सरकार तथा प्रधान मंत्री ने कदम उठाये हैं। नेपाल, श्रीलंका और बर्मा जैसे देशों के दौरे किये गये हैं। इन उपायों का परिणाम य होगा कि पड़ौसी देशों के साथ सामान्य सम्बन्धों के कारण उनके साथ सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग स्थापित किया जा सकता है।

यह कहना सच नहीं है कि नेपाल के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। मंत्री महोदय ने अफगानिस्तान तथा अन्य देशों का दौरा किया है जिसके भविष्य में अच्छे परिणाम निकलेंगे। यह कहना भी सच नहीं है कि भारत-रूस संधि के कारण भारत ने गुटनिर्पेक्षता की नीति त्याग दी है। रूस के साथ भारत की मित्रता हमें लगभग 10 वर्ष बीत गये हैं तथा इस अवधि में कोई ऐसा नहीं मिला जिससे यह समझा जाए कि भारत पर रूस का कोई प्रभाव है। वास्तव में यह मित्रता पारस्परिक हितों और समान दर्जे की नीति पर आधारित है। यह सिद्धांतों पर आधारित है तथा यह मित्रता किसी अन्य देश के विरोध में नहीं है। यह मित्रता दोनों देशों की जनता के हृदयों में समा गई है।

श्री वाजपेयी ने श्री डांगे द्वारा रूस में दिये गये भाषण का उल्लेख करते हुए कहा हमारे कार्यों की स्वतन्त्रता पर शर्तें लगाई गई हैं। श्री डांगे भारत के प्रतिनिधि के रूप में वहां नहीं गये थे। भारत के प्रतिनिधि हमारे उप-राष्ट्रपति थे तथा उन्होंने भारत की ओर से भाषण दिया था। अतः श्री वाजपेयी का यह तर्क निराधार है।

जहां तक भारत और अमरीका के बीच सम्बन्धों का प्रश्न है, यह सच है कि दोनों देशों में प्रजातन्त्र प्रणाली है। किन्तु गत दशाब्दि के दौरान अमरीका ने ऐसी नीति अपनाई है जो हमारे देश की आकांक्षाओं के ही विपरीत नहीं है वरन ऐशिया और अफ्रीका के सभी विकासशील देशों की इच्छाओं के प्रतिकूल सिद्ध हुई है। उदाहरण के रूप में वियतनाम और अरब देशों के साथ उसका यही रवैया रहा है। अमरीका अपनी पुरानी ही नीति का अनुसरण कर रहा है तथा वह इस वास्तविकता की अवहेलना कर रहा है कि इस महाद्वीप के देश आपस में

9—330LSS/73

सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान को हथियारों की सप्लाई करके वह इस महाद्वीप में कटुता और तनाव की स्थिति बनाये रखना चाहता है।

अमरीकी सरकार से यह स्पष्ट रूप से कह दिया जाना चाहिए कि हमारे सम्बन्ध तब तक उससे सामान्य नहीं हो सकते जब तक उसके इस रवैये में परिवर्तन नहीं आता। यदि वह पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करता है तथा वास्तविक स्थिति की अवहेलना करता है तो इससे और कठिनाइयां उत्पन्न होंगी।

चीन भी हमारा पड़ौसी देश है तथा शक्तिशाली भी है। मेरे विचार से अब उसके रवैये में परिवर्तन हुआ है। चीन अब सभी एशियाई देशों के साथ सम्बन्ध सुधारने का प्रयत्न कर रहा है। मेरा अनुमान है कि यदि इस महाद्वीप की वर्तमान समस्याएं हल हो जाती हैं तो निश्चित ही संबंधों में कुछ सुधार होगा। अतः हमें अपने रवैये को इतना कठोर नहीं बनाना चाहिये जिससे उसमें परिवर्तन करने की गुंजाइश ही न रहे।

मंत्री महोदय ने बताया है कि सरकार विभिन्न देशों के साथ आर्थिक सहयोग स्थापित करने का प्रयत्न कर रही है। यह कदम सराहनीय है। राष्ट्रपति महोदय ने तनजानिया का दौरा किया है तथा उसके साथ आर्थिक सहयोग में वृद्धि की जा रही है। अन्य देशों के साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग स्थापित किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है।

अन्य देशों की सहायता के लिये राष्ट्रों को अपने कुछ राष्ट्रीय लाभ का एक प्रतिशत लाभ दिये जाने की व्यवस्था है। मेरा सुझाव है कि भारत को इस सम्बन्ध में अधिक योगदान देना चाहिये। 180 करोड़ रुपयों की राशि इस मामले में बहुत कम है। गत वर्ष चीन ने अफ्रीकी देशों को 2.3 मिलियन डालर दिये थे। अतः मैं माननीय मंत्री को सुझाव देता हूं वह इस पहलू पर गम्भीरता से विचार करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : महोदय बहुत से सदस्यों को अभी समय नहीं मिला है, अतः मेरा सुझाव है कि इसके लिए एक घंटे का और समय दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा सहमत है तो ठीक है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : तब भी कांग्रेस दल के कुछ सदस्यों को समय नहीं मिल सका।

श्री वी० के० कृष्ण मेनन (त्रिवेन्द्रम) : विदेश नीति पर चर्चा करते हुए स्वाभाविक रूप से भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों पर अधिक बल दिया जाता है जबकि हमें यह नहीं भूलना चाहिय कि विश्व में केवल यही दो देश नहीं है।

सर्वप्रथम मैं हाल में युद्धबन्दियों की रिहाई के विषय में हुए करार का उल्लेख करना चाहता हूं। मेरे विचार से यह कदम बहुत पहले उठाया जाना चाहिये था क्योंकि युद्धबन्दियों को देश में रखने से कोई लाभ नहीं था तथा उसका अन्तर्राष्ट्रीय जगत में बुरा ही प्रभाव पड़ा है। अब यह कदम उठाये जाने के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं तथा यह मामला सरकार से ही सम्बन्धित है। किन्तु इसे "पैकेज डील" कहा जाना भ्रामक तथा गलत है। यह कार्य तो युद्ध का ही एक

अंग है। "पैकेज डील" इसे तब कहा जा सकता था जब पाकिस्तान कश्मीर को भारत को देने पर सहमत होता।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि यह चिंताजनक बात है कि जो भी विश्व में नई स्थिति उत्पन्न होती है तथा देश में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाते हैं उनकी सूचना संसद् में सर्वप्रथम नहीं दी जाती। हमें उनकी सूचना या तो साउथ ब्लाक से मिलती है अथवा किन्हीं अन्य सूत्रों से। मुझे आशा है कि अब मंत्री महोदय आर्थिक जगत तथा राजनीतिक जगत में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं से सभा को अवगत कराएंगे।

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना चाहता हूं। आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि यदि विश्व में निरस्त्रीकरण नहीं होता तो हम जीवित नहीं रह सकते। हम रक्षा पर 1,200 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। समय के साथ-साथ इस व्यय में बृद्धि होती रहेगी। विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत का क्या योगदान होगा इस विषय में भी हमें कुछ नहीं बताया गया। गत 10 वर्षों में भारत ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया तथा शांतिप्रिय देश होने के नाते उसने विश्व में शांति स्थापित करने के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

तीसरे, यह सच है कि विश्व में दो देशों को सुपरपावर कहा जाता है किन्तु उन्होंने भी कोई विशेष प्रगति नहीं की है तथा अन्य देश भी उत्पन्न हो गये हैं। ईरान आदि देशों की महत्वाकांक्षाओं के बारे में भी सुना जाता है। मैं किसी पर कोई आक्षेप किये बिना यह कह देना चाहता हूं कि हिन्द महासागर में 'फ्रीजोन' का नारा केवल नारा है। यदि शक्ति नहीं है तो किसी सागर को मुक्त नहीं रखाया जा सकता। हम साम्राज्यवादियों की चालों की ओर कोई ध्यान नहीं देते तथा हमें यह भी अपने सूत्रों से ज्ञात नहीं होता कि किसी महासागर में क्या हो रहा है।

मैं समझता हूं कि न केवल विदेश मंत्रालय अपितु पूरी सरकार को इस मामले पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हिन्द महा सागर को मुक्त क्षेत्र रखने में हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। श्री लंका का हमारे प्रति भय बना रहता है जबकि हमने उनपर कभी भी हमला नहीं किया। हिन्द महासागर को सभी के सहयोग के बिना मुक्त क्षेत्र नहीं रखा जा सकता। जहां तक परमाणु अस्त्रों के निर्माण का सम्बन्ध है उनकी जानकारी स्रोतों को देखते हुए बहुत कम देश अणु शक्ति सम्पन्न बन सकते हैं।

श्री डी० पी० जदेजा (जामनगर) : मैं विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। लेटिन अमरीकी देशों के बारे में रिपोर्ट में पहली बार उल्लेख किया गया है। पिछले दो तीन वर्षों में उन देशों के साथ हमारा व्यापार दुगुना हो गया है। उन देशों को हमारे देश की सद्भावना यात्राओं में वृद्धि हुई है।

पीरु में जब हमारे प्रधान मंत्री गये तो कोई सरकारी प्रतिनिधि हवाई अड्डे पर नहीं था परन्तु वहां के नागरिक भारी संख्या में हवाई अड्डे पर पहुंचे थे।

पिछले दो तीन वर्ष से भारत लैटिन अमरीकी देशों के अन्तर संसदीय सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि भेजता रहा है जिसका कि बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। उन देशों ने तीन महाद्वीपों के संसदीय सम्मेलन का भार हमारे ऊपर डाला है। मैं समझता हूं कि इस बारे में कार्यवाही विदेश मंत्रालय को करनी चाहिए।

पिछले वर्ष भारत लेटिन अमरीकी देशों के साथ आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने में प्रयत्नशील रहा है। कई लेटिन अमरीकी देशों में हमारे दूतावास हैं परन्तु होंडुरास, एलसेल्वाडोर, हैती, फ्रैंच, गियाना आदि देशों के साथ हमारे राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं। उन्हें मान्यता दी जानी चाहिए।

उगांडा से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों को मशीनें उपकरण आदि लाने की अनुमति नहीं दी जाती। अब तक हमें मोजाम्बीक्यू समस्या का हल भी कर लेना चाहिए था।

विदेशों में प्रचार कार्य से भारत का मस्तक ऊंचा उठा है। मंत्री महोदय इस महत्वपूर्ण कार्य के लिये अधिक कर्मचारियों एवं अधिक धन की व्यवस्था करें।

विदेश मंत्रालय का अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय रहना चाहिए ताकि हमे विदेशों में भारत के सही रूप को प्रस्तुत कर सकें

उपाध्यक्ष महोदय : श्री समर गुह तीन मिनट में अपना भाषण दें।

श्री समर गुह: (कंटाई) : इससे अच्छा है मैं न बोलूं।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): लोकतन्त्रात्मक देशों में संसदों द्वारा विदेशी मामलों पर वाद-विवाद करना अत्यन्त कठिन है क्योंकि बिना पूरी जानकारी के वाद-विवाद नहीं हो सकता और जानकारी मिल नहीं सकती क्योंकि बहुत से मामलों को गुप्त रखा जाता है। चाहिए तो यह था कि दोनों ओर के सदस्य भारी संख्या सभा में रहते और प्रधान मंत्री इस वाद-विवाद में हस्ताक्षेप करते।

विदेश नीति को राष्ट्रीय हितों के अनुरूप होना चाहिए। हमारी परम्परागत विदेश नीति में कमी है। हमारी नीति न तो गुटनिर्पेक्षता ही है और न ही हम असंबद्ध रह सकते हैं। हम देखते हैं कि एक ब्लाक की ओर हमारा झुकाव अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। इसके होते हुए क्या विदेश मंत्री कह सकते हैं कि हम गुट निर्पेक्ष हैं ?

दक्षिण-पूर्व एशिया में हमारी प्रतिष्ठा को धक्का लगा है। वहां अब यह समझा जाने लगा है कि भारत अपनी समस्याओं में ही इतना उलझा हुआ है कि दक्षिण-पूर्व एशिया में कोई कार्य नहीं कर सकता। एशिया के विभिन्न संगठनों में हमारा योगदान क्या रहा है।

पिछले 1 1/2 वर्ष से भारत सुरक्षा परिषद् का सदस्य रहा है परन्तु वहां पर और अन्य संयुक्त राष्ट्रीय मंचों में हमारी आवाज कम ही सुनी जाती है।

हमारे दूतावास उच्चायोग विदेशों में प्रचार कार्य को समुचित रूप से नहीं चला पा रहे हैं। भारत की तुलना में पाकिस्तान का प्रचार कार्य कहीं व्यापक है। हमारा अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है। अपितु यह भी आवश्यक है कि हमें विश्व भर के देश अच्छा और दयानतदार समझें। विदेश मंत्रालय पिछले 25 वर्ष में इस कार्य में विफल रहा है।

भारत के दो साहसी पत्रकार श्री दीपक बेनर्जी तथा सुरजीत घोषाल जिन्हें 2 अप्रैल, 1971 को पाकिस्तानी सेना से अगवा कर लिया गया था अभी भी पाकिस्तानी जेलों में सड़ रहे हैं। सरकार उन्हें शीघ्र लौटाने में अपने प्रभाव का उपयोग करे।

भारत एक प्राचीन एवं आधुनिक प्रजातन्त्र है। इसे राष्ट्रों के समुदाय में सक्रिय भाग लेना चाहिए।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : I feel that our Embassies have functioned well. In so many countries we do not have our newspapers and try to project our views through cyclostyled papers.

For sometime past we have been sincerly trying to eståblish friendly relations with Pakistan but China and U. S. A. have been creating hinderanrces in it. Even during the Bangla Desh struggle these countries have been praising Pakistani Generals. Both these counries have new pledged to support Pakistan to the maximum. Although U. S. A. has withdrawn from South East Asea but it is still trying to establish a yellow bloc there.

Ours is a strong country. We have the goodluck of having a powerful personality of Shrimati Indira Gandhi as Prime Minister. It is wrong to say that India is a sattelite of U. S.-S. R. The fact is that India together with U. S. S. R. is fighting Imperialism where ever it exists. India is a sovereign power and it cannot be dictated by U. S. S. R.

U. S. A. is helping Iran so that it may exercise its influence on smaller nations around it. If Blauchistan or Sindhisthan or Pakthunisthan are attached by Iran can be remain neutral ?

Some persons talk of recognition of Israiel. Israiel attacked Beirut with its Naval might and all peace loving countries deplored it.

The recognisation of vietnam, G. D. R. and support to Latin America, Cambodia etc in their freedom struggle is praise worthy.

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : मैं विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।

चीन की पिछले 20 वर्ष की विदेश नीति के विश्लेषण से पता चलता है कि पांचवें दशक में माऊ ने रूस से इस उद्देश्य से सहयोग किया था कि समाजवादी ब्लाक का नेतृत्व रूस से छीना जा सके। इसमें विफल होने पर 1963 के लगभग चीन की नीति में परिवर्तन आया और बाद की चीनी नीति रूस-विरोधी थी ।

रूस को नीचा दिखाने और विश्व में उसका महत्व घटाने के लिए चीन साम्राज्यवादी शक्तियों से सहयोग कर रहा है । मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करता हूं कि चीन के साथ संबंध सुधारने के किसी अवसर को हाथ से न जाने दें । पिछले कुछ समय से चीन का रुख बदला हुआ है । गणतन्त्र दिवस पर चीन के पहले की अपेक्षा उच्च अधिकारी ने भाग लिया था । दूसरे चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ के निकायों में भारत के चुने जाने का विरोध नहीं किया । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एशियायी संगठन का हमारा स्वप्न चीन को साथ लिए बिना पूरा नहीं हो सकता । आज रूस यदि चीन के विरुद्ध है तो यह आवश्यक नहीं कि हम भी चीन के विरुद्ध रहें । हमारी विदेशी नीति को वस्तु परक होना चाहिए । जापान ने भारत के साथ मैत्री के लिए एक संसदीय ग्रुप बनाया है। मेरा सुझाव है कि ऐसा ही ग्रुप हम एशियाई समस्याओं के अध्ययन के लिये बनायें ।

विदेश मंत्रालय को एशिआ को महत्व देते हुए नयी विदेश नीति बनानी चाहिए ।

डा० हरि प्रसाद शर्मा (अलवर) : आगामी वर्ष में अथवा उसके बाद भी हमारे सम्मुख तीन मुख्य समस्याएं हैं । भारत-पाक सम्बन्धों को सामान्य बनाना, चीन के साथ सामान्य संबंध और अमरीका के साथ सामान्य संबंध स्थापित करना ।

पिछले दो दशकों में चीन की दृष्टि में अमरीका केवल साम्राज्यवादी सत्ता थी जबकि अब चीन मानने लगा है कि दक्षिण-पूर्व एशिया में अमरीकी सेना का बना रहना आवश्यक है । चीन ने अब

जापान की साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में आलोचना बन्द कर दी है। हम सदा ही चीन के साथ सम्मानपूर्वक समझौते के पक्ष में रहे हैं। हम चीन को आश्वासन दे सकते हैं कि उसके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम तिब्बत को चीन का भाग मानते हैं।

प्रधान मंत्री ने चीन के इस कथन को, कि भारत और रूस चीन पर घेरा डालना चाहते हैं, नासमझी की बात कही थी।

इतालवी प्रतिनिधि मंडल के साथ चीनी विदेश मंत्री के संयुक्त सम्पादकीय में चीन ने बदले हुए वातावरण में भारत से बातचीत की इच्छा प्रकट की है।

कहा गया है कि भारत-रूस संधि के कारण भारत-चीन के संबन्धों में बिगाड़ आया है। यदि हम चीन को संधि की धारा 9 चीन के विरुद्ध न होने का आश्वासन उस देश को दे पायें तो स्थिति बदल सकती है। हमें अपने हितों को महत्व देना चाहिए। जब तक अकसाई चीन की समस्या बनी हुई है हमारे चीन के साथ संबन्ध नहीं सुधर सकते। हमें चीन के साथ सामान्य संबंध बनाने के प्रयत्न जारी रखने चाहियें।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : श्रीमान्, विदेश मन्त्रालय की रिपोर्ट में भारतीय उद्भव के उन 60 लाख लोगों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है जो अफ्रीका एशिया तथा अन्य महाद्वीपों में रह रहे हैं। ये लोग अपेक्षा करते हैं कि अवसर पड़ने पर भारत में उन्हें शरण दी जाए। माननीय मन्त्री उनके सम्बन्ध में कुछ कहें।

विश्व में स्थिति बदलती जा रही है। आज 1973 का विश्व वह नहीं है जो पहले था। यह सच है कि आज विश्व में अमरीका एक बड़ी औद्योगिक शक्ति है। किन्तु भौतिक उत्पादन के स्तर पर उसे जापान से प्रतिस्पर्द्धा का झटका लगा। नैतिक स्तर पर उसे चीन ने झटका दिया और सैनिक स्तर पर उसे वियतनाम में झटका लगा। परिणामतः स्थिति में परिवर्तन हुआ और परिवर्तित स्थिति में उसे वियतनाम से हटना पड़ेगा। अमरीका की जनता भी यही चाहती है। इस बदली हुई परिस्थिति में भारत को भी अपनी विदेश नीति पर पुर्नविचार करना है। 'सामूहिक एशियाई सुरक्षा' के सिद्धान्त पर भी विदेश मन्त्रालय को वर्तमान स्थिति में विचार करना चाहिए। साथ ही हमें अपनी तटस्थता की नीति को बनाये रखना है जिससे न हम अमरीकी गुट में जायें और न रूसी गुट में। किन्तु अमरीका से तकनीकी ज्ञान की सहायता लेने में हमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र में वह एक उन्नत राष्ट्र है। हां, खाद्य उर्वरक, तेल और सीमेंट जैसी वस्तुओं में उत्पादन की दृष्टि से हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के लिए हमें निरस्त्रीकरण अपनाना चाहिए क्योंकि उससे शस्त्रास्त्रों पर होने वाले खर्च में कमी होगी। इन शब्दों के साथ मैं विदेश मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर काफी व्यापक चर्चा हुई है और प्रतिपक्ष के सभी महत्वपूर्ण नेताओं ने भाग लिया। माननीय सदस्यों ने कई बातें ऐसी कहीं हैं जिनसे हम लाभान्वित हुए। कुछ बातों का उत्तर राज्य मन्त्री श्री सुरेन्द्रपाल सिंह पहले ही दे चुके हैं। विपक्ष द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्नों का उत्तर कांग्रेसी सदस्य दे चुके हैं। श्री विश्वनाथन ने हमारी विदेश नीति की साहित्यक शब्दावली में

आलोचना तो की किन्तु वह सरकार के कुछ निर्णयों से सहमत थे। उन्होंने संयुक्त भारत बंगलादेश घोषणा का पूर्णतः समर्थन किया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री पीलू मोदी की बहुत सी बातों का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में ही कुछ कहना चाहता हूं। जहां तक पड़ोसी देशों से हमारे देश की मित्रता का प्रश्न है, उनके साथ हमारी मित्रता न केवल भावना पर अपितु लोकतन्त्र, समाजवाद और धर्म-निर्पेक्षता जैसे सिद्धान्तों में विश्वास पर आधारित होती है। बंगला देश सरकार के साथ हमारे सम्बन्ध दृढ़ से दृढ़तर होते जा रहे हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के केवल 15 महीनों के भीतर ही बंगलादेश में शान्तिपूर्ण चुनाव होना अपने आप में एक बड़ी बात है और शेख मुजीबुर्रहमान और अवामी लीग दल का भारी बहुमत से जीतना इस बात का द्योतक है कि लोगों के दिलों में उनका क्या स्थान है। बंगलादेश ने जहां राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है, वहां उसने आर्थिक क्षेत्र में भी कदम बढ़ाया है। युद्ध के दौरान हुए भारी विनाश के बावजूद वहां चाय, पटसन, इस्पात, उर्वरक और सीमेंट का उत्पादन पुनः पहले जितना ही होने लगेगा। बंगलादेश के साथ हमारा कई क्षेत्रों में सहयोग चल रहा है तथा इस सहयोग का क्षेत्र आगामी वर्षों में और अधिक बढ़ेगा। बंगलादेश को अफगानिस्तान और लैबनान ने मान्यता दे दी है, इसका हम स्वागत करते हैं। हम इस बात का भी पूर्णतः समर्थन करते हैं कि बंगला देश को तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन में प्रवेश दिया जाए। हमें प्रसन्नता है कि बंगलादेश को 'इकाफे' का सदस्य बना लिया गया है।

मैं इस महीने के आरम्भ में बर्मा गया था और वहां के विदेश मन्त्री, प्रधान मन्त्री और रिवोलूशनरी कौंसिल के अध्यक्ष श्री नेविन से विचार-विमर्श किया था हमारी बातचीत बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। दोनों देशों के बीच कोई समस्या नहीं है। बातचीत के दौरान कुछ ऐसे क्षेत्रों का पता लगा जिनके साथ हम आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी सहयोग कर सकते हैं। हिन्द महासागर को तनाव और शक्ति से मुक्त रखने और तटस्थता जैसी प्रमुख समस्याओं में दोनों देशों से विचार साम्य है। हमारे निकट के पड़ोसी श्री लंका के साथ हमारे सम्बन्धों का भी उल्लेख किया गया है। श्री लंका के प्रधान मन्त्री के निमन्त्रण पर हमारे प्रधान मन्त्री वहां जा रही हैं। श्री लंका के साथ हमारा आर्थिक आदान-प्रदान बहुत बड़े पैमाने पर है। दोनों देशों के बीच औद्योगिक और तकनीकी सहयोग की काफी सम्भावना है। हमारे उप-महाद्वीप में शान्ति और सुरक्षा की समस्याओं पर दोनों देशों के विचार समान हैं। अफगानिस्तान से हमारी दोस्ती पुरानी है और वह पारस्परिक हितों पर आधारित है। गत वर्षों में हमारे व्यापार और आर्थिक सम्बन्धों में काफी वृद्धि हुई है और भविष्य में कई क्षेत्रों में हमारा सहयोग बढ़ेगा। भूटान के साथ भारत के सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण हैं। बंगला देश के प्रश्न पर भूटान ने दिवंगत नरेश जिग्मे दोरजी वांगचुक के नेतृत्व में हमारा पूर्ण समर्थन किया था। भूटान के नए महाराजा जिग्में सिग्में वांगचुक अपने पिता की नीति पर चल रहे हैं और वह भी भारत के साथ अपने देश के सम्बन्ध सुदृढ़ बनाये रखना चाहते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 1949 की भारत-भूटान सन्धि में कोई संशोधन नहीं होगा। भारत ने भूटान को आर्थिक विकास के लिए सहायता दी है जिसका उसने स्वागत किया है। हमारा उद्देश्य भूटान के साथ सभी क्षेत्रों में मित्रता और सहयोग बढ़ाना है। जहां तक सिक्किम का सम्बन्ध है, वहां हाल ही में स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी और वहां की जनता ने शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। जैसे

ही वहां शान्ति व्यवस्था भंग हुई, चोग्याल ने हमसे सहायता मांगी। हमने तुरन्त उनकी सहायता की। अब वहां स्थिति सामान्य हो गई है। हम सिक्किम को 5 करोड़ रुपए की सहायता प्रतिवर्ष देते हैं। उनके प्रशासन को भी हमारे विशेषज्ञ और अनुभवी प्रशासक सहायता देते रहते हैं। हम आशा करते हैं कि वहां के लोगों में शीघ्र ही पारस्परिक समझौता होगा और ऐसा प्रयास किया जायेगा जिससे लोगों की समुचित आकांक्षाएं पूरी हों।

पड़ोसी देशों की बात करते हुए मेरे लिए यह भी संगत है कि मैं पाकिस्तान के बारे में भी अपने विचार प्रकट करूं। दोनों देशों के संघर्ष के बाद जो महत्वपूर्ण घटना घटी वह थी शिमला समझौते का सम्पन्न होना। शिमला समझौते का एक भाग लागू किया जा चुका है। जम्मू और काश्मीर में वास्तविक नियन्त्रण की रेखा का निर्धारण किया गया। यह एक कठिन कार्य था। इसके पश्चात सेनाएं वापस हटी और विस्थापित असैनिक अपने-अपने स्थानों पर पुनः जा बसे। किन्तु इसके पश्चात श्री भुट्टो के रवैये में परिवर्तन आया और उन्होंने कहा कि मैं युद्धबन्दियों के प्रश्न को प्राथमिकता देता हूं। यह कहकर श्री भुट्टो ने स्थिति सामान्य करने के अन्य उपायों, जैसे राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करना, दोनों देशों के बीच विमान-उड़ानें और संचार व्यवस्था पुनः चालू करने की अवहेलना की। परिणामतः शिमला समझौते में सम्मिलित अन्य बातों के क्रियान्वयन में आगे कोई प्रगति नहीं हुई। बंगला देश को मान्यता के प्रश्न पर श्री भुट्टो ने कहा कि बंगला देश के चुनाव परिणामों को देखकर वह इस बारे में निर्णय लेंगे। यह रवैया भी कम विचित्र न था। बंगलादेश में चुनाव हो जाने के पश्चात भारत और बंगलादेश ने 17 अप्रैल 1973 को एक संयुक्त घोषणा जारी की जिनकी देश और विदेश में बड़ी सराहना की गई। उक्त संयुक्त घोषणा में हम दोनों ने एक मानवीय समस्या को हल करने का प्रयास और पेशकश की थी और राजनीतिक मामलों को जानबूझकर छोड़ दिया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थायी शान्ति बनाये रखने के लिए हम पाकिस्तान द्वारा बंगलादेश को मान्यता दिए जाने को आवश्यक मानते हैं। फिर भी उक्त घोषणा में ऐसी किसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था। किन्तु इस संयुक्त घोषणा पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या रही? पाकिस्तान ने गत पूरे वर्ष इस उद्देश्य से भारत के विरुद्ध प्रचार किया जिससे समस्या का समाधान उनके ही पक्ष में हो। वह उप महाद्वीप में उत्पन्न नयी स्थिति को स्वीकार नहीं करना चाहते। उनका रवैया नकारात्मक है। यही कारण है कि मानवीय समस्याओं के समाधान में विलम्ब हो रहा है। भारत-बंगला देश की संयुक्त घोषणा में यह प्रस्ताव किया गया था कि पाकिस्तानी नजरबन्द लोगों, पाकिस्तानी युद्धबन्दियों और बंगला देश में रह रहे उन पाकिस्तानी राष्ट्रिकों, जो पाकिस्तान के प्रति अपनी निष्ठा घोषित कर चुके हैं, तथा पाकिस्तान में जबरदस्ती रोके गए बंगालियों को अपने-अपने देश को भेज दिया जाये। घोषणा में यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत और बंगलादेश युद्धबन्दियों के प्रश्न को लेकर कोई राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहते। किन्तु पाकिस्तान ने 20 अप्रैल 1973 को जो वक्तव्य जारी किया उससे हमें निराशा और दुख हुआ। उसमें पाकिस्तान ने समस्या के एकपक्षीय समाधान की मांग की और कहा कि भारत में ठहरे पाकिस्तानी युद्धबन्दियों और नजरबन्द नगारिकों को तत्काल वापस भेजा जाए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक पाकिस्तान सरकार बंगलादेश में रह रहे उन पाकिस्तानियों के प्रति अपना दायित्व निभाने को तैयार नहीं है, जो स्वदेश लौटना चाहते हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि लगभग 6,00,000 गैर-बंगालियों

में से केवल 2,50,000 लोग पाकिस्तान वापस लौटना चाहते हैं। इससे उनके प्रति बंगला-देश सरकार की उदारता प्रकट होती है। पाकिस्तान का यह कहना भी गलत है कि बंगला देश सरकार ने दबाव डालकर इन अल्पसंख्यक लोगों से पाकिस्तान लौटने का विकल्प मांगा है। इसके विपरीत पाकिस्तान में 16,000 बंगाली सरकारी कर्मचारियों को गत जुलाई में बर्खास्त कर दिया गया और लगभग 28,000 बंगाली सैनिक कर्मचारियों को शिविरों में नजरबन्द रखा गया।

जो बंगाली अपना सामान बेचने के पश्चात् पाकिस्तान से भागते समय पकड़े गये हैं उनको कारा-वास में डाला जा रहा है। क्या इन के साथ उन युद्ध बंदियों जैसा व्यवहार किया जा सकता है जिन पर सिविलियन लोगों, महिलाओं तथा बच्चों पर अत्याचार करने के आरोप हैं ?

बंगला देश सरकार ने घोषणा की है कि वह युद्ध बन्दियों पर मुकदमें के समय विश्व के प्रसिद्ध वकीलों को आमंत्रित करेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि युद्ध-बन्दियों को विदेशियों सहित कोई भी वकील करने की अनुमति होगी। पाकिस्तान सरकार ने धमकी दी है कि यदि किसी युद्ध-बन्दी पर मुकदमा चलाया गया तो वह भी पाकिस्तान में अवरुद्ध बंगालियों पर मुकदमा चलायेगी। ऐसी बात विश्व में पहले कभी नहीं देखी गई। बंगला देश सरकार ने कहा है कि यदि बदले की भावना से बंगालियों पर मुकदमा चलाया गया तो ब्लैकमेलिंग का मामला होगा और विश्व में प्रचलित शिष्टता के सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा। हमारी भी ऐसे ही प्रतिक्रिया है।

हम इस बारे में बंगला देश सरकार के परामर्श से एक संयुक्त दृष्टिकोण अपनायेंगे। हम उस समस्या के बारे में कोई नकारात्मक रवैया नहीं अपनाना चाहते हालांकि पाकिस्तान सरकार के वास्तव में अनेक असंतोषजनक बातें हैं। मुझे अभी आशा है कि पाकिस्तान सरकार स्थिति पर पुनः विचार करेगी। भारत-बंगलादेश संयुक्त घोषणा को स्वीकार करेगी। हमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री से एक पत्र मिला है। बंगलादेश सरकार से परामर्श करने के पश्चात् हम इसका उत्तर भेजेंगे। यदि शिमला समझौते की भावना के अनुसार कार्यवाही की जाये तो मुझे आशा है कि युद्ध-बंदियों बंगालियों तथा बंगलादेश में रहने वाले पाकिस्तानियों की समस्या हल हो जायेगी। इसके लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

नेपाल से हमारे सम्बन्ध बहुत घनिष्ठता तथा मित्रतापूर्ण हैं। उनके आर्थिक विकास में हमने सबसे अधिक योगदान दिया है। अब तक नेपाल को 100 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। यह सहायता सड़क बनाने; हवाई अड्डे बनाने; जल सप्लाई योजनाओं सिचाई और विद्युत परियोजनाओं पर खर्च की गई है। त्रिभुवन विश्वविद्यालय; भू-सर्वेक्षण विभाग तथा औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिए भी सहायता दी गई है।

कुछ भारतीय व्यापारी भारत में वस्तुओं को लाकर चोरी छिपे इस देश से बाहर भेजते थे और इस प्रकार भारी लाभ कमाते हैं। इन सभी वस्तुओं पर रोक लगी हुई है। इस बारे में भारत और नेपाल दोनों सरकारों के बीच समझौता हो गया है स्वयं नेपाल सरकार इस तस्करी के बारे में चिन्तित थी। कुछ सप्ताह हुए उन्होंने पटसन निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। इससे ही पता चलता है कि नेपाल सरकार तस्करी के बारे में किस प्रकार चिन्तित थी। नेपाल और भारत की सीमा एक खुली सीमा है और एक दूसरे देश में जाने के लिए किसी प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। सीमा-पार सामान लाने ले जाने पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इन सभी बातों से पता लगता है कि नेपाल से हमारे सम्बन्ध मित्रतापूर्ण है और हम इनको बनाये रखना चाहते हैं।

जहां तक अमरीका से हमारे सम्बन्धों का प्रश्न है इस बारे में पहले भी सदन में चर्चा हो चुकी है। अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियार दिये जाने के हम पूर्णतया विरुद्ध हैं। यह बात हमने अमरीका को स्पष्ट रूप से बता दी है। गत वर्ष के अन्त में अमरीका से हमारे सम्बधों में कुछ सुधार हुआ है। दोनों ओर से सम्बन्धों को सामान्य तथा सुदृढ़ बनाने की इच्छा व्यक्त की गई है। मैंने 30 नवम्बर, 1972 को कहा था कि समानता आपसी हितों को ध्यान में रखकर अमरीका से हम अपने सम्बन्ध सामान्य बनाने के इच्छुक हैं। हमारे और अमरीका के सम्बन्धों में एक बड़ी अड़चन अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई कर रही हैं। हमें आशा है कि इस नीति का अंत होगा और इस उप-महाद्वीप में शान्ति स्थापित हो सकेगी। हाल में अमरीका ने पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई से जो प्रतिबन्ध उठाया है उससे हमें बहुत चिंता हुई है। हमने इस बारे में अमरीका को अपनी भावनाओं के बारे में बता दिया है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई से भारत-पाक सम्बन्धों को सामान्य बनाने में अड़चन उत्पन्न होगी। इससे भारत की सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न होता है। हमने मि० कैनेथ रश और मि० जोजफ सिस्को को उनकी भारत यात्रा के दौरान इस बारे में बताया था कि पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई से क्या गम्भीर परिणाम निकल सकते हैं। मुझे आशा है कि अमरीकी सरकार हमारी बात पर ध्यान देगी।

जहां तक चीन से हमारे सम्बन्धों का प्रश्न है मैं यह बताना चाहता हूं कि चीन के मूल रवैये में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। सामाजिक तथा सरकारी समारोहों में उनके रवैये में कुछ परिवर्तन अवश्य आया है। ऐसे समारोहों में चीन के अधिकारी हमारे प्रतिनिधियों के प्रति सामान्य रवैया अपनाते हैं। अब वह भारत के विरुद्ध प्रचार भी कुछ कम रहे हैं। भारतीय उप-महाद्वीप की स्थिति के बारे में वह अब कुछ वास्तविक रवैया अपना रहे हैं।

सिक्किम-तिब्बत सीमा पर लाउडस्पीकरों से जो प्रचार किया जाता था वह अब बन्द कर दिया गया है।

हमें आशा है कि स्थिति में धीरे-धीरे परिवर्तन होगा और भारत तथा चीन के बीच सम्बन्धों में अधिक सामान्यता आयेगी। सामान्य सम्बन्ध बनाना दोनों देशों के हित में है क्योंकि हमारी लम्बी सीमा एक दूसरे से मिलती है।

जहां तक रूस के साथ हमारे सम्बन्धों का प्रश्न है हम उनसे बहुत संतुष्ट हैं। राजनैतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में दोनों में अर्थपूर्ण सहयोग हो रहा है। श्री पीलू मोदी ने जो रवैया अपनाया उससे मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय राजाजी ने सर्वप्रथम भारत-रूस शान्ति-संधि के समर्थन में वक्तव्य दिया था। स्वयं श्री मोदी ने उस समय जो भाषण दिया था और अब जो भाषण दिया है उसमें बहुत अन्तर है। राजाजी ने कहा था कि यह संधि दोनों के हित में है।

श्री बाजपेयी जी ने कहा है कि श्री डांगे ने मास्को की एक सभा में कोई वक्तव्य दिया था। मेरा निवेदन है कि उस सभा में सरकार के प्रतिनिधियों तथा अनेक राजनैतिक दलों के नेताओं को बुलाया गया था। उसमें अनेक नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किये थे। इतनी सी बात को लेकर रूस की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। हमें इस बात का अन्तर तो करना ही चाहिए कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और किसने कठिनाई के समय हमारी सहायता की है। मित्र और शत्रु के बारे में हमें कुछ अन्तर निकालना ही चाहिए। दोनों को समान रखने का सिद्धांत हमें पसन्द नहीं है। पश्चिम एशिया के संकट के बारे में हमारी जो नीति है उस बारे में सभा पूरी तरह अवगत है। हम चाहते हैं कि इसरायल अपना आक्रमण समाप्त करे तथा फिलिस्तीनी लोगों के अधिकार बहाल किये जायें। इसरायल सशस्त्र सेनाओं ने हाल

में लेबनान पर आक्रमण किया था और अनेक सिविलियन लोगों की हत्या की थी। यह मामला सुरक्षा परिषद् में उठाया गया था। वहां पर एक समझौते वाला संकल्प पास हुआ था। हम चाहते थे कि ऐसा संकल्प किया जाता जिससे इसरायल पुनः ऐसी कार्यवाही न कर सकता।

संयुक्त अरब गणराज्य के बारे में भी एक संकल्प पास किया गया था और सेक्रेटरी जनरल को स्थिति के बारे में प्रतिवेदन देने को कहा गया है। हमें आशा है कि इससे अर्थपूर्ण कार्यवाही के लिए अवसर मिलेगा।

खारतूम में घटी घटनाओं पर प्रधान मंत्री. राष्ट्रपति निक्सन के साथ-साथ बेल्जियम के प्रधान मंत्री को भी सहानुभूति सन्देश भेजा है। हम मानवीय मामलों में कोई भेदभाव नहीं रखते।

मैंने जनवरी-फरवरी में ओमान; कटारन. संयुक्त अरब गणराज्य बहरीन और कुवैत की यात्रा की थी। इन सभी देशों में ऐसे पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं जिससे हमारे उनसे ऐतिहासिक सम्बन्धों का पता लगता है। मेरे विचार से हमारे तथा इन देशों के बीच आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग की काफी गुंजायश है। विशेषज्ञों के प्रतिनिधिमण्डलों का आना-जाना पहले ही आरम्भ हो चुका है। इस क्षेत्र के सभी राज्य हमारी इस बात से सहमत हैं कि यह क्षेत्र एक शान्ति तथा तनाव रहित क्षेत्र होना चाहिये। हिन्द महासागर के बारे में भी हमारी यही नीति है।

ईराक के साथ हमने हाल में तेल के लिए अल्पावधि तथा दीर्घावधि करार किये हैं। अन्य वाणिज्यिक. तकनीकी तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में हम गहन सहयोग की आशा रखते हैं। अनेक मूल मामलों पर हमारे विचार ईराक से मिलते हैं। दोनों समाजवादी समाज की स्थापना का प्रयास कर रहे हैं। ईराक ने अपने तेल साधनों के राष्ट्रीयकरण में उत्पन्न अपनी प्रारम्भिक कठिनाइयों पर काबू पा लिया है। जहां तक पाकिस्तान को; ईरान द्वारा शस्त्रास्त्र देने का प्रश्न है यह सभा अपनी चिन्ता पहले ही व्यक्त कर चुकी है। हम स्थिति पर निगाह रखे हुए हैं। पाकिस्तान को हथियार देने से इस उप-महाद्वीप की शान्ति को भारी खतरा उत्पन्न हो जायेगा और इससे सैनिक तानाशाहों की नीति को बल मिलेगा। हमारा ईरान से काफी व्यापार होता है। ईरान मद्रास में लगने वाले तेल शोधक कारखाने में हमारा सहयोगी है। हम इस सहयोग को और मजबूत बनाने के इच्छुक हैं।

ओस्लो स्थित भारतीय चांसरी को आग लगाने का प्रयास 22 अप्रैल, 1973 को किया गया था। कार्यालय का बाहरी हाल तथा स्वागत कार्यालय का कुछ भाग पूरी तरह जल गया था। अन्य कमरों तथा कागजातों को मामूली हानि हुई है। शरारती लोंगों ने एक इश्तहार वहां लगाया था। जिसमें युद्ध-बन्दियों को रिहा करने की मांग की गई थी, नार्वे, की पुलिस घटना की जांच कर रहीं है, मुझे आशा है कि लोंगों को सद्‌बुद्धि आएगी और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। भारत इस प्रकार के ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा।

परमाणु हथियारों तथा एन्टी बालिस्टिक मिसाइलों के प्रयोग के बारे में कुछ प्रतिबंध लगाये गये हैं परन्तु अभी इस बारे में बहुत कुछ करना बाकी है। इन समझौतों पर चीन तथा फ्रांस ने हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

महासभा ने एक संकल्प स्वीकार किया है जिसमें निरस्त्रीकरण के बारे में विश्व सम्मेलन बुलाने की बात कही गई है। कुछ महत्वपूर्ण देश इस बातचीत में भाग लेने से भी हिचकिचा रहें हैं, परन्तु इस बारे में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है।

जहां तक विधि मामलों का सम्बन्ध है मैं श्री मेनन की बात से सहमत हूं कि विभिन्न देशों की मुद्रा में भावों के उतार-चढ़ाव तथा उनको स्वर्ण से सम्बन्धित कराने तथा स्वर्ण से सम्बन्ध तोड़ने का वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। परन्तु मेरा निवेदन है कि इस समय इस विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती।

विदेशों से विशेषकर पड़ोसी देशों से सम्बन्ध सुधारने के हमारे प्रयास काफी हद तक सफल हुए हैं। धन्यवाद।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : एक ऐसे व्यक्ति को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है जिसके विरुद्ध कुछ आरोप है। माननीय मंत्री ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है।

श्री स्वर्ण सिंह : में मामले की जांच करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव अनुदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

All the cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा विदेश मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुईं

The following Demands in respect of Ministry of External Affairs were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रु०
28	विदेश मंत्रालय	68,57,77,000

रक्षा मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब रक्षा मंत्रालय की मांग संख्या 19 से 24 तक चर्चा होगी।

जो सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं वे पन्द्रह मिनट के भीतर पर्ची भेज दें। उनको प्रस्तुत हुआ समझा जायेगा।

रक्षा मन्त्रलय की वर्ष 1973-74 की अनुदानों की निम्नलिखित मागें प्रस्तुत की गई।

मांग संख्या शीर्षक	राशि	
	राजस्व रु०	पूंजी रु०
19. रक्षा मंत्रालय	1,06,73,000	20,01,94,000
20. रक्षा सेवायें—थल सेना	8,57,64,17,000	..
21 रक्षा सेवायें—जल सेना	72,84,17,000	..
22 रक्षा सेवायें—वायु सेना	2,75,71,67,000	..
23 रक्षा सेवायें—पेंशन आदि	50,33,33,000	..
24 रक्षा सम्बन्धी पूजी परिव्यय	..	1,63,38,33,000

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
19	1	श्री भोगेन्द्र झा	सीधी भर्ती के बजाय पदोन्नति द्वारा अधिक अधिकारी नियुक्त करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
19	2	श्री भोगेन्द्र झा	अधिकारियों तथा जवानों के लिये सांझा भोजनालय खोलने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाएं ।
19	3	श्री भोगेन्द्र झा	शस्त्रास्त्रों में पूर्णतः आत्म-निर्भर बनने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
19	4	श्री भोगेन्द्र झा	शस्त्रास्त्रों के मामले में ब्रिटेन और अमरीका पर निर्भरता को समाप्त करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
19	5	श्री भोगेन्द्र झा	सैनिक अधिकारियों और जवानों का वेतन बढ़ाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
19	6.	श्री भोगेन्द्र झा	सैनिक अधिकारियों और जवानों की सेवा की शर्तें सुधारने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
19	7	श्री भोगेन्द्र झा	अधिकारियों और जवानों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध के मामले में पुरानी ब्रिटिश प्रणाली के स्थान पर लोकतंत्रात्मक प्रणाली अपनाने की आवश्यकता ।	राशिमें से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
19	8.	श्री भोगेन्द्र झा	शस्त्रास्त्रों को आधुनिक बनाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
19	29.	डा० सरदीश राय	उप-महाद्वीप में तनाव कम हो जाने के बावजूद भी रक्षा व्यय को कम करने में विफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
19	30.	डा० सरदीश राय	रक्षा मदों के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में विफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये।
19	31.	डा० सरदीश राय	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए रक्षा सेवाओं मे रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
20	32.	डा० सरदीश राय	दुर्गम क्षेत्रों, बहुत ऊंचे स्थानों और अत्यन्त ठंड में सीमाओं पर ड्यूटी पर तैनात जवानों को 'ए' श्रेणी का राशन देने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाएं।
20	33.	डा० सरदीश राय	प्रशिक्षण के दौरान घातक दुर्घटनाओं के शिकार प्रशिक्षार्थी विमान चालकों के लिए प्रतिकर योजना शुरू करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
20.	34.	डा० सरदीश राय	कैन्टर पूलर एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के कुछ कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता ताकि वे अपनी ड्यूटी पर उनके जीवन को बिना किसी खतरे तथा भय के आ सकें।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
20	35.	डा० सरदीश राय	मजगांव डॉक लिमिटेड के कुछ कर्मचारियों के सम्बन्ध में औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट को लागू करने में विफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
20	36.	डा० सरदीश राय	आयुध कारखानों में "पीस वर्क सिस्टम" (छुटपुट कार्य पद्धधति) समाप्त करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
20	37.	डा० सरदीश राय	रक्षा कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत बोनस देने की अवश्यकता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।
19	39.	श्री एन० श्रीकान्त नायर	रक्षा सेवाओं, विशेषकर तकनीकी प्रभागों में अधिकारियों की अपर्याप्त भर्ती।	राशि घटा कर 1 रुपये कर दी जाए।
19	40.	श्री एन० श्रीकान्त नायर	सिपाहियों, नाविकों और एयरमैनों के काम वेतनमान और कम पेंशन।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।
19	41.	श्री एन० श्रीकान्त नायर	केरल जैसे पिछड़ राज्यों में आयुद्ध कारखाने स्थापित करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।
19	42.	श्री एन० श्रीकान्त नायर	बिना कारण बताये कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने की नीति।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।
19	43.	श्री पी० जी० मावलंकर	समस्त रक्षा संगठनों में आमूल परिवर्तन करने में असफलता जिससे आधुनिक और लोकतांत्रिक भारतीय गणराज्य की आवश्यकतायें पूरी की जा सकें।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।
19	44.	श्री पी० जी० मावलंकर	परमाणु बम्ब के निर्माण के बारे में स्पष्ट नीति निर्धारित करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
19	45.	श्री पी० जी० मावलंकर	भारतीय रक्षा सेवाओं का, विशेष रूप से रक्षा उपकरणों, औजारों, शास्त्रास्त्रों और गोला-बारूद के मामले में शीघ्र तथा प्रभावी ढंग से आधुनिकीकरण करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।
19	46.	श्री पी० जी० मावलंकर	समस्त देश में राष्ट्रीय केडिट कोर को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जायें।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
19	47	श्री पी० जी० मावलंकर	रक्षा कर्मचारियों के लिये स्वास्थ्य और अस्पताल सुविधाओं तथा प्रसुविधाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
19	48.	श्री पी० जी० मावलंकर	युद्ध में अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए जो जवान और अधिकारी शहीद हो गये हैं उनके परिवारों को शीघ्र और बेहतर सहायता देने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
19	49.	श्री पी० जी० मावलंकर	रक्षा कर्मचारियों के लिये पर्याप्त आवास सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।

***डा० सरदीश राय (बोलपुर)**: उपाध्यक्ष महोदय मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । गत दस वर्षों में रक्षा खर्च में पांचगुनी वृद्धि हुई है । वार्षिक प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव कम हुआ है परन्तु रक्षा व्यय आदि में कटौती करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है । हमारे अपने देश में ही रक्षा व्यय में वृद्धि हुई है और उसका हमारी अर्थ व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । वर्तमान परिस्थितियों में भारत पर आगामी वर्षों में कोई आक्रमण होने वाला नहीं है । इसलिए रक्षा बजट में वृद्धि का कोई औचित्य मुझे नजर नहीं आता है । अतः मैं इसका विरोध करता हूं ।

यह दावा किया जाता है कि हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है । परन्तु मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विजयन्त टैंक में 1973-74 के अन्त तक केवल 85 प्रतिशत पुर्जे स्वदेशी होंगे शक्तिमान ट्रक में 1971-72 तक 79.15 प्रतिशत पुर्जे स्वदेशी थे और निसान पेट्रोल ट्रक में स्वदेशी माल की प्रतिशतता 35.41 थी । साथ ही रिपोर्ट में यह कहा गया है कि आगामी 3 वर्षों में उपरोक्त तीनों प्रकार की गाड़ियों में इने गिने पुर्जों को छोड़कर सभी पुर्जे स्वदेशी हो जायेंगे । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रक्षा व्यवस्था में काम आने वाली गाड़ियों के उत्पादन में हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा ।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय 48.01 करोड़ रुपये की लागत से एक इस्पात संयंत्र स्थापित करेगा जिसमें रक्षा उत्पादन में काम आने वाला विशेष प्रकार का इस्पात तैयार किया जायेगा । यदि सरकार की दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और सलेम इस्पात संयंत्र में इस प्रकार के विशेष इस्पात को बनाने की योजना है तो रक्षा मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ एक पृथक संयंत्र लगाया जाना व्यर्थ है ।

---

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

summarised translated version based on english translation of the speech delivered in Bengali

ऐसा लगता है कि सरकार ने एकाधिकार गृहों के मालिकों के साथ सांठगांठ कर ली है और वह उनके साथ ही संयुक्त उद्यम स्थापित कर रही है। उत्पादन में पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से वह ऐसा कर रही है, यह तर्क तो बहाना मात्र है। उदाहरण के लिए भारत पिस्टन्स और इंडियन पिस्टन्स के सहयोग से स्थापित किए जाने वाले संयुक्त उद्यम, को लिया जा सकता है जिसमें रक्षा यन्त्रों में काम आने वाले पिस्टनों का उत्पादन होगा। भारत पिस्टन्स के मालिक देश के 75 एकाधिकार गृहों के मालिकों में से एक हैं। यह कहा गया कि इस संयुक्त उद्यम की स्थापना से 30 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा बचेगी।

आयुद्ध कारखानों में उत्पादन चार पांच गुणा बढ़ गया है परन्तु वहां के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। वहां तो राजनीतिक आधार पर कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है। वहां के कर्मचारियों में रोष और असंतोष बढ़ता जा रहा है। वहां 'पीस वर्क सिस्टम' को समाप्त किया जाये। इन्हें वेतन आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर लाभ दिया जाए और उन्हें बोनस भी दिया जाए। इसी प्रकार मजगांव गोदी श्रमिकों में असंतोष व्याप्त है। उनके मामले में सरकार ने न्यायाधिकरण के निर्णय को नहीं माना है। इससे पता लगता है कि सरकार श्रमिक वर्ग की उचित मांगों को मानने के प्रति उदासीन है। सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गई केटरपूलर प्राइवेट लिमिटेड के उन 14 कर्मचारियों को काम पर लगने दिया जाए जो सुरक्षा के अभाव के कारण काम पर न आ सके थे।

शान्तिप्रिय तटस्थ राष्ट्र होने के नाते भारत को शस्त्रों का निर्यात करना ठीक मालूम नहीं होता। रिपोर्ट से यह भी मालूम होता है कि हमारी सेना के विभिन्न अंगों में तकनीकी अर्हता प्राप्त कर्मचारियों की कमी है। यह स्थिति विचित्र सी लगती है क्योंकि देश में तकनीकी अर्हता प्राप्त लोग काफी बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं। रक्षा मन्त्रालय को 2250 नर्सों की आवश्यकता थी किन्तु भर्ती किया गया केवल 1627 को, जबकि रोजगार पाने वाली नर्सों की संख्या काफी अधिक है। इससे प्रतीत होता है कि सरकार की ऐसे लोगों को भर्ती करने की नीति ठीक नहीं है।

सेना में जवानों और अधिकारियों के साथ राशन के मामले में भी भेदभाव किया जाता है। जवान को 'सी' श्रेणी का राशन दिया जाता है जबकि अधिकारी को 'ए' श्रेणी का, हालांकि जवान को अधिक दुर्गम और आरामहीन स्थानों पर अपना दायित्व निभाना पड़ता है। मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान दें और इस भेदभाव को दूर करायें।

सरकार द्वारा सेना का उपयोग गैर-सैनिक कार्यों के लिए भी किया जाता है। कांग्रेस के साल्ट लेक पर हुए अधिवेशन के लिए भी सेना के जवानों ने काम किया उन्होंने केस्टोपुर नहर पर एक 'बेली' पुल सहित चार पुल बनाए अतारांकित प्रश्न संख्या 1419 के उत्तर में सरकार ने यह स्वीकार किया कि सेना ने चार पुल बनाने में असैनिक अधिकारियों की सहायता की। किन्तु प्रतिवेदन में इन चार पुलों का उल्लेख नहीं किया गया है। इन पुलों के निर्माण का खर्च न तो कांग्रेस दल ने दिया और न स्थानीय अधिकारियों ने ही।

हाल ही में भारतीय सेना को सिक्किम भेजा गया रक्षा प्रयोजन के लिए नहीं बल्कि उनका प्रशासन चलाने के लिए। ऐसा लगाता है कि वहां पर भारतीय सेना को लोगों की

लोकतन्त्रीय शासन की आकांक्षाओं को दबाने के लिए भेजा गया। एक बात और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। वायु सेना के कुछ अधिकारियों को टेलिविजन सेटों, टेप रिकार्डों, ट्रांजिस्टरों, शराब की बोतलों, घड़ियों, साड़ियों आदि की तस्करी करते समय पकड़ा गया था। अतारांकित प्रश्न संख्या 5259 के उत्तर में 29 मार्च 1973 को सरकार ने यह माना है। किन्तु ऐसे भ्रष्ट सैनिक अधिकारियों को बिना दंड दिए ही छोड़ दिया गया। दंड में उन्हें केवल इतना बता दिया गया कि उनसे वायु सेना अध्यक्ष 'नाराज' हैं। अन्तः ये, मैं पुनः रक्षा मन्त्रालय की मांगों का विरोध करता हूं।

Shri Chandulal Chandrakar (Durg) : Mr. Speaker, Sir, I am glad to note that more information has been given in this annual Report. But no information has been given in respect of types etc. of aeroplanes in service of our Air Force. It is our policy to achieve self-sufficiency in the field of military arms and materials, but we are moving slowly towards this objective, through a period of 25 years has elapsed since independence. On the other hand, countries like Yugoslavia, Poland and China have made rapid progress in the field of defence production. We still depend on imports of arms and armaments from other countries. The Government and particularly the Ministry of Defence should seriuosly consider the reason for which our country has been lagging behind in the matter of defence production. No doubt, our country has started manufacturing certain types of arms and equipments for defence purposes but still we are dependant for certain other types of armaments on foreign countries. we should try to manufacture all types of arms and equipments required for defence purposes. As regards we manufacture of military air crafts, it depends upon the design capability of the manufacturing unit and we have not been so far able to develop design capability in the units engaged in manufacturing air crafts. To be in the position of developing design capability we should develop metallurgy in our country, we should produce special type of metals required for the purpose. We should do more progress in the fields of electronics, aeronautics and chemicals. we should increase our production capacity. For increasing production we shall have to reduce the cost of production per unit, as it is much more in our country in comparison to other countries. This should be examined by the Ministry of Defence and efforts should be made to reduce the production cost. Unless it is done, the production will not go up.

Our country has long sea coast and our Navy has to protect long sea frontiers. So there is need to stregnthen our naval force. There should be better war ships, frigates Survey ships and missile boats in our navy. We should have a powerful submarine fleet. Similarly we should make our Air Force more powerful by adding lone range reconnaissance planes and deep penetration planes and other modern aircrafts.

About 60 throusand people are retrenched from our army every year. But Government has done a little to provide jobs to such retrenched people. A plan should be chalked out to rehabilitate such retrenched people in public sector or anywhere else. It will be proper if these disciplined soldiers are given jobs in public sector undertakings and Government department.

It is mentioned in the annual report of Defence Ministry that there is Mearth of medium levy officers and electrical as well as mechanical engineers in our army The Minister should tall us, the steps taken to remove this shortage.

श्री एन० श्रीकान्तनु नायर (क्विलोन) : राजस्व व्यय के लिए 1404.82 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय के लिए 196.36 रुपए की व्यवस्था करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु, दुर्भाग्य का विषय है कि यह सशस्त्र सेना के सैनिक अधिकारियों की साज-सज्जा और उनके वेतन के बारे में ही कहता है। किन्तु मोर्चे पर लड़ने वाले जवानों की इससे कुछ भी नहीं मिलता है।

मन्त्री महोदय को इस प्रश्न की जांच करानी चाहिए कि विभिन्न रक्षा सेवाओं में स्थानीयता या प्रान्तीयता की भावना बहुत जोरों पर है और बहुत भेदभाव बरता जाता है। यहां तक कि सेना में से लोगों को बरखास्त कर दिया जाता है। सशस्त्र सेनाओं में तो हर प्रकार की प्रान्तीयता और भेद-भाव बरता जाता है। हमारी सेना के जवान बहुत बहादुर हैं और उनको सब प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। किन्तु उन्हें 47 रुपए प्रति मास वेतन मिलता है। यदि उसका वेतन समाधान इकाई में करा दिया जाए तो उसे 50 रुपए मासिक वेतन मिलते हैं। उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि एक रुपया है। किन्तु नियुक्ति वेतन के रूप में लांस नायक को 5 रुपए और बटालियन हवलदार मेजर को 30 रुपए तक मिलते हैं। यह भेद-भाव अपनी निष्ठा, साहस और अनुशासन से देश की सेवा करने वाले व्यक्तियों का अपमान करना है। शत्रु की गोली सबसे पहले उन्हें ही लगती है। दस वर्ष की सेवा करने के पश्चात् सेवा निवृत होने पर उन्हें केवल 40 या 45 रुपए पेंशन मिलती है, जिसमें वह अपना गुजारा कैसे कर सकता है। न तो केन्द्रीय सरकार और न ही राज्य सरकारें इन लोगों की परवाह करती हैं। अतः इन लोगों का ध्यान रखने के लिए जिला और राज्य स्तर अधिकारी नियुक्त किए जाने चाहिएं। और राज्य सरकारों और जिला बोर्डों पर निर्भर रहने के बजाए इस मन्त्रालय को पुनर्वास और पुनः रोजगार देन सम्बन्धी योजनाओं को लागू करने के लिए अपने प्रतिष्ठान स्थापित करने चाहिएं।

प्रतिवर्ष 60,000 व्यक्ति सेवा निवृत्त होते हैं जिनमें से 45,000 व्यक्तियों को पुनर्वास और पुनःरोजगार सम्बन्धी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। अतः राज्य में एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिए जिनके पास जाकर ये व्यक्ति सहायता प्राप्त कर सकें।

इसके अतिरिक्त व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग भी है जिनमें से प्रतिवर्ष 3,500 लोगों को अपंग बनाकर निकाल दिया जाता है। इन लोगों को तब तक पेंशन नहीं दी जाती जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि इनकी यह अपंगुता सेवा में रहते हुए शत्रु की कार्यवाही अथवा दुर्घटना के कारण हुई है। ऐसे मामलों में न्यूनतम पेंशन क्यों नहीं दी जाती? इस मानवीय प्रश्न पर विचार किया जाना ही चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस देश में सर्वोत्तम व्यक्तियों की भरती बिना किसी प्रकार के पूर्वाग्रह के की जाती है। अस्थाई कमीशन प्राप्त अधिकारियों को रोजगार देना केवल उनका अपमान मात्र है। सरकार न केवल इनके जीवन के साथ खिलवाड़ ही करती है अपितु, अन्य लोगों को अवसर देने से इनकार करती है।

वेतन आयोग की सिफारिशों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए और आपको यह भी विचार करना चाहिए कि जवानों को अधिकारियों से अधिक वेतन दिया जाना चाहिए। अपंग व्यक्तियों को भी पेंशन दी जानी चाहिए। अपंग व्यक्ति को इतना पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए जिससे वह अकेला अपना निर्वाह कर सके।

श्री बृजराज सिंह—कोटा (झालावाड़) : मैं रक्षा मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। आधुनिक सशस्त्र सेनाएं बहुत जटिल होती जा रही हैं और उन्हें बहुत सुदृढ़ और संस्कारित संघटन की आवश्यकता है जो समृद्ध राष्ट्रों के लिए भी बहुत महंगी पड़ती है। हम कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 3.5 प्रतिशत रक्षा कार्यों पर खर्च करते हैं जो अन्य

देशों की तुलना में बहुत कम है। फिर भी हमें अन्य देशों के साथ रहना पड़ता है। अतः भारत की अत्यधिक सेना का आह्वाहन इसी परिप्रेक्षय में करना होगा।

[श्री एस० ए० कादर पीठासीन हुए।]
SHRI S. A. KADER *in the Chair*

रक्षा सम्बन्धी किसी भी वस्तु में काल-तत्व अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इस ढांचे की समय सीमाओं के भीतर या आणविक शक्तियों के सन्दर्भ में हमारी सुरक्षा और सैनिक समस्याओं को हल करने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि हम इस विशेष क्षेत्र में पीछे हैं। किन्तु, अब समय अपनी सारी महत्ता के साथ आ गया है और अब हमें आगे लासर के वह-प्रयोग के लिए अवसर मिला है जो सदा देश की रक्षा और शस्त्रास्त्र प्राप्त करने में सदैव महत्वपूर्ण होता है। भारत को वाहन आक्रमण से अपनी सीमाओं की रक्षा करनी और अपनी एकता बनाए रखनी चाहिए। भारत की आक्रामक शक्ति बनने की कभी अभिलाषा नहीं रही है।

1971 के पश्चात् की विजय की सामान्य भ्रान्ति और पाकिस्तान पर विजय के कारण झूठी सुरक्षा की भावना से हमें आत्मसन्तुष्ट नहीं होना चाहिए। आज पाकिस्तान सैनिक दृष्टि से अधिक शक्तिशाली हो गया है और उसे बंगला देश की कोई बाधा नहीं है। मध्यपूर्व के इस्लामी देशों के साथ भी इसके निकट सम्बन्ध हैं और ईरान से उसे 20 लाख डालर के आधुनिक शस्त्रास्त्र भी मिल रहे हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुये भारत को अपने सुरक्षा-प्रबन्धों में ढील नहीं करनी चाहिए और हमें पाकिस्तान के विभिन्न देशों से मिल रही सैनिक सहायता को विफल बनाना चाहिए। हमें अपनी सुरक्षा की तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर जारी रखनी चाहिए।

जहाँ तक वायु सेना का सम्बन्ध है वैमानिकी सम्बन्धी सुब्रह्मण्यम समिति ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि हमें विकसित आक्रामिक वायुयानों की अत्यधिक आवश्यकता है। एच०एफ० 24 बहुत उत्कृष्ट होने पर भी इस आवश्यकता को पूरा नहीं करता। इस अन्तराल को पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने अभी तक कोई विचार ही नही किया है। हमें परमाणु शक्ति वाला विमान बनाने या प्राप्त करने के सम्बन्ध में शीघ्रता से निर्णय लेने की आवश्यकता है। हमें देश में ही ऐसा विमान बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें अधिकाधिक सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों की आवश्यकता है। सहायक उपकरणों और पुर्जों को, विशेषकर विमान के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली विशेष प्रकार की मिश्रित धातुओं को, निर्माता को कम करना चाहिए।

भारत की नौसेना को अधिक महत्व से अपनी भूमिका निभानी है और देश की अर्थ-व्यवस्था और सुरक्षा में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। विभिन्न प्रकार के शस्त्रास्त्रों की प्रणालियों पर लागत प्रभाव के सम्बन्ध में अध्ययन करना चाहिए। हमें अपने विध्वंसक पोत का आधुनिकीकरण करना चाहिए। आधुनिक नौसेना में पनडुब्बी तथा पनडुब्बी विध्वंसक प्राप्त करने की बहुत आवश्यकता है। यह तो अच्छी बात है कि हम अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह और गोआ में अपने अड्डे बना रहे हैं। किन्तु हमें मर्चेंट नेवी को युद्ध के समय नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतू समन्वित करना चाहिए। मजगाँव गोदी की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है।

हमारी सेना का अतीत बहुत प्रतापी और कीर्तिमान रहा है और उसने सारे विश्व में यह सिद्ध कर दिया है कि भारत वह सब कुछ कर सकता है जो वह करना चाहता है। फिर भी उन कुछ कमियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो सामने आई हैं। हमारी सेना के पर्वतीय डिवीजनों को अधिकाधिक

आक्रमक शक्ति और अधिक विमानों, एवं हैलीकाप्टरों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। सशस्त्र सैनिक वाहकों (आरमर्डक पर्सनल केरियर्ज) तथा टैंक तोड़ हथियारों की आवश्यकता है जिससे हमारे औद्योगिक संस्थान और महत्वपूर्ण कारखानों की रक्षा की जा सके। पुल निर्माण सम्बन्धी उपकरणों और नौकाओं की अधिक आवश्यकता है। इसके साथ परिवहन और अन्य रक्षा सम्बन्धी उपकरणों की भी आवश्यकता है।

सैनिकों के वेतनमानों में परिवर्तन तो किया गया है किन्तु यह परिवर्तन सैनिकों के हित में आकर्षक नहीं है। अतः वेतनमानों को और अधिक आकर्षक बनाया जाना चाहिए जिससे भारत के सर्वोत्तम व्यक्ति सेना में भर्ती हो सकें। सशस्त्र सेनाओं के पुनर्गठन के सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। हथियारों को और प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए। विजयंत टैंक को और अधिक प्रयोग में लाना चाहिए। इस टैंक को राजस्थान के रेतीले मैदानों में प्रभावशाली ढंग से प्रयोग में लाना चाहिए। अधिकाधिक प्रक्षेपणास्त्रों को देश में ही तैयार किया जाना चाहिए और उनकी मारक शक्ति को और प्रभावशाली बनाना चाहिए। नये हथियार प्राप्त करते समय हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमने सर्वोत्तम हथियार प्राप्त किए हैं। इस मामले में किसी प्रकार की राजनीतिक तथा अन्य विचारधारा को ध्यान में नहीं रखना चाहिए।

प्रसन्नता की बात है कि हमारे आयुध कारखाने बहुत अधिक रक्षा सामग्री बनाते हैं। हमारी रक्षा प्रणाली में शीघ्र कार्य प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। सेना में पदवी-ढांचे पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। हमारी सेना में एक से अधिक जनरल होने चाहिएं। पदोन्नति सम्बन्धी शिकायतों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

राजस्थान की मरू-सीमा पर अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। युद्ध में मारे गए सैनिकों के परिवारों की ओर बिशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और उन्हें सहायता दी जानी चाहिए।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक (रोहतक): श्रीमन्, रक्षा मंत्रालय की माँगें, देश की सुरक्षा और स्वतन्त्रता को बनाये रखने की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। सैनिक व्यक्तियों के सम्बन्ध में जहाँ तक वेतन आयोग के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, 1948 के बाद सैनिकों के ग्रेड पहली बार बदले जा रहे हैं। हमारे सैनिक जवान अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं और रक्षा मंत्री को भी इसका पता है। अतः मेरा अनुरोध है कि उनकी सेवा शर्तों में उदारता लायी जाए और उन्हें अधिकतम लाभ दिया जाए। क्योंकि ये देश के लिए अपना बलिदान करते हैं।

1971 में हमारे देश ने बहुत शानदार विजय प्राप्त की है। हमें अपने रक्षा सम्बन्धी उपायों में ढील नहीं बरतनी चाहिए। पाकिस्तान हथियार प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। वह अमरीका और चीन से हथियार प्राप्त करने और अपनी पिछली क्षति को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। चीन और अमरीका से आधुनिकतम हथियार प्राप्त कर पाकिस्तानी युद्ध तंत्र हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। पाकिस्तान ने अपनी सेना चार गुना बढ़ा ली है। हमें इस बारे में किसी प्रकार की ढील और आत्मसन्तोष नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ने अपना युद्ध का रवैया अभी छोड़ा नहीं है। शिमला समझौते की सारी आशाएं धराशायी हो गई हैं। पाकिस्तान आगामी दो या तीन वर्षों में हम पर फिर हमला कर सकता है। अतः हमें सतर्क रहना चाहिए।

भारत सरकार भले ही रियायत[1] कर दे, अधिकृत क्षेत्रों को वापस लौटा दे, आप भले ही युद्ध बन्दियों को रिहा कर दें, आप युद्ध की क्षतिपूर्ति का दावा भी छोड़ दें। किन्तु, पाकिस्तान की भारत

विरोधी कार्य करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर तीन बार आक्रमण किया और वह हम पर फिर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में रक्षा मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह आत्मसन्तुष्ट न हों। क्योंकि पाकिस्तान ने पहले टकों से आक्रमण किया था इसलिए हमारे पास टैंक भेदी हथियार और प्रक्षेपणास्त्र विपुल माता में उपलब्ध होने चाहिएं।

हाईड्रोजन बम और परमाणु बम जैसे आणविक हथियारों का उत्पादन करने तथा उसे अपने पास रखने से देश को समग्र रूप में तथा हमारी सशस्त्र सेनाओं को और अधिक विश्वास और हौसला प्राप्त होगा। जब हमारे पास प्राकृतिक संसाधन और तकनीकी ज्ञान है तो फिर सरकार आणविक शक्ति बनाने में संकोच क्यों कर रही है। इस सम्बन्ध में निर्णय न लेने की नीति एवं झिझक त्याग देनी चाहिए।

सेना में लड़ने वाले सैनिकों की संख्या प्रशासनिक कार्य करने वाले सैनिकों से अधिक होनी चाहिए। सेनाओं की कई प्रकर की शाखाएं और उनके भिन्न-भिन्न नाम रखने के बजाए केवल एक ही सेना होनी चाहिए।

जहाँ तक टैरिटोरियल आर्मी का सम्बन्ध है, उनकी दशा बहुत दयनीय है। उन्हें तीन महीनों का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् नौकरी में नहीं रखा जाता। उनकी यह माँग न्यायोचित है कि उन्हें भूतपूर्व सैनिक घोषित किया जाए और उन्हें किसी रक्षा प्रतिष्ठान या सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में रोजगार दिया जाए।

1971 के युद्ध के दौरान हमारी नौसेना ने बहुत बहादुरी के साथ युद्ध कौशल दिखाया था फिर भी इसमें विस्तार की बहुत गुंजाइश है। अतः हमारी नौसेना का विस्तार किया जाना चाहिए। सरकार को नौसेना वितरण तथा आधुनिकीकरण की एक पंचवर्षीय योजना बनानी चाहिए। पुराने युद्ध पोतों को बदल दिया जाना चाहिए और विक्रान्त जैसे आधुनिक प्रकार के विमान वाहक प्राप्त किए जाने चाहिएं।

पदवी संरचना के बारे में हमने देखा है कि अब सेवा निवृत्त सेनाध्यक्ष को फील्ड मार्शल का पद दिया गया है किन्तु वर्तमान सेनाध्यक्ष को केवल 'जनरल' का पद दिया गया है। अतः वर्तमान सेनाध्यक्ष सेवा निवृत्त अधिकारी से कनिष्ठ नहीं होना चाहिए। अतः वर्तमान सेनाध्यक्ष के पद को फील्ड मार्शल के पद से ऊंचा रखा जाना चाहिए। और इसी तरह से अन्य पदों का दर्जा भी बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री कृष्ण मेनन तथा श्री नेहरू के समय में भी जब भारतीय वायुसेना में बिना बारी के पदोन्नतियाँ की जाती थीं तो यहाँ सभा में बड़ा हंगामा मचा करता था परन्तु अब वरिष्ठ अधिकारी एयर मार्शल इंजीनियर तथा एयर मार्शल शिव देव सिंह के ऊपर श्री ओ० पी० मेहरा को क्यों एयर चीफ मार्शल बना दिया गया है? ये वरिष्ठ आधिकारी श्री ओ०पी०मेहरा के अधीन एक दिन भी कार्य नहीं करना चाहते थे। इसलिये उन्होंने अवकाश प्राप्त कर लिया। ऐसा क्यों किया जाता है। रक्षा मंत्रालय ने इन पदों पर वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की थी परन्तु प्रधान मंत्री सचिवालय में इन सिफारिशों को बदल दिया गया।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य सशस्त्र सैनिकों के लिये मानचित्र तैयार करना है। इसलिये इसका संचालन सैनिक अधिकारी करते हैं तथा एक ब्रिगेडियर इसका प्रमुख होता है। परन्तु सरकार ने इस विभाग को विभिन्न मंत्रालयों के अधीन रख-रखकर इसका मजाक उड़ाया है।

अब सैनिक अधिकारियों ने सचिवों की समिति को लिखा है कि उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा रहा है। विभागों में नियुक्तियाँ योग्यता के आधार पर नहीं की जा रही हैं तथा इससे सुरक्षा के हितों को हानि पहुंचती है। सेना को आवश्यक मानचित्र नहीं दिये गये हैं जिससे कुशलता पर कुप्रभाव पड़ता है। सरकार क्या कर रही है ?

भारत के महा सर्वेक्षक की नियुक्ति एक लम्बे समय से नहीं की गई है। प्रधान मंत्री सचिवालय द्वारा इस संबंध में स्वीकृति अभी तक नहीं दी गई है। मेरे विचार से स्वीकृति इसलिये नहीं दी गई कि . **

Mr. Chairman : The hon. Member's time is up. He has already taken five-six minutes more. He may kindly conclude within a minute.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Some time the time for debate is extended and the earlier speakers don't share that enhanced time. Kindly permit him for a few minutes more.

Mr. Chairman : Let him conclude within a minute.

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : रक्षा उत्पादन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण मदें ऐसी हैं जो युद्ध के समय न तो स्थानीय रूप से उत्पादित की जा सकती हैं और न ही बाहर से मिल पाती हैं। इनमें से एक धुआँ गोला-बारूद है जो विभिन्न शास्त्रास्त्रों के काम में आता है। वर्ष 1971 के युद्ध में हम कहीं से भी इसे प्राप्त न कर सके। अत: हमें अविलम्ब इसे भारत में तैयार करना चाहिये। इसी प्रकार 100 एम०एम० तथा 130 एम०एम०फील्ड आर्टिलरी गन का भी मामला है। इनका रूस से आयात किया जाता है परन्तु इनका गोला-बारूद भी रूस से ही आयातित होता है। युद्ध के समय इसका मिलना दुष्टर हो जाता है। रूसी टैंक टी० 54 तथा टी० 55 के साथ भी यही बात है। इसका प्रबंध किया जाना चाहिये। एल० 70 गन निष्प्रभावी हो गई है इनके स्थान पर दूसरा हथियार आना चाहिये। इसी प्रकार हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया राडार वर्ष 1971 में असफल रहा। सरकार इस राडार को बदले।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने प्रधान मंत्री सचिवालय तथा राज्य सभा के सदस्य का नाम लिया जो कि उचित नहीं था। मैं रिकार्ड में देखूंगा। यदि ये शब्द वहाँ हुए तो कार्रवाही वृतान्त से निकाल दूंगा।

एक माननीय सदस्य : **दूसरी सभा में है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यह एक अलग बात है। प्रधान मंत्री के कार्यालय का नाम लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यदि राज्य सभा के सदस्य का नाम है तो उसे हटा दीजिये।

सभापति महोदय : यदि ऐसा है तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। मैं रिकार्ड देखकर राज्य सभा के सदस्य का नाम, यदि है, तो काट दूंगा।

श्री जगजीवन राम : मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह सर्वथा निराधार बात है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फूलपुर) : रक्षा मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में पहली बार रक्षा नीति के बारे में समन्वित दृष्टिकोण प्रदर्शित किया गया है जिसका उल्लेख रक्षा प्रबंध अध्याय में है। इसमें पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा का मूल अर्थ स्पष्ट किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में धमकियों के मूल्याँकन को स्वीकारा गया है। सुरक्षा संबंधी तदर्थ आयोजन को अस्वीकार करके परिपूरक प्रकृति तथा विकासशील

**अध्यक्षपीठ के आदेश से सभा के कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

आयोजन को स्वीकारा गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। स्वाधीनता प्राप्ति से लेकर आज तक हमारी सुरक्षा को अनेक संकट पैदा हुआ है परन्तु हमें जो स्पष्ट नेतृत्व वर्ष 1971 के संकट के समय मिला ऐसा पहले कभी नहीं प्राप्त हुआ। केवल हमारे आयुद्ध कारखानों का ही उत्पादन नहीं बढ़ा बल्कि 10 महीने की संकटपूर्ण राजनीति गतिविधियाँ भी हुईं। सही आवश्यकताओं को समझा गया तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को व्यापक रूप में अनुभव किया गया। यही कारण था कि "एन्टरप्राइज" हमें डगमगा नहीं सका।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार 25 अप्रैल, 1973/5 वैशाख 1895 (शक) को ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday April 25, 1973/Vaisakha 5, 1895 (Saka).

330LSS/73—4-9-73—GIPF.